खण्ड-357, अंक-1
सोमवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1904
(22 मार्च, 1982 ई0)

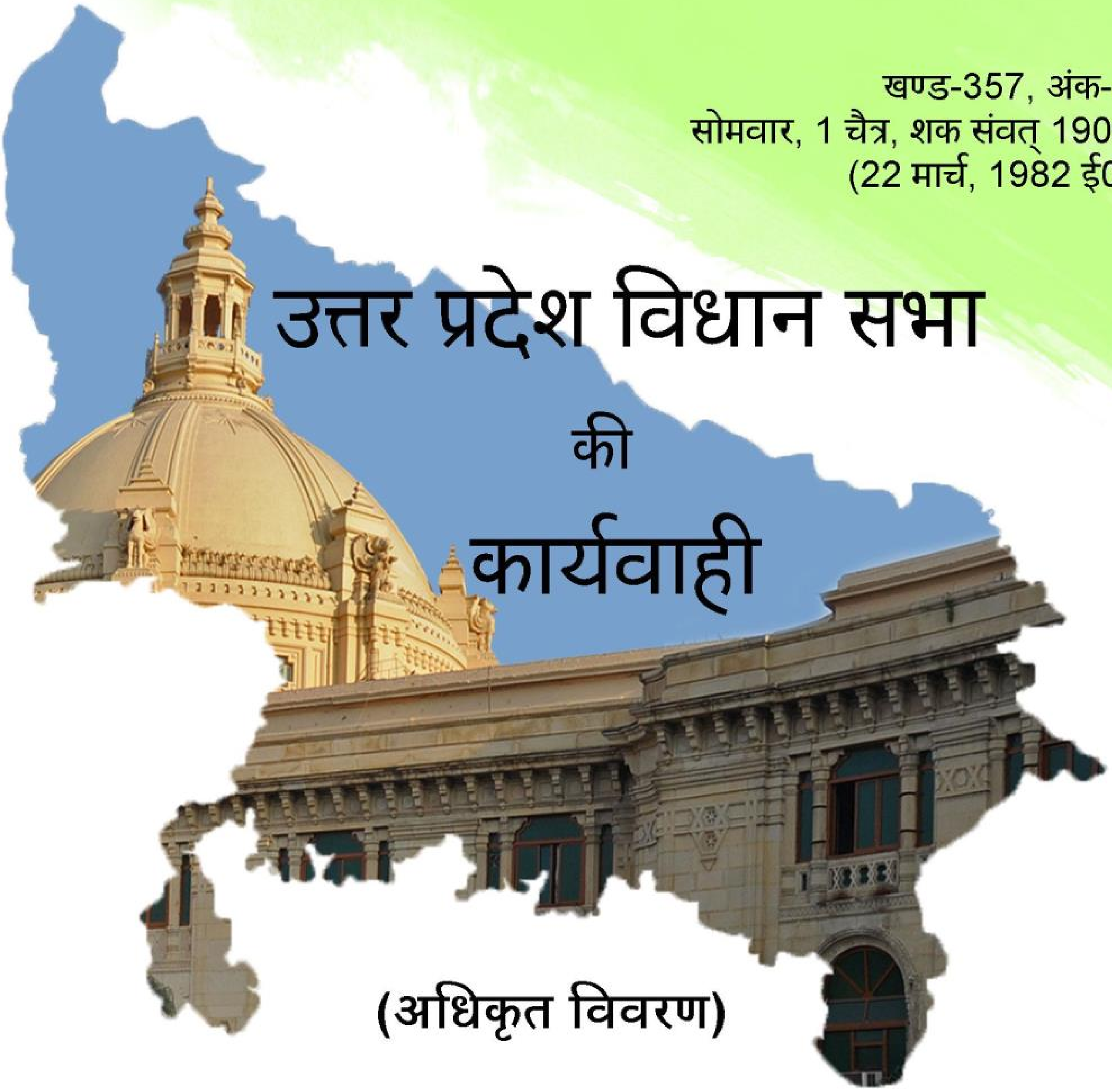

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 357 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–4
जिला गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ओला वृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	5
कोटद्वार गढ़वाल में भयानक बम विस्फोट से 3 व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	5
प्रदेश के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	5
रामपुर शहर के सिविल लाइन एरिया में स्थित गंगापुर स्थान से आवास विकास परिषद द्वारा बागवानों को उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	6
जालौन जनपद की कालपी तहसील में अधिकारियों की साठ गांठ से चीनी की चोरबाजारी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	6–7
प्रदेश के परिवहन निगम के बस स्टैंडों पर व्याप्त गंदगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	7
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	7–8
जनपद मुरादाबाद के थाना हजरतनगर की पुलिस द्वारा ग्राम कुकनाला निवासी श्री अलीजान व उसके भाई को इनकाउन्टर में मारे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8
लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज में भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा बनाई जा रही नालियों में भ्रष्टाचार के सन्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8–9
बुलन्दशहर से खुर्जा के बीच चलने वाली बसों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9
कानपुर देहात में डकैतियों की भरमार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9–10
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कतिपय श्रेणी के सदस्यों का नाम निर्देशन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	10
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कतिपय श्रेणी के सदस्यों का नाम निर्देशन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	10
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	10
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (पांचवां संशोधन) नियमावली 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	11
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 से संबंधित शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ..	11

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गयी)	11
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन-के पटल पर रखी गयी) ..	11
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	11
उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम लिमिटेड के कतिपय वर्षों के प्रतिवेदन एवं लेखे (सदन के पटल पर रखे गये)	12
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (दसवां संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	12
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (पंचम संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	12
लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखे गये)	12
आगरा मण्डल विकास निगम लि0 की प्रथम तथा द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976–77 1977–78 एवं गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
दि इण्डियन टर्पेंटाइन ऐण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की छपन्नवीं वार्षिक रिपोर्ट 1979–80 (सदन के पटल रखी गयी) ..	13
वित्त बिक्रीकर अनुभाग–2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	13
वित्त बिक्रीकर अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–4581 से संबंधित शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ..	13
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमि0, कानपुर का ग्यारहवां तथा बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्य विवरण 1976–77 तथा 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	13
राज्य कृषि उत्पादन परिषद् उत्तर प्रदेश के कतिपय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	13
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर का इक्कीसवां तथा बाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन 1978–79 तथा 1979–80 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गयी)	14
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश का वर्ष 1973–74 से 1978–79 तक का लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ..	14
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमि0 की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976–77 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	14
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (नवम संशोधन) नियमावली, 1981 एवं शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ..	14

U.P.L.A. Vol. 357 1982

विषय	पृष्ट संख्या
उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (पहला संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	15
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	15
शासनादेश के बावजूद पंचायत राज्य अधिकारी बुलन्दशहर द्वारा सत्र के दौरान जिले में मीटिंग बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	15–16
कतिपय सदस्यों द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के संबंध में जानकारी की मांग	16
थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर (बस्ती) श्री जगपत नाथ द्वारा विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न व कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	16–20
राजस्व राज्य मंत्री श्री रामनरेश शुक्ल के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	20–21
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	21–22
प्रदेश के ट्रक आपरेटर्स द्वारा बिना शर्त हड़ताल वापस लिये जाने की सूचना	22–23
ग्राम माधोपुर, थाना कटरा, जिला गोण्डा में पुलिस डकैत मुठभेड़ के संबंध में वक्तव्य ..	23–28
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	28–29
1982–83 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग तथा अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग (स्वीकृत)	30–46
अनुदान संख्या 14—गृह (कारागार) विभाग तथा अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ..	46–61
अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	61
अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग (ऋण, सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	61
अनुदान संख्या 48—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) (स्वीकृत)	61–62
अनुदान संख्या 49—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	62
अनुदान संख्या 50—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	62
अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि) (स्वीकृत)	62–63
अनुदान संख्या 58—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	63
अनुदान संख्या 59—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) (स्वीकृत)	63
अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	63–64
अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	64
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 (पारित) ..	64–75

135249

विषय	पृष्ठ संख्या
1981–82 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा ..	75–86
1981–82 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद् (स्वीकृत)	86
अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग (स्वीकृत)	86
अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	86
अनुदान संख्या 6—संस्थागत वित्त विभाग वृतिकर (बिक्रीकर) (स्वीकृत)	86–87
अनुदान संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) .. (स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या 8—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग (स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या 10—आबकारी विभाग (स्वीकृत) ..	87
अनुदान संख्या 11—परिवहन विभाग (स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय (स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या 17—सचिवालय (स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	89
अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	89
अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग (स्वीकृत) ..	89
अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग (स्वीकृत) ..	89
अनुदान संख्या 22—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ..	89–90
अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) ..	90
अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	90
अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	90
अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ..	90
अनुदान संख्या 27—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या 28—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या 29—सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या 31—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) (स्वीकृत)	91–92
अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	92

अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) .. 92
अनुदान संख्या 35—स्पोर्टस विभाग (स्वीकृत) 92
अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) .. 92
अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत) .. 93
अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) 93
अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) 93
अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत) 93
अनुदान संख्या 42—आवास एवं नगर भूमि विभाग (स्वीकृत) .. 94
अनुदान संख्या 43—सूचना विभाग (स्वीकृत) 94
अनुदान संख्या 44—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) .. 94
अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) .. 94
अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत) 94–95
अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग (स्वीकृत) .. 95
अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत) .. 95
अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग (स्वीकृत) .. 95
अनुदान संख्या 52—कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत) .. 95
अनुदान संख्या 53—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत) .. 96
अनुदान संख्या 55—ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत) .. 96
अनुदान संख्या 56—पंचायती राज विभाग (स्वीकृत) .. 96
अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) .. 96
अनुदान संख्या 59—पशुधन विभाग (स्वीकृत) .. 97
अनुदान संख्या 60—पशुधन विभाग (दुग्धशाला) (स्वीकृत) .. 97
अनुदान संख्या 61—मत्स्य पालन विभाग (स्वीकृत) .. 97
अनुदान संख्या 62—वन विभाग (स्वीकृत) .. 97
अनुदान संख्या 65—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) 97–98
अनुदान संख्या 67—विद्युत विभाग (स्वीकृत) .. 98
अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) (स्वीकृत) 98
अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) 98
अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) 98
अनुदान संख्या 74—पर्यटन विभाग (स्वीकृत) .. 99
अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत) 99
अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत) 99

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 80—न्याय विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	99
अनुदान संख्या 83—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	100
अनुदान संख्या 86—सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	100
अनुदान संख्या 87—पर्वतीय विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	100
अनुदान संख्या 88—उद्योग विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	100
अनुदान संख्या 92—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग पूंजीगत—परिव्यय) (स्वीकृत)	101
अनुदान संख्या 94—कृषि विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	101
अनुदान संख्या 98—खाद्य तथा रसद विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	101
अनुदान संख्या 99—पशुधन विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	101
अनुदान संख्या 102—वन विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	102
अनुदान संख्या 104—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या 105—सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या 106—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या 108—पर्यटन विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	103
अनुदान संख्या 113—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	103
अनुदान संख्या 116—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	103
अनुदान संख्या 117—पर्वतीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	103
अनुदान संख्या 120—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	104
अनुदान संख्या 121—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	104
अनुदान संख्या 124—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	104
अनुदान संख्या 127—वित्त विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	104
उत्तर प्रदेश विनियोग (1981—82 का तृतीय अनपूरक) विधेयक, 1982 (पारित)	105—116
गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद की सभाओं के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना	110
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 में विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन पर सहमति का प्रस्ताव (स्वीकृत)	110—112
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	112—113
मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ में पुलिस द्वारा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं पर लाठी चार्ज के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	113—116

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य

अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ए0पी0 ग्राइस, श्री आंग्ल भारतीय नाम निर्देशित
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्ण वीर सिंह, श्री — बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री — एटा
कैलाश टंडन, श्री — वाराणसी
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री — देवरिया
खुर्शेद अहमद, श्री — बहराइच
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवर्द्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर मैय्या, श्री — बलिया
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ

चारु चन्द्र ओझा ,श्री पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री बरेली
छतर सिंह, श्री बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री खीरी
जग बहादुर, श्री जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री इलाहाबाद
जटा शंकर सिंह, श्री बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री खीरी
जमुना प्रसाद, श्री बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री बरेली
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
जिया राम शुक्ल'बिकल साकेती' श्री फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री सुल्तानपुर
झिलमिट राम, श्री गाजीपुर
तपेश्वर, श्री आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री खीरी
त्रिवेनी, श्री आजमगढ़
दयाल कृष्ण, श्री मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री जालौन
दल सिंगार, श्री आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री मेरठ
दीना नाथ, श्री बस्ती
दीपक कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री देहरादून
धनीराम वर्मा, श्री इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती वाराणसी
धरमपाल, श्री बहराइच
धर्मवीर सिंह, श्री मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री बुलन्दशहर
ध्रुप राय, श्री देवरिया
नत्थू लाल, श्री हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री देवरिया
नन्द राम, श्री बरेली
नरेन्द सिंह, श्री मेरठ
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
नाजिर अली, श्री शाहजहांपुर
निर्भय नारायण सिंह, श्री उर्फ (लाल बाबू) बलिया
पंचानन राय, श्री आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री गोरखपुर
परमाई लाल, श्री हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री सीतापुर
पहलवान, श्री जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री हमीरपुर
प्रदीप मार यादव, श्री बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती लखनऊ
फखरे आलम, श्री बदायूं
फिरगी प्रसाद विशारद, श्री गोरखपुर
बशीधर, राज, श्री खीरी
बच्चा पाठक, श्री बलिया
बनवारी राम, श्री वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री इटावा
बलवीर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री उत्तर काशी
बाबू राम, श्री पीलीभीत
बाबू लाल, श्री गोण्डा
बाबू लाल, श्री हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री अलीगढ़
ब्रज किशोर मिश्र,डा० देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री कानपुर
भागीरथ, श्री झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री देवरिया
भूप सिंह केन, श्री गाजियाबाद

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोण्डा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	बाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मारकंडेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)	गोरखपुर
योगेश चन्द्र, श्री	बाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोण्डा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमा कान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राम किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा०	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शंकर सिंह, श्री	जालौन

शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिव नाथ सिंह कुशवाहा कुंवर	कानपुर
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल,	इलाहाबाद
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री	नैनीताल
सत्य पाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर
सीता राम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंस राज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ओला वृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(11 बजे पूर्वाह्न से)

जिला गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ओला वृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र उतरौला में किसान अभी सैलाब से सम्भलने ही नहीं पाया था कि अचानक भयंकर ओला वृष्टि से तथा चने में रोग के लग जाने से सम्पूर्ण चने की तथा अरहर की समाप्ति हो गयी है। इसी बीच सैलाबी क्षेत्र में बकाया लगान, तकावी, सहकारिता का कर्ज जबरन वसूल हो रहा है। क्षेत्र की हालत यह है कि भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है।

इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सारे उक्त कर्ज माफ किए जायें तथा अनुदान के रूप में छोटे किसानों को दिया जाय।

कोटद्वार गढ़वाल में भयानक बम विस्फोट से 3 व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, जनपद गढ़वाल के कोटद्वार स्थान में दिनांक 18-3-82 को भयंकर बम विस्फोट होने की वजह से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा अन्य कई घायल हो गये हैं।

इस अभूतपूर्व घटना की वजह से नगर में भयंकर भय एवं असुरक्षा का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतएव मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर गृह मंत्री से इस गम्भीर मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं।

प्रदेश के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गौरी शंकर भैय्या—

महोदय, उत्तर प्रदेश के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों ने जिनकी संख्या लगभग 6 लाख है वेतन एवं भत्ते के सम्बन्ध में घोषणाओं को पूरा न किए जाने के कारण अपनी सांकेतिक हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के इस निर्णय से प्रदेश के समस्त कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर चले गये हैं। इसके पूर्व अराजपत्रित कर्मचारियों ने अपने दो दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी जिससे प्रदेश के 50 जनपदों में सरकारी कामकाज पूर्णतया बंद हो गया था। आज से इस सांकेतिक हड़ताल को इन कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया है जिसके कारण प्रदेश के सभी कार्यालयों में सरकारी कार्य ठप्प हो गया है तथा जनपदों के सभी कार्यालयों में उपस्थिति नगण्य हो गयी है। इनकी प्रमुख मांगों में सरकार द्वारा इनके वेतन, भत्ते आदि पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा न करना है इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण उत्तर प्रदेश का सामान्य प्रशासन रुक गया है तथा विकास जनहित के कार्य रुक गये हैं। इससे जनता के अन्दर गम्भीर असंतोष उत्पन्न हो गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रामपुर शहर के सिविल लाइन एरिया में स्थित गंगापुर स्थान से आवास विकास परिषद् द्वारा बागवानों को उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। रामपुर शहर के सिविल लाइन एरिया में स्थित एक स्थान गंगापुर नामी है। यह गंगापुर पढ़ने से और सुनने से तो गांव लगता है लेकिन वास्तव में यह शहर का दिल है। यहां पर लगभग साढ़े तीन हजार बागवान सदियों से बसे हुए हैं। अंग्रेजी राज्य में रियासत के जमाने में इन लोगों को मामूली जमीन देकर यानी एक एकड़, दो एकड़ जमीन देकर इस पिछड़े वर्ग को बसाने और उनको पेट भर अन्न पैदा करने का इन्तजाम किया गया था। इन जगहों पर उन गरीब लोगों की आबाद बस्तियां हैं। धार्मिक स्थान हैं और रोजी का जरिया भी है परन्तु पिछले दिनों आवास विकास स्कीम के तहत उन गरीब लोगों को अविलम्ब अपने खेत छोड़ देने व मकानात खाली कर देने और मंदिरों को वीरान कर देने का हुकुम जारी हुआ।

मान्यवर, यह बड़े जुल्म की बात होगी कि सदियों से बसे गरीब लोगों की उनके रहने और रोजी कमाने की जगह से सिर्फ इसलिए महरूम कर दिया जाय कि उनकी कमजोर कराहतें इस सदन तक और सरकार के कानों तक नहीं पहुंच सकती। सरकार उनसे यह जमीन सोने के बदले कौड़ियां चुकाकर लेना चाहती है। गरीबों से घर छीन कर अमीरों के लिए कोठियां बनाने का यह सपना निन्दनीय है। यदि हम उस गरीब वर्ग को, जो वहां सदियों से आबाद है, को रोजी रोटी मकान नहीं दे सकते तो हमें यह सब छीन लेने का भी कोई हक नहीं पहुंचता।

इस मामले को लेकर उस वहां तथा उनसे हमदर्दी रखने वाली जनता में गमो-गुस्से की लहर पायी जाती है। यदि इस सरकार ने उन गरीबों को उजाड़ने के लिए बल का प्रयोग किया तो हालात संगीन होने की संभावना है?

मैं आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाते हुए आशा करता हूं कि अविलम्ब भेजे गये निर्देश, वापस लिए जायं और बसे हुए लोगों को न उजाड़ा जाय।

जालौन जनपद की कालपी तहसील में अधिकारियों की साठ गांठ से चीनी की चोर बाजारी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अत्यन्त लोक महत्व की घटना की ओर आपका तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 30-12-80 को जालौन जनपद की कालपी तहसील में कुछ अधिकारियों ने कालपी तहसील के कोटे की पूरी चीनी करीब 400 बोरे बजाये ग्रामों के कोटेदारों को उठवाने के (जैसी की सामान्य प्रक्रिया है) एफ0-सी0 आई0 के कालपी नगर के थोड़े से थोक विक्रेताओं को उठवा दी। जैसे ही चीनी के बोरे इन दुकानदारों के पास आये अधिकारियों ने देहाती क्षेत्र के कोटेदारों के फर्जी हस्ताक्षर करके पूरी चीनी की डिलवरी लेकर 500 रुपये फी बोरा ब्लैक लेकर बेच डाली और लाखों रुपये की कमाई कर डाली। जिला स्तर पर इस भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी किन्तु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

जन प्रतिनिधियों तथा नागरिकों की शिकायत पर शासन ने उक्त भ्रष्टाचार की जांच विजीलेंस द्वारा कराये जाने का समाचार मिलते ही उन दोषी अधिकारियों ने अपने गले से फंदा निकाल कर अपने बचाने के लिये दूसरी चाल चली। इन अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के तत्कालीन कोटेदारों के विरुद्ध पुलिस में फर्जी रिपोर्ट करवायी कि सभी कोटेदारों ने चीनी लेकर ब्लैक में बेची है। बहुत से कोटेदारो को पुलिस ने जेल भेज कर चार्ज शीट लगा दी है। अपने कुकृत्य पर पर्दा डालने के लिये अधिकारियों ने निर्दोष कोटेदारों पर जिनकी संख्या करीब 100 है पुलिस केस चलवाये हैं।

मेरी शासन से मांग है कि कालपी तहसील के चीनी घोटाला कांड में जो फर्जी रिपोर्ट करा कर चार्ज शीट लगायी जा रही है उनको अविलम्ब रुकवाया जाय तथा विजिलेंस विभाग द्वारा ही सम्पूर्ण कांड की जांच करायी जाय। जो दोषी अधिकारी हैं उनका अविलम्ब स्थानान्तरण किया जाय क्योंकि वे अपने पद का दुरुपयोग करके ही निर्दोष लोगों को फंसा रहे है और स्वयं दोषी होते हुये भी अभी चैन की बंशी बजा रहे हैं।

प्रदेश के परिवहन निगम के बस स्टैण्डों पर व्याप्त गन्दगी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, आजकल उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के बस स्टैण्डों पर घोर गन्दगी व्याप्त है। विभाग के अधिकारी सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मूत्रालयों, शौचालयों की हालत गन्दगी के कारण अत्यन्त सोचनीय है। अड्डों के आसपास भी गन्दगी के ढेर लगे हुये हैं। बसों की एवं अड्डों की सफाई नहीं हो रही है। इस कारण से यात्रा करने वाले यात्रियों एवं अन्य व्यक्तियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है इन बस अड्डों पर बिकने वाली मिठाई, फल आदि भी सड़े गले बिक रहे हैं। पानी की टंकियों में जहरीले कीटाणु व्याप्त हैं। क्योंकि टंकियों की सफाई समुचित रूप से नहीं हो रही है। इस कारण अनेकों स्थानों से अनेकों यात्रियों की बीमारी की सूचनाये प्राप्त हो रही हैं। खाद्य पदार्थों में भारी मिलावट का कार्य जोरों पर चल रहा है। इस सब में विभागीय अधिकारियों की पूरी सांठ गांठ है। इसका कुप्रभाव प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस गम्भीर विषय पर आपका एवं सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि भविष्य में इस गन्दगी एवं मिलावट के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां फलने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस ओर तुरन्त ध्यान देकर यद्ध स्तर पर कार्यवाही कराने की कृपा करें।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आगरा जिले के एक महत्वपूर्ण मामले को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

आगरा जिले में बढ़ती हुई आगरा नगर की आबादी अब गांवों की ओर फैलने लगी है। जिसमें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण किसानों की जमीन का अधिग्रहीत कर विभिन्न आवासीय या सार्वजनिक उपयोगी योजनाओं का क्रियान्वित कर रहा है। इससे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है। विकास प्राधिकरण ने न तो किसानों का उनकी जमीन का उचित मूल्य ही दिया है और न शहरी क्षेत्र में मिलने वाली शहरी भूमि की सीमाबन्दी के अन्तर्गत 1500 मीटर की छूट ही उपलब्ध करायी है। इस स्थिति से प्रभावित गांव मऊ ककरैठा, सरायबेगा, गहलाना आदि गांवों के किसान पूरी तरह बर्बाद हो गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिजय सिंह खान.]

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि जिन गांवों की किसानों की खेती की जमीन शहरी आवासीय या अन्य प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत अधिग्रहण की जा रही है उन किसानों को बाजारी कीमत पर उनकी जमीन की कीमत दी जाय, 1500 मीटर की जो छूट शहरी भूमि सीमाबन्दी के नियमों के अन्तर्गत नगर के लोगों को उपलब्ध है, वह गांव के लोगों को भी उपलब्ध करायी जाय और खेतिहर जमीन के न रहने से जो किसान बर्बाद हो रहे हैं और जिनके पास कोई धन्धा नहीं रह गया है, उन्हे सरकार की ओर से धन्धा या रोजगार उपलब्ध कराये जाय ।

जनपद मुरादाबाद के थाना हजरतनगर की पुलिस द्वारा ग्राम कुकनाला निवासी श्री अली जान व उसके भाई को इन्काउन्टर में मारे जाने के सबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

महोदय, थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद मुरादाबाद में दिनांक 13–3–82 की शाम को 5 बजे रशीद अली तथा शरीफउल्ला निवासी बुकनाला थाना असमोली को घर से पकड़ कर इन्काउण्टर किया गया । श्री राशिद अली का भाई अली जान जो हाइडिल सबस्टेशन गढ़ी पर पेट्रोलमैन है को जब विदित हुआ कि उसके भाई को पुलिस वाले घर से पकड़ कर लाये हैं, तो दिनांक 13–3–82 की शाम को थाना हजरतनगर गढ़ी में मालूमात किया। श्री अलीजान को पुलिस वालों ने पकड़ कर बैठा लिया।

ज्ञात हुआ है कि रात में किसी समय श्री अलीजान को भी इन्काउन्टर करके जान से मार दिया और उसकी लाश दिनांक 14–3–82 की सुबह 6 बजे ग्राम ग्वालखेड़ा थाना बिलारी के पास फेंक दी, इस गम्भीर घटना के बाद गढ़ी के हाइडिल सब स्टेशन के जूनियर इंजीनियरों ने दिनांक 14–3–82 को ही जिलाधिकारी मुरादाबाद तथा डी0 आई0 जी0 को तार द्वारा सूचना दी और हाइडिल विभाग के सारे ही कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस अत्याचार के विरोध में हड़ताल वगैरह की नोटिस भी दे दिया जिसकी वजह से हाइडिल विभाग के सारे कर्मचारियों में तथा अन्य विभाग के भी एसोसियेशन और यूनियन में श्री अलीजान के इनकाउन्टर पर व्यापक रूप से अविश्वास, असंतोष की भावना उत्पन्न हो गयी है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत गृह मंत्री का ध्यान सदन के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं ।

लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज में भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा बनाई जा रही नालियों में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बक्स रावत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका विवरण निम्न है:—.

विकास खण्ड गोसाईगंज, जनपद लखनऊ के अधीन भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा शारदा सहायक कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत नहर की कच्ची एवं पक्की नालियों का निर्माण कराया जा रहा है । इन नालियों का निर्माण 1–16 के अनुपात से सीमेन्ट और बालू लगा कर कराया जा रहा है । प्राप्त सूचना के अनुसार करीब 10 लाख रुपया अधिकारियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर्मचारियों द्वारा सीमेन्ट और ईटों को बेच कर कमाया जा चुका है। ग्राम शिवलर में जमालपुर माइनर के कुलावा नं0 5 में नाली बनाई जा रही है उसमें भी 1–16 के अनुपात से सीमेन्ट और बालू का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से पक्की नालियों में जो फर्जी काम हो रहा है, उससे जनता के धन का तो काफी दुरुपयोग होगा ही साथ ही शासन द्वारा दुबारा जनता से धन वसूला भी जायेगा। इस अनुचित निर्माण कार्यों से जहां शासन का भी इस योजना से जहां पानी बर्बाद होने से बचाने का कार्य होना था, वहीं पानी तो बर्बाद हो ही रहा होगा तथा जनता से इसकी वसूली राजस्व करों के बकाया की भांति की जायेगी। ज्ञातव्य है कि इस विभाग के अधिकारी खराब ईटों का मूल्य अच्छे ईटों के मूल्य के बराबर दिया है। ईट एवं सीमेन्ट की बिक्री हो रही है, जिसके कारण सम्पूर्ण विकास खण्ड क्षेत्र में किसानों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार एवं कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस जन विरोधी कार्य को तुरन्त रोककर टी0 एस0 सी0 अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त मसाले एवं ईंटों का परीक्षण करायें व दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही करें ताकि भविष्य में ठीक ढंग से नालियां बन सकें और इस ढंग से बनी नालियों को पुनः बनवा कर जन असंतोष एवं निराशा दूर करने का कष्ट करें।

बुलन्दशहर से खानपुर के बीच चलने वाली बसों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छत्तर सिंह—

मान्यवर, मेरे क्षेत्र स्याना जनपद बुलन्दशहर में एक प्राइवेट मोटर बस सर्विस कस्बा खानपुर में शुरू होकर जनपद के मुख्यालय तक जाती है। खानपुर स्वयं एक बहुत बड़ा कस्बा है तथा इनीस मार्ग के मध्य लखवटी एवं औरंगाबाद जैसे मुख्य स्थान भी पड़ते हैं। आज के लगभग 20 वर्ष पूर्व इस मार्ग पर दस प्राइवेट बसें चला करती थीं। तथा आज भी 20 साल बाद वही स्थिति है। इस मार्ग पर दस बसों का होना पूर्णतया अपर्याप्त है। 20 वर्ष के काल में इस क्षेत्र की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है जिसको देखते हुए इस मार्ग पर शासन की बसों की संख्या दुगनी कर देनी चाहये थी। मार्ग पर चलने वाली बसों की दशा भी बहुत खराब है। बस में चढ़ते समय यात्रियों के कपड़े तक फट जाते हैं तथा कुछ बसों की बाडी तो पूर्णतया हिलती रहती है। स्थिति इतनी दयनीय है कि बसों की छत पर लगभग उतनी ही सवारी बैठती हैं जितनी कि अन्दर। गर्भवती महिलायें एवं बच्चे वाली महिलाओं तक को ऊपर बैठने के लिये मजबूर होना पड़ता है तथा बस के अन्दर भी लगभग सौ सवारियों को जबरदस्ती बैठाया जाता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या पर आकर्षित करता हूं तथा मांग करता हूं कि इस मार्ग पर बसों की संख्या व दशा सुधारें जिससे जनता को राहत मिले।

कानपुर देहात में डकैतियों की भरमार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल देहलवी—

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर लोक महत्व के निम्न चिन्तनीय समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही किये जाने की मांग कर रहा हूं।

इन दिनों जनपद कानपुर देहात में डकैतियों का तांता लगा हुआ है। एक पखवारे में 20 से अधिक डकैतियां पड़ चुकी हैं। विगत 10 मार्च, 82 की एक रात में ही पांच

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती लाल देहलवी]

डकैतियां पड़ चुकी है। इन पांच डकैतियों में एक ग्रामीण जान से मारा गया और लगभग 10 लोग आहत किये गये हैं तथा एक लाख की सम्पत्ति लूटी गयी है। यह पांच डकैतियां थाना शिवराजपुर, थाना घाटमपुर, थाना सिकन्दरा थाना गजनेर तथा थाना विधून से संबंधित गांवों में हुई हैं।

डकैती के मामले में सबसे खराब हालत तहसील घाटमपुर की है जहां लगभग प्रति दिन एक डकैती हो रही है। यह डकैतियां एक ऐसा व्यक्ति डाल रहा है, जो एक स्थानीय नेता का सम्बन्धी है।

सभी डकैतियां पुलिस की वर्दी में डाली जा रही हैं।

चूंकि पुलिस के बड़े अधिकारी राजनैतिक लोगों के प्रभाव में है, इसलिये डकैतों को पकड़ना या डकैतियों को रोका जाना सम्भव नहीं रह गया है।

कानपुर देहात की जनता में महान चिन्ता, भय तथा आतंक व्याप्त है। इसलिये स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था की आवश्यकता है।

(11 बजकर 28 मिनट)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कतिपय श्रेणी के सदस्यों का नाम निर्देशन) नियमावली, 1981†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या 6527–बी/33–2–18 जी/81–यू0 पी0 ए0 33–1961 –नियम–1981, दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कतिपय श्रेणी के सदस्यों का नाम-निर्देशन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 237 (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (कतिपय श्रेणी के सदस्यों का नाम निर्देशन) नियमावली, 1981†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायतीराज अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या 6528–बी/33–2–18 जी/81–यू0 पी0 ए0–33–1961–नियम 1981, दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कतिपय श्रेणी के सदस्यों का नाम निर्देशन,) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 237 (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1981†

पंचायतीराज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या 6529–बी/33–2–74–जी 81 यू0 पी0 ए0–33–61–नियम–1963–संशोधन (2) नियम–1981, दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1981†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या 6530–बी/33–2–74जी/81–यू0पी0ए0–33–61–नियम–62–संशोधन (5) 1981, दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, अधिनियम 1961 की धारा 237 (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 से संबंधित शुद्धि-पत्र†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग (1) की अधिसूचना संख्या 196–सी–1/12सी0ए0–5 (1)–69बी, दिनांक 15 जून, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र संख्या 3482/12सी–1–81–7 (4)–77, दिनांक 11 सितम्बर, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982††

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या एस0टी0–2–9489दस–3–(1)–75–ऐक्ट–74–56–नियम–57संशोधन (प्रथम) 1982, दिनांक 1 जनवरी, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23–क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1981†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सहकारिता (1) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 3723/12–सी–1–81–7 (3)–1977–यू0पी0ए0–11/1966 –रूल–1968ए0एम0 (12)1981, दिनांक 7 नवम्बर 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उप धारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1981†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 6366–टी/तीस–4–11–पी–79, दिनांक 14 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 की धारा 32 (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम लिमिटेड के कतिपय वर्षों के प्रतिवेदन एवं लेखे††

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चल चित्र निगम लिमिटेड का प्रथम, वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1975–76, द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1976–77, तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1977–78, चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1978–79 तथा 5वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1979–80 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (दसवां संशोधन) नियमावली, 1981†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग–2 की (1) अधिसूचना संख्या 6343/बी/33–2–190/71–यू0पी0ए0–33–61–नियम–70–संशोधन (10)–1981, दिनांक 28 नवम्बर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद सेवा (दसवां संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237–की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (पंचम संशोधन) नियमावली, 1981†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 6242–बी/33–2–2–/74–यू0 पी0 ए0–33–61–नियम–72–संशोधन (5) 1981, दिनांक 28 नवम्बर, 1971 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (पंचम संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन†††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं कार्मिक, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन को ज्ञापन सहित (भारत का संविधान) के अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

आगरा मण्डल विकास निगम लि० की प्रथम तथा द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976–77, 1977–78 एवं गोरखपुर मण्डल विकास निगम लि० की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1977–78†††

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं आगरा मंडल विकास निगम लि0 की प्रथम तथा द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा–विवरण 1976–77, 1977–78 एवं गोरखपुर मंडल विकास निगम लिमिटेड की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1977–78 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।
††छापी नहीं गयी।
†††छापा नहीं गया।

दि इण्डियन टर्पेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की छप्पनवीं वार्षिक रिपोर्ट 1979–80†

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं दि इंडियन टर्पेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की छप्पनवीं वार्षिक रिपोर्ट 1979–80 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त बिक्रीकर अनुभाग–2 की विज्ञप्ति†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–5785 दस–10–(1)–80–उ0 प्र0 अधि0–15–48–आदेश–81, दिनांक 7 सितम्बर, 1981 में संशोधन से संबंधित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–91 79/दस–9 (188)/81–उ0 प्र0 अधि0–15/48–आदेश–82, दिनांक 30 जनवरी, 1982 को उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त बिक्रीकर अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०–2–4581 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र††

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–4581–दस–5 (2)–79–उ0 प्र0 अधि0–15/48–नियम–1948 संशोधन (द्वितीय) 1981, दिनांक 1–10–81, जो दिनांक 4 फरवरी, 1982 को सदन के पटल पर रखी गयी थी, से संबंधित शुद्धि–पत्र संख्या एस0 टी0–2–8419–दस–5 (2)–79, दिनांक 16 जनवरी, 1982 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, कानपुर का ग्यारहवां तथा बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्य विवरण 1976–77 तथा 1977–78††

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 कानपुर का ग्यारहवां तथा बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्य विवरण 1976–77 तथा 1977–78 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कृषि उत्पादन परिषद उत्तर प्रदेश के कतिपय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट†

कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राज्य कृषि उत्पादन मंत्री परिषद उत्तर प्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1973–74, 1974–75, 1975–76, 1976–77, 1977–78 तथा 1978–79 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 26–ढ (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर का इक्कीसवां तथा बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन 1978–79 तथा 1979–80†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)––

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का इक्कीसवां तथा बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन 1978–79 तथा 1979–80 को कंपनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982††

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (मनोरंजन-कर) अनुभाग की अधिसूचना संख्या बीस–आर (2)/81–वित्त (म0 कर) अनु0 यू0 पी0 ए0–3–1956–रूल–1951–ए0 एम0–(2)–1981, दिनांक 11 जनवरी, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1982 को उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 13 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश का वर्ष 1973–74 से 1978–79 तक का लेखा विवरण†

कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश का लेखा विवरण वर्ष 1973–74, 1974–75, 1975–76, 1976–77, 1977–78 तथा 1978–79 को उत्तर प्रदेश कृषिउत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की धारा 26 एफ (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976–77†

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976–77 को कंपनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 19–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (नवम संशोधन) नियमावली, 1981 एवं शुद्धि–पत्र† †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 2483–बी–33–2–26 जी/80–यू0 पी0 ए0–33–1961–नियम–1970–संशोधन (9)–1981, दिनांक 16–7–1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद सेवा (नवम संशोधन) नियमावली, 1981, एवं शुद्धि–पत्र संख्या यू0 ओ0–103 डी/33–2–550–78 टी0 सी0 ग्राम्य विकास–4, दिनांक 24–6–81, जो एक अधिसूचना संख्या 2865 बी0/यू0 पी0 ए0–33–1961–रूल–1978, दिनांक 29–7–1978 (उ0 प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् स्थानीय निकाय योजना के अधीन सहायक अनुदान) नियमावली, 1978 से संबंधित है, को बिलम्ब के कारण सहित उ0 प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (पहला संशोधन) नियमावली, 1979†

राजस्व उप मंत्री (श्री सरजू प्रसाद सरोज)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राजस्व अनुभाग की अधिसूचना संख्या 18-1 (10) 78-1-5-यू0 पी0 ए0-4/77-रूल-77 ए0 एम0 (1)/79 दिनांक 25 मई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उ0 प्र0 ऋण अनुतोष (पहला संशोधन) नियमावली, 1979 को, जो दिनांक 4 सितम्बर, 1979 को विधान सभा के उपवेशन में सदन के पटल पर रखी गयी थी परन्तु सदन के पटल पर रखने की निर्दिष्ट कालावधि पूरी न कर सकी, को बिलम्ब के कारण सहित उ0 प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 (क) की उपधारा (1) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982" को उसमें विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन सहित सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधेयक, विधान सभा द्वारा 10 फरवरी, 1982 को पारित किया गया था और 19 मार्च, 1982 को विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन सहित प्राप्त हुआ है।

शासनादेश के बावजूद पंचायत राज अधिकारी बुलन्दशहर द्वारा सत्र के दौरान जिले में मीटिंग बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

[11 बजकर 32 मिनट]

श्री छत्तर सिंह---

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न इसलिये दिया कि पिजन होल से सभी सदस्यों को दो कापियां मिलीं होंगी। एक सूचना सचिव, विधान सभा की तरफ से थी और एक मुख्य सचिव की तरफ से थी कि उन्होंने एक वायरलैस कर दिया है जिलाधीशों को कि जब तक विधान सभी की बैठक चलेगी, वे कोई बैठक नहीं बुलायेंगे। दूसरी सूचना, सचिव विधान सभा की तरफ से थी कि मुख्य सचिव का आदेश चला गया है और अब कोई बैठक विधान सभा सत्र में नहीं बुलायी जायगी। उसके बाद मेरे जनपद में 18-3-82 को मीटिंग करने के लिये ग्रामीण योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत, एक सूचना वहां के पंचायत राज अधिकारी ने 11-3-82 के दस्तखत से जारीकी और 18-3-82 को मीटिंग की गयी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वायरलेस के बावजूद और मा0 अध्यक्ष के आदेशों के बावजूद भी मीटिंग का आयोजन किया गया। इससे सभी विधान सभा के सदस्यों के अधिकारों की अवहेलना हुई है और शासन के आदेशों की अवहेलना जिला पंचायत राज अधिकारी ने और जिसने मीटिंग आयोजित करायी, इन दोनों ने मिलकर की है। यह मेरा औचित्य का प्रश्न था।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, यह आदेश बहुत स्पष्ट भेजे गये थे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को माननीय छत्तर सिंह जी ने जो सूचना दी है, मैं समझता हूं कि काफी गम्भीर है, शासन के आदेश की इस तरह अवहेलना हुई है। सारे तथ्यों की जांच कराकर जो भी अधिकारी दोषी होगा, आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, मेरा एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष—

वही तो है, जिसके सम्बन्ध में सूचना आयी है?

श्री कुंवर सिंह नेगी—

नहीं मान्यवर, दूसरा है।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, आप बैठ जायं। आपकी जो सूचना आयी है, आज आयी है,

जहां तक माननीय छत्तर सिंह जी ने जो बात बतायी और उस पक्ष पर मा० डा० अम्मार रिजवी ने भी रोशनी डाली है, तो मैं माननीय मंत्री जी को पुनः कहूंगा कि इस संबंध में उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उसके संबंध में जो भी कार्यवाही आवश्यक हो, वह करें। इस संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति मैं नही देता हूं।

कतिपय सदस्यों द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

(11 बजकर 35 मिनट)

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैंने भी एक विशेषाधिकार की सूचना दी है वह दूसरे विषय से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी, आपकी जो सूचना आयी है यह नियमानुकूल नहीं है। इसकी एक ही प्रति आयी है। इसकी और प्रतियां कराकर जो नियमानुकूल है, फिर इसे भेज देंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना विशेषाधिकार की है।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, मैंने भी सूचना दी है कि थानेदार कहता है कि तुम हमारे खिलाफ हाउस में कहते हो इसलिये मैं तुमको देख लूंगा। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी जो सूचनाएं प्राप्त हुई है, वह शासन को भेज दी गयीं है। उनका उत्तर अभी ही मिल जाय, यह सम्भव नहीं है। जिनमें सम्भव है उनमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, हमारा विशेषाधिकार का प्रश्न है।

थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर (बस्ती) श्री जगपत नाथ द्वारा विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न व कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

[11 बजकर 36 मिनट]

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो सूचना माननीय माता प्रसाद जी से संबंधित है वह बड़ी गम्भीर है। यदि माता प्रसाद जी को आप दो मिनट दे दें तो पता चल जायेगा कि इसकी स्थिति क्या है नहीं तो आज के बाद सदन उठ जायेगा और फिर लम्बे अरसे के बाद बैठक होगी। श्रीमन् इनको सुन कर इनकी सुरक्षा का तुरन्त कोई प्रबन्ध करवा दें, तो अच्छा हो।

श्री मोहन सिंह---

श्रीमन्, इसको माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में तथा कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में भी हमारे साथी ने इसको दिया है। मान्यवर, पूर्व परिपाटी यह रही है कि माननीय सदस्यों से संबंधित जब कोई प्रकरण होता है, उनके मान-सम्मान की सुरक्षा के लिये प्रश्न होता है तो सदन में उस पर विचार होता रहा है। माननीय पाण्डेय जी विधान सभा के सदस्य ही नहीं हैं बल्कि एक जाकरुक साथी हैं। संबंधित थानेदार ने इनके साथ जैसा व्यवहार किया है वह एक विचित्र घटना है। आप इन्हे सुन लें विशेषाधिकार के रूप में या फिर कार्य स्थगन प्रस्ताव के रुप में ही आप इन्हे सुन ले। यह प्रश्न उठाने की मंशा यही है कि तत्काल शासन को जबाव देने मे समय लगता है। यह प्राग्दर्शन में बनता है या नहीं, इसमें भी समय लगता है। इन्हें सुरक्षा के लिये तत्काल कोई व्यवस्था जो हो सके, वह देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने एक कार्य स्थगन की सूचना दी है, एक विशेषाधिकार के रूप में भी दी है। उनका एक तार भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी बात मुझसे बताई भी थी। यदि वे सदन में कहना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि कार्यस्थगन के रूप में एक मिनट में अपनी बात को कह दें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। वहां पर बराबर अन्यायी सामान्तशाही स्वभाव के लोग सक्रिय रहते हैं और देहातों से लड़कियां लाकर बेच देते हैं। हरिजन की लड़की के साथ दरोगा द्वारा बलात्कार किये जाने की जो बात मैंने उठाई। माननीय अध्यक्ष की अनुमति से यह मामला यहां सदन में 4 तारीख को उठा और 5 तारीख को जांच हो गयी और जांच की रिपोर्ट आ गयी। मान्यवर, जो यह मामला है इसमें मेरे द्वारा कहने पर कि थानाध्यक्ष ने बलात्कार उसके साथ किया, इस कार्यवाही से मान्यवर, वह चिढ़ गया। मैं 18 तारीख को घर गया था। 19 को मेरी पत्नी बीमार थी। इटावा मुख्यालय से लाने के लिए जा रहा था। दस कदम आबादी से बाहर, थानाध्यक्ष दो हिस्ट्रीशीटरों को साथ लिये, उसका नाम जयपथनाथ, थानाध्यक्ष तिलोकपुर हैं, मान्यवर 22 वर्षों से मेरा राजनीतिक जीवन है, न तो विरोधियों के साथ कोई व्यक्तिगत दोष रखा न प्रतिद्वन्दियों के साथ, इसीलिए मान्यवर, मैं हमेशा अकेला चलता हूं, मेरे सामने मोटर साइकिल लाकर खड़ी कर दी और कहने लगे कि मेरे खिलाफ हाउस में बोलते हो, मेरा हाउस में बलात्कार का मामला उठाते हो, देखता हूं कैसे यहां से जाते हो और वे हिस्ट्रीशीटर मोटर साइकिल से उतर गये। तब मैंने उनसे कहा कि मुझसे झगड़ा क्यों करते हो? अगर झगड़ा करना ही चाहते हो तो आबादी में चलो। मान्यवर, मैं उन शब्दों को यहां नहीं कहना चाहता लेकिन अगर शासन में मेरी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो मुझे भी मजबूर हो कर वे सारे काम करने पड़ेंगे जो इस शासन के लिए कष्टदायी होंगे। उस थानेदार के खिलाफ 301 में भी मामला उठाया गया। आप को स्मरण होगा और पहले भी पत्र लिखा था। मेरी जान को हमेशा खतरा बना हुआ है। डकैत भी आकर धमकी दे गये हैं। एस0पी0 से भी मिले तो उन्होंने कहा कि आप के पास तो विधान सभा है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं। उन्होंने अपनी कह दी। इस संबंध में 20 तारीख को विशेषाधिकार की अवमानना का प्रश्न भी आया था और 20 तारीख को ही शासन को उसे भेज दिया गया था। आज जो बातें कहीं वह निश्चित रूप से एक गम्भीर बात मालूम होती है। इसलिये मैं इस संबंध में तत्काल शासन को प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देशित करता हूं और यह चाहता हूं कि शासन इस संबंध में प्रभावी कदम उठाये।

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी)—

कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी और दोषी व्यक्तियों को सख्त सजा दी जायगी।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

यह वचन दें, मान्यवर .....

(अत्याधिक शोर)

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जायगा तत्काल प्रभाव से।

(शोर के मध्य)

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

माननीय विधायक महोदय की इसी समय सुरक्षा का तत्काल प्रबन्ध कर दिया जायगा—उनकी सुरक्षा की, यह हमारी जिम्मेदारी है।

(व्यवधान—अत्याधिक शोर)

श्री मसरूर जाफरी—

थानेदार को वहां से हटाया जाय मान्यवर .....

(श्री मसरूर जाफरी सदन के फ्लोर पर आकर खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष—

जाफरी साहब, आप अपने स्थान पर वापस जायें।

(श्री मसरूर जाफरी यह कहते हुए कि "मैं नहीं हटूंगा" सदन के फ्लोर पर बैठ गये। इस बीच श्री मोती लाल देहलवी उनको वापस ले जाने का प्रयास कर रहे थे। बाद में श्री कमाल युसूफ भी आ गये और श्री मोती लाल देहलवी के साथ प्रयास करके श्री मसरूर जाफरी को हाथ पकड़ कर वापस उनके स्थान पर ले गये)

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

आपकी आज्ञा से कार्यवाही की जायगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

*श्री मुख्तार अनीस—

आपने माननीय सदस्य श्री माता प्रसाद जी से पूरी बातें सुन ली। एक तरह से डकैतों को मिलाकर उनको धमकी दी गई। मान्यवर, इस तरह की रोजाना कोई न कोई घटना हो रही है और उससे ऐसा आभास होता है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर राजनैतिक लोगों की जान सुरक्षित नहीं है। मेरी मान्यवर, पहली मांग यह है कि उसका अविलम्ब स्थानान्तरण हो और उसको अविलम्ब मुअत्तल किया जाय ताकि उसको इस बात का एहसास हो जाय कि राजनैतिक लोगों से उलझने का क्या परिणाम हो सकता है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा—

यदि उसको तत्काल मुअत्तल नहीं किया जायगा तो सदन की कार्यवाही आगे नहीं चलेगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

(श्री खैरूल बशर, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मुहम्मद आजम खां के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग बैठ जायं ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जब यह गये थे तो मैं भी अपने क्षेत्र का दौरा करने गया था । यह बात सही है कि यदि यह भागे न होते तो यह जान से भी मारे गये होते । उस दरोगा के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये । मैं उसके खिलाफ शासन से मांग करता हूं कि जो भी कार्यवाही हो वह तुरन्त की जाय और उसे तत्काल सदन में बता दिया जाय ।

(श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री राम आसरे वर्मा तथा अन्य कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग बैठ जायं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । आपके क्षेत्र से संबंधित नहीं है । उनके क्षेत्र से संबंधित थी, उन्होंने कह दिया ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

यह समस्या क्षेत्र की नहीं है । यह समस्या सारे राजनैतिक जीवन से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

जिस थानेदार ने उनको पिस्तौल दिखाया उसको तत्काल निलंबित कर देना चाहिये । माननीय सदस्यों का इस तरह से अपमान होता रहे, यह नहीं हो सकता है । उसको तत्काल निलंबित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

यह हम लोग रोज भुगत रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जांय। कृपया आप सब लोग शान्त हो जाय।

माननीय माता प्रसाद जी ने जो उनके साथ घटना हुई है, उसका कुछ विवरण सदन में दिया और उस सम्बन्ध में जो जानकारी और अन्य माननीय सदस्यों को विरोधी पक्ष को थी, उन्होंने अपनी उग्र भावनाओं को उस सम्बन्ध में व्यक्त किया और उसके साथ ही शासक पक्ष के सदस्यों ने भी जो उस क्षेत्र के आस पास के थे या अन्यथा उससे कुछ दूर के थे उन्होंने भी ठीक उसी प्रकार से अपनी भावनायें व्यक्त कीं जिस तरह से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें, अपने विचार व्यक्त किये हैं। इन सारी बातों को देखते हुए और माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वे इस पर अपनी बात कहें और उसके लिए कोई ऐसी सन्तोषजनक बात यहां करें जिससे कि माननीय सदस्यों को सान्त्वना मिले और वे इस के सम्बन्ध में आश्वस्त हों।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, पक्ष व विपक्ष की भावनाओं को सुनने के बाद और उससे सम्बन्धित जो आपकी भावना है उसको समझने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उस दरोगा को, जिसने इतना जघन्य अपराध किया है और माननीय विधायक के ऊपर हमला करने की बात हमने सुनी, आप लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए, उसको सस्पेंड करने के बाद, उसकी इन्क्वायरी करायी जायेगी और उसके लिये जो भी जितना दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अब गृह मंत्री को आप लोग बधाई दीजिये। शेरनी ने आपका काम पूरा कर दिया है।

राजस्व राज्य मंत्री, श्री राम नरेश शुक्ल के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[11 बजकर 51 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना पहले आयी थी जिस पर अपना निर्णय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

"श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 26 फरवरी, 1982 को श्री राम नरेश शुक्ल, राजस्व मंत्री, राजस्व के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना वे सदन के अवमान के प्रश्न की एक सूचना दी है जिसमें उनका कहना है कि उक्त दिनांक के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय राजस्व राज्य मंत्री ने बताया कि "सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध जांच चल रही है।" इसके बाद एक अन्य पूरक प्रश्न के सम्बन्ध में उनके द्वारा यह पूछे जाने पर कि सम्बन्धित कर्मचारी की जांच कौन अधिकारी कर रहा है, और अन्तिम रिपोर्ट क्या है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि "कोई जांच नहीं चल रही है।" माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय राजस्व राज्य मंत्री ने अपने उक्त उत्तर से उनके विशेषाधिकार का हनन किया और सदन का अवमान किया।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व राज्य मंत्री श्री शुक्ला से वस्तु स्थिति पूछी थी। माननीय राज्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 2 मार्च, 1982 द्वारा मुझे सूचित किया है कि श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के उक्त प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 1981 की जांच के बाद श्री मुनीन्द्र लाल श्रीवास्तव, सहायक वासिल नवीस, तहसील महाराजगंज का स्थानान्तरण तहसील फरेन्दा में कर दिया गया है तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह कार्यवाही पर्याप्त समझी गयी। उक्त राज्य मंत्री ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उनके मुख से मंशा के

विपरीत गलती से निकल गया कि जो शिकायत है उसकी जांच करायी जा रही है, परन्तु तुरन्त उसके बाद दूसरे प्रश्न पर माननीय राजस्व मंत्री ने वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि कोई ऐसी शिकायत नहीं है जिसमें बड़ी भारी गम्भीरता उसमें दी गयी हो, स्थानान्तरण कर दिया गया है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से पर्याप्त है तथा आगे अनुपुरक प्रश्न पर उन्होंने अर्थात् राज्य मंत्री ने भी स्पष्ट किया था कि इस समय कोई जांच नहीं कर रहा है ।

दिनांक 26 फरवरी, 1982 की कार्यवाही का सम्बन्धित अंश देखने से स्पष्ट है कि संदर्भित प्रश्न के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में माननीय श्री रामनरेश शुक्ल ने उसी दिन वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी थी तथा उनके लिखित स्पष्टीकरण से भी विदित होता है कि उनका सदन को गुमराह करने का उद्देश्य नहीं था। इस प्रकार प्रश्नगत मामले में उक्त राज्य मंत्री नें जानबूझकर सदन में कोई गलत बयानी नहीं की है। अतः मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रुप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

(11 बजकर 55 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति नें अपनी दिनांक 22 मार्च, 1982 की बैठक में अपनी दिनांक 19 मार्च, 1982 की बैठक में लिए गये निर्णय को संशोधित करते हुए यह सिफारिश की है कि विधान सभा का 22 मार्च, 1982 से 8 अप्रैल, 1982 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रुप में निर्धारित किया जाय—

मार्च, 1982	
22 सोमवार	अपराह्न 3 बजे तक :—
	वित्तीय वर्ष 1982–83 के आय व्ययक की मांगों पर मतदान ।
	अपराह्न 3.00 बजे से 3.30 बजे तक :—
	उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
	अपराह्न 3.30 बजे से 5.30 बजे तक :—
	वित्तीय वर्ष 1981–82 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
	अपराह्न 5.30 बजे से :—
	उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में विधान परिषद द्वारा दिए गये संशोधनों पर विचार— आधा घन्टा ।
23 मार्च से 4 अप्रैल 1982 तक	बैठक नहीं होगी ।
अप्रैल, 1982	
5 सोमवार	(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार एवं उसका पारण—एक घंटा ।

[श्री अध्यक्ष]

(ख) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार—आधा घंटा ।

(ग) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद विधेयक, 1982 पर विचार एवं उसका पारण—तीन घंटा ।

6	मंगलवार	बैठक नहीं होगी ।
7	बुधवार	असरकारी कार्य ।
8	गुरुवार	असरकारी कार्य ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिनकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के ट्रक आपरेटर्स द्वारा बिना शर्त हड़ताल वापस लिये जाने की सूचना

(11 बजकर 57 मिनट)

*सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, एक सूचना सदन को देनी है । ट्रक हड़ताल 1 तारीख से चल रही थी वह अनकन्डीशनल वापस हो गई है (मेजों की थपथपाहट) जो उनकी कठिनाइयां थी उनके लिए एक वर्किंग ग्रुप बना दिया गया है, उनकी कठिनाइयों को देखने के लिये, ताकि भविष्य में कोई कठिनाई न होने पाये ।

श्री मोहन सिंह—

जिन मुद्दों को लेकर हड़ताल चल रही थी उन मुद्दों का निराकरण के लिए जैसे कि आपने पहले सदन में कहा था कि ट्रक आपरेटर्स पहले हड़ताल वापस ले लें तो उनकी मांगों पर पुनर्विचार करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, तो क्या सरकार का इरादा जो आपने गुड्स टैक्स बढ़ाया है उसको वापस लेने और उनसे बातचीत करने का है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गुड्स टैक्स के अलावा जो रेट बढ़ाया है, बहुत सी और डिमान्ड उनकी थी, कहा गया है कि जितना संभव हो सकेगा उस पर विचार किया जायगा ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

इस ट्रक हड़ताल के संबंध में जो गिरफ्तारियां की गई थी, क्या वातावरण को सुन्दर बनाने के लिए सरकार की ओर से यह प्रयास होगा कि उनको आज रिहा कर दिया जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

शांत हो जायं। अब अगली मद कार्य सूची की . . . . .

श्री मुहम्मद आजम खां—

असल में हड़ताल के बाद सिलसिला यह है कि गिरफ्तारियां हो जाती है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज कायम किये गये हैं, यह आश्वासन हो जाना चाहिये कि जिन पर क्रिमिनल केसेज चल रहे हैं क्या सरकार . . .,

श्री अध्यक्ष—

बातचीत चल रही है, आश्वासन कैसे हो जायगा . . .

श्री श्याम लाल बाजपेयी —

खुदा के लिए रहम कर दो आजम भाई . .

श्री अध्यक्ष—

कृपया शांत हो जायं। माननीय बाजपेयी जी शांत हो जायं।

ग्राम माधोपुर, थाना कटरा, जिला गोण्डा में पुलिस डकैत मुठभेड़ के संबंध में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-3-82 को प्रातः थानाध्यक्ष कटरा जनपद गोण्डा को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि विख्यात अपराधी रामबरन के पिता की तेरही में कुख्यात दस्यु अर्जुन पासी व भुलावन पण्डित शस्त्रास्त्र लेकर अपने गिरोह के साथ सम्मिलित होंगे। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कड़ौया के साथ थानाध्यक्ष कटरा ने जिला मुख्यालय पहुंचकर क्षेत्राधिकारी स्व0 श्री के0 पी0 सिंह एवं पुलिस अधीक्षक को स्थिति से अवगत कराया और फोर्स मांगा। अपराधियों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से स्व0 श्री सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल उसी दिन 11 बजे रात्रि को चौकी दुबहा बाजार थाना कौड़िया पहुंचा। श्री सिंह ने पुलिस दल को आवश्यक निर्देश दिये एवं पुनः उक्त सूचना की पुष्टि होने पर दिनांक 13-3-82 को प्रातः लगभग 3-30 बजे ग्राम माधोपुर जाकर डकैतों के संभावित उपस्थिति के स्थल की घेराबन्दी की।

लगभग 4 बजे स्व0 श्री0 के0 पी0 सिंह क्षेत्राधिकारी ने राम बरन और उसके आस पास के मकानों को अपनी पार्टी के साथ घेरा तथा स्वयं आगे बढ़कर राम बरन के बंद दरवाजे को खोलने के लिए ललकारा। आवाज न आने पर धक्का देकर दरवाजा खोल दिया जिसके खुलते ही अन्दर से फायर हुआ लेकिन श्री सिंह बच गये। इतने में पड़ोस के एक मकान से एक बदमाश अन्धाधुन्ध फायर करता हुआ निकला लेकिन शौर्य का परिचय देते हुए श्री सिंह ने उसे मार गिराया। उसी समय एक अन्य बदमाश की गोली उनके सीने में लगी और श्री सिंह वहीं पर गिर गये और गिरते हुए भी वे पुलिस पार्टी का मनोबल बढ़ाते रहे। पुलिस दल ने कवरिंग फायर के सहारे श्री सिंह को उठाकर चारपाई पर लादा और आड़ लेकर उपचार हेतु अस्पताल को चल पड़े। रास्ते में उन्हें पुलिस अधीक्षक मिले जो घटनास्थल को आ रहे थे। उन्होंने श्री सिंह की हालत चिन्ताजनक देखकर पुलिस पार्टी को तत्काल आवश्यक निर्देश दिए और अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था करवाकर अपनी जीप से घायल श्री सिंह को जिला अस्पताल गोण्डा ले आए वहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। इसके अतिरिक्त इस मुठभेड़ में स0 इ0 श्री श्रीकृष्ण सिंह बघेल, हे0 का0 रामनायक पाण्डे व का0 मदन सिंह तथा का0 रामनरायन मिश्रा भी घायल हुए।

घटनास्थल पर 11 बजे दिन तक फायरिंग होती रही। मुठभेड़ समाप्त होने पर मौके पर 12सौ एवं भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र एंव बम प्राप्त हुए। प्राप्त शवों में कुख्यात दस्यु

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

राम भुलावन सहित 8 की शिनाख्त हो चुकी हैं और इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इस घटना के संबंध में भा0 दं0वि0 सं0 35/82 धारा 143/148/149/307/302 333 भा0 दं0 वि0 थाना कटरा में पंजीकृत करके विवेचना की जा रही हैं।

श्री सिंह की पत्नी श्रीमती विभा सिंह जो कि गोण्डा जनपद में ही कोषाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, की इच्छानुसार श्री सिंह का शव गोरखपुर ले जाया गया। शव के साथ जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सपरिवार श्रीमती सिंह को साथ लेकर गोरखपुर गए वहां श्री सिंह के माता पिता की इच्छानुसार उनका शव जनपद बलिया भेज दिया गया, उनका सम्मान अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया से अनुरोध किया गया।

घटना की मैंजिस्ट्रीरियल जांच परगना मजिस्ट्रेट सदर गोण्डा द्वारा की जा रही हैं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीया गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो मुठभेड़ की सूचना थाना कटरा के थानाध्यक्ष ने दी थी तो उस समय जब डाकुओं की घिराबबन्दी की गई उस समय ये थानाध्यक्ष कहां थे ? दूसरी बात यह हैं कि जब पुलिस अधीक्षक को यह खबर हुई कि के0 पी0 सिंह का शव आ गया है, उनको चोट लग गई तो वें मौके पर न जाकर लाश को लेकर चल दिये, वे मौके पर उसी समय क्यों नहीं गये ? तीसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब 8 व्यक्तियों की शिनाख्त हो गयी थी और आज इस घटना को बीते हुये 10 दिन हो गये है तो बाकी चार लोगों की शिनाख्त होने में क्या दिक्कत है ? क्योंकि जैसा सरकार कहती है कि ये डाकू ही है, तब फिर क्या दिक्कत है कि उनको पहचान नहीं पाये। हम लोगों का कहना तो यह है कि ये डाकू नहीं है। तो फिर कौन सा कारण है कि आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी उन चार लोगों की आप शिनाख्त नहीं कर सके ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, एक प्रश्न का तो यह उत्तर है कि जब स्व0 के0 पी0 सिंह को गोली लगी तो उनके घायल शरीर को चारपाई पर लाद कर सिपाही लोग अस्पताल के लिए गोंडा की तरफ चले। तीन मील वह पैदल चले है क्योंकि वहां पर गाड़ी नहीं थी, गाड़ी 10 मील दूर खड़ी की गयी थी। तो वहां पर पुलिस अधीक्षक आ रहे थे, उनको पहले से निश्चित था कि वहां पहुंचना है 4 बजे, तो रास्ते में उनको यह मिले तो देखकर फौरन उनको अपनी गाड़ी में बैठाया गोंडा के लिए चले आये। एक जगह है कुकर भुकवा तक उनके प्राण थे उनसे पुलिस अधीक्षक की बात हुई और उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिये जब गोंडा पहुंचे 6 बजे तो 6.15 मिनट में अस्पताल में डाक्टरों ने उनको स्वर्गवासी घोषित कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह स्पष्टीकरण का मसला नहीं है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दूसरी बात आपने 12 डकैतों के बारे में कही है।

श्री मोहन सिंह--

कटरा थानाध्यक्ष के बारे मे कहा वह कहां थें।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

कटरा और एक दूसरे देहात के थानाध्यक्ष वहां थें एक के0 पी0 राय और दूसरे कटरा के थानाध्यक्ष वहां पर थे, के0 पी0 राय ने चार्ज संभाला और दविश का काम संभाला और काम चलता रहा। तीसरी बात आपने पूछी मान्यवर, 12 डाकू मार गये रामभुलावन के साथ। अगर आप आज्ञा दें तो उनके खिलाफ जो क्राइम हिस्ट्री है पढ़ देना चाहती हूं।

राम भुलावन जिसको गांव के लोग मुंडकटवा कहते थे उसकी यह हालत थी उसने तीन सिर काट कर गांव में घुमाया और कहा जिसने मेरे खिलाफ सहादत दी उसका यही हाल होगा। उसके खिलाफ 47 केस है जो सिर्फ डकैती और मरडर के हैं (व्यवधान) सबके खिलाफ हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी के भाषण में सब कुछ आ चुका है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं बता रही हूं। जब रामवरन के फादर की तेरही थी उसमें राम भुलावन ने कहा हम इसे ठाट से मनायेंगे देखते है कौन पुलिस वाला हिम्मत करता है और उन्होंने कई डकैतों को वहां जमा किया काफी दूर दूर से डकैत वहां पर आये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उसका उत्तर दे दीजिये जो की शिनाख्त नहीं हुई है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वह उस इलाके के नहीं थे इसलिए शिनाख्त नहीं हो पायी क्यों कि डकैत जब चलते है तो दूर दूर से आते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बताया कि उस इलाके के नहीं हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह भी डकैत थे स्थिति स्पष्ट होने पर अवगत करा देंगे।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, कब तक हम इस प्रकार बरदास्त करते रहेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, 11 वर्ष का लड़का कोई भी वहां पर नहीं था। डकैत 25 वर्ष से कम के नहीं हैं। इन चार की भी क्राइम हिस्ट्री आपके सामने पेश कर दी जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

यह पूरा का पूरा बयान झूठा है।

श्री मसरूर जाफरी—

यह गलत है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें मसरूर जाफरी साहब, कभी तो बैठ जाया करें।

माननीय सदस्य बैठ जायं। जो वक्तव्य था, इसमें स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न नहीं था फिर भी यह मसला उठाया गया। आपने प्रश्न पूछे, उनमें से दो प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दे दिया। तीसरे प्रश्न का उत्तर देने में कोई बात आई, फिर भी यह उसमें आ गया कि, वह बाहर के थे, इलाके के नहीं थे। इससे अब यह समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

जो खास प्रश्न उठाया गया था, उसका उत्तर नहीं मिला है....

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

रामभुलावन 'मुड़कटवा' के बारे में हमने आपको अवगत कराया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

राम आसरे जी आप बैठ जायं।

श्री राम आसरे वर्मा—

आप बार बार मुझसे ही कह देते हैं कि बैठ जाओ। यह कोई बात नहीं, है यह हमारे प्रश्नों का ठीक से जबाव दें, आप जबाव दिलवाइये। मैं भी प्रश्न करना चाहता हूं।

मैं मन्त्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हुं कि जिस समय पुलिस ने घेराबन्दी की थी, उस समय थानाध्यक्ष की ड्यूटी कहां लगाई गई थी ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बता दिया; वहां पर थे।

श्री राम आसरे वर्मा—

यह स्पष्ट नहीं हुआ, इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या इनकी सिर्फ इतनी भूमिका थी कि इन्होंने सी० ओ० को खबर दी ? उसके बाद उनकी कहीं भूमिका नहीं है ? एक बात और है इस मामले में क्षेत्राधिकारी की श्रीमती जी ने षडयंत्र होने का स्पष्ट चार्ज लगाया है, उसकी पुष्टि होती है। जो बात सामने आई है सारी की सारी संदेहास्पद है। खुद मंत्री जी का वक्तव्य ले लीजिए, उससे संदेह की पुष्टि होती है। इसको देखते हुए क्या मंत्री जी इस घटना की न्यायिक जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

बता दिया कि मैजिस्ट्रेरियल जांच हो रही है।

श्री राम आसरे वर्मा—

वह फारमेलिटी है केवल. . . . (व्यवधान) मैजिस्ट्रियल और जूडिशियल जांच में डिफरेंस है।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते है अच्छी तरह से कि इसमें स्पष्टीकरण नहीं होते हैं. . .

श्री राम आसरे वर्मा—

यह जो आपने कहा उससे प्रश्न उठता है। आपने यह कहा कि मैजिस्ट्रेरियल जांच हो रही है मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह जुडीशियल जांच करायेंगे ? यह तो एक औपचारिकता है, कोई इस तरह की घटना हो जाए तो मैजिस्ट्रियल जांच होती है, लेकिन जुडिशियल जांच दूसरी चीज है। तो क्या मंत्री जी इस घटना की जुडीशियल जांच कराने की कृपा करेंगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुहम्मद आजम खां—

इस संबंध में मैं स्वयं घटनास्थल पर गया था। श्री रियासत हुसैन और अकबाल भाई भी साथ थे। मैं इस चीज में नहीं जाऊंगा कि भुलावन और माधो क्रिमिनल हिस्ट्री के लोग थे या नहीं, लेकिन 12 जो मारे गये यह तो उस गांव के थे, इसलिए बदमाश थे। बकिये जो 9 लोग उस गांव के नहीं थे, इसलिए उनको मारने का क्या जस्टीफिकेशन हो गया या नहीं ? इसके अलावा उसमें तीन मकानात बड़े जालिमढंग से जलाये गये हैं, तो क्या यदि किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री होती है तो कानून इस बात की भी इजाजत देता है कि उनके मकान जला दिए जायं ? जो मकान जलाए गये है वह पुलिस ने जलाएं हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रकरण को अभी यही समाप्त करता हूं और आगे की कार्यवाही लेता हूं।

(व्यवधान)

[श्री अध्यक्ष]—

आप कृपया सुन लें। मनानीय मसरूर जाफरी साहब आप किसी दूसरे के बात भी सुनते हैं ? कृपया दूसरे की भी बात सुन लिया कीजिए ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर आप मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दीजिए कि वे जुडीशियल इन्क्वायरी इस मामले में करा रहे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं ?

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

माननीय शंकर सिंह एक प्रश्न यदि पूछना चाहते हों तो पूछ सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, जो घटना स्थल है उससे केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा चिकित्सालय जो शांति नगर मिशन अस्पताल के नाम से विख्यात है और उसके वह आसपास के 4-5 जिलों में सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें अच्छे उपकरण और विदेशी डाक्टर्स भी और जो लखनऊ में सुविधायें उपलब्ध नहीं है, वे उस अस्पताल में है तो वहां पर श्री के0पी0 सिंह को घायल अवस्था में न ले जाकर गोंडा में जो 40 किलोमीटर के फासले पर स्थित है, ले जाया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या राज है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न तो माननीय राम आसरे का है कि क्या आप इस मामले में जुडीशियल इन्क्वायरी करा रही हैं और दूसरा प्रश्न माननीय शंकर सिंह जी का है कि जब घटना स्थल से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक अच्छा अस्पताल है तो घायल श्री के0 पी0 सिंह को वहां न ले जाकर जिला अस्पताल गोंडा में क्यों ले जाया गया ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, वह केस इतना सीरियस था कि मृतक को बड़े अस्पताल ले जाना ही उचित था। जो अस्पताल माननीय सदस्य ने बताया वह छोटा अस्पताल है और वहां पर सीरियस केसेज नहीं होते हैं। अतः वहां पर ले जाना खतरे से खाली नहीं था।

जहां तक जुडिशियल इन्क्वायरी का प्रश्न है हमने मैजिस्ट्रियल इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं। जांच जारी है।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठ जायं ?

श्री जटा शंकर सिंह—

मान्यवर, यहां पर कहा जा रहा है कि शिनाख्त नहीं हो पायी। मेरे पास इन 3 मृतक व्यक्तियों के नाम और पते हैं। इनमें एक हैं श्री राम चन्द्र पुत्र बाबादीन, ग्राम शिवपुरवा दाखिला नकोडोशाहपुर, थाना फखरपुर, जिला बहराइच। दूसरे हैं श्री मुन्ना उर्फ अवधराम उर्फ बाउर पुत्र बाबादीन ग्राम शिशईपुर, दाखिला नकौडी शाहपुर, थाना फखरपुर, जिला बहराइच, और तीसरे हैं श्री राम समुझ ग्राम निवासी थाना हुजूरपुर, जिला बहराइच। उपरोक्त तीनों व्यक्ति परिक्रमादीन पुत्र माता प्रसाद, ग्राम माधवपुर के साले हैं। उसके पिता के हत्याकांड के मामले में सभी गवाहों और मुद्दई को चुन-चुन कर मारा गया है।

(श्री मसरूर जाफरी के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

मसरूर जाफरी साहब आप बैठ जायं। अब मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं। कार्य स्थगन प्रस्ताव का।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मेरा निवेदन तो सुन लें ?

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं ?

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

आज नियम 56 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिसमें 16 सूचनायें एक ही विषय की हैं। पहली सूचना श्री शंकर सिंह, श्री दलगंजन सिंह, श्री राधेश्याम वर्मा, श्री सन्त बक्श रावत श्री छत्तर सिंह और श्री विजय सिंह राना की है--- इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा उनके पुत्र की डाकुओं द्वारा हत्या किये जाने के संबंध में। इसी विषय की दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जटा शंकर सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की है। तीसरी श्री मोहन सिंह, की चौथी श्री कुंवर सिंह नेगी, पांचवी श्री गौरी शंकर मैय्या की, छठी श्री सरदार सिंह, सांतवी श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह की, आठवी श्री मुख्तार अनीस की, नवीं श्री मोती लाल देहलवी की, दसवीं श्री राम आसरे वर्मा, श्री खैरूलबशर, श्री परमाई लाल, श्री मसरूर जाफरी, श्री गोपी नाथ वर्मा, और श्री जसवन्त सिंह बिष्ट की हैं। ग्यारहवीं श्री प्रदीप कुमार यादव की, बारहवीं किरनपाल सिंह की, तेरहवीं श्री सत्यपाल सिंह की, चौदहवीं श्री नरेन्द्र सिंह की, पन्द्रहवीं श्री रियासत हुसैन की और सोलहवीं श्री राम गोविन्द चौधरी व श्री अकबर हुसैन की है ? यह सभी एक ही विषय की हैं।

सत्रहवीं श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की है---गोरखपुर में एक हरिजन परिवार पर हमला के संबंध में, अठारहवीं है श्री मलिक मुहम्मद कमाल यसूफ तथा श्री मसरूर जाफरी की श्री माता प्रसाद पाण्डेय, विधायक के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के संबंध में है। उन्नीसवीं है श्री रामनारायण सिंह की-प्रदेश सरकार के एक राज्य मंत्री के सुपत्र का बोर्ड की परीक्षा में नकल कराये जाने के संबंध में है नम्बर 17, 18 और 19 पर जो है इनको मैंने अस्वीकार किया है।

नम्बर 1 से नम्बर 16 तक की सूचनायें, जो एक ही विषय की है, यह गम्भीर हैं। मैं माननीय उप नेता, विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में कृपया कुछ निवेदन करें।

*श्री मोती लाल देहलवी---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने माननीय सदन को जानकारी दी कि माननीय नेता सदन के बड़े भाई जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, उनकी तथा उनके पुत्र की हत्या बड़े ही लोमहर्षक तरीके से बांदा जनपद के शंकरगढ़ इलाके में डाकुओं द्वारा की गयी। इस दुखद घटना से इस माननीय सदन के एक-एक माननीय सदस्य को दुख है। मैं स्वयं भी बहुत दुखित हूं। इस सत्र पर वैसे तो मैं चाहता हूं कि इस घटना पर यहां चर्चा हो; लेकिन मुझे यह जानकारी भी मिली है कि इस घटना के बाद से माननीय नेता सदन की माता जी अभी तक अचेत अवस्था में पड़ी हुई हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती लाल देहलवी]—

इसलिये मैं इस समय यह उचित नहीं समझ रहा हूं और यह शोभा नहीं देगा कि इस विषय पर हम यहां चर्चा करें क्योंकि यह हो सकता है कि हमारे माननीय सदस्यों के किसी के मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जायें जो अखबारों में छपे हैं पर जिसका असर माननीय नेता सदन की माता जी जो अचेत पड़ी हैं, उन पर पड़े और उनको कोई आघात पहुंचे और उससे उनकी कोई हानि हो। इसलिए मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, यह सादर निवेदन कर रहा हूं, कि अच्छा हो आज इस पर चर्चा न हो ताकि कोई हमारी चर्चा से अन्य दुर्घटना न हो जाय।

*सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जहां तक इस घटना का संबंध है, माननीय मोती लाल जी ने जो कुछ कहा, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, कोई भी ऐसा कठोर से कठोर दिल नहीं होगा, जो जज साहब और उनके 14 वर्षीय पुत्र की इस दुःखद घटना से प्रभावित न हुआ हो। मान्यवर, हम लोगों के लिए एक व्यक्तिगत घटना हो जाती है, तो हम लोगों को कितना दुःख होता है, मान्यवर, वह हाई कोर्ट के जज होने के नाते और दूसरे माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो इस सदन के नेता हैं और प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, उनके बड़े भाई होने के नाते से मान्यवर मोतीलाल जी ने जो कहा, हम लोगों को यह चीज याद दिलाते हैं कि जहां तक शांति व्यवस्था का सम्बन्ध है या कोई भी मामला, जिससे पूरा प्रदेश या सदन प्रभावित होता है, उससे दलगत राजनीति नहीं बल्कि हम लोग एक होकर सोचते हैं और एक तरह से मुकाबला उसका करते हैं।

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय मोती लाल जी ने उठाया है, मैं समझता हूं कि हम सब का दायित्व है कि इसे हम गम्भीरता पूर्वक लें कि किस प्रकार से यह घटना हुई, कौन सा तथ्य था, जो इसमें शामिल था। ऐसे व्यक्ति जो न्यायपालिका से संबंधित थे, जिनका जीवन राजनीति से नहीं प्रेरित था, जो इतने ज्यादा पापुलर थे, मान्यवर, इसमें यह सरकार जो है, पूरी तरह से सक्रिय है कि किसी न किसी तरह से इस गुत्थी को सुलझाया जाय और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाय। मान्यवर, इस संबंध में मैं अपील करना चाहता हूं अपने विरोधी दल के जो सम्मानित नेतागण हैं इसमें वह पूरा सहयोग दें और इसमें बैठकर हम लोग एक होकर इस समस्या के निराकरण के लिए बातचीत करें ताकि ऐसी दुर्घटना फिर न हो।

मान्यवर, जहां तक शासन का सवाल है, वह इस तरफ के बैठे हुए लोगों और उस तरफ के बैठे हुए लोगों की, सबकी बराबर जिम्मेदारी है। जहां तक इश्यूज हैं, जिसमें जनहित का सवाल है, मैं समझता हूं कि सब एक हैं। जहां तक मोती लाल जी ने जो कुछ कहा है, मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, आपकी जो आज्ञा होगी, हम लोग इस विषय पर बैठ कर गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

उप नेता, लोक दल माननीय मोती लाल जी ने और माननीय डा० अम्मार रिजवी ने, दोनों नेताओं ने इस घटना पर दुःख व्यक्त किया और इसके लिए चिन्ता व्यक्त की कि भविष्य में इसके लिए कोई और भी कदम उठाये जायं। आपके कथन से ऐसा लगा कि पहले सब मिल जुल कर बातचीत इस संबंध में करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सभी नेताओं की आप बैठक कर लें। और नेताओं की बैठक में, इस संबंध में जिस तरह से हो, बातचीत कर लें। इस सम्बन्ध में मैं इस सारे कार्य स्थगन के प्रस्ताव को अस्वीकृत करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1982–83 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग तथा अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग

[12 बजकर 29 मिनट]

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,19,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,90,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, न्याय प्रशासन के अनुदान को प्रस्तुत करते हुये मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि न्याय विभाग के बारे में काफी विस्तार से जो हमने साहित्य वितरित किया है उसमें पूरी तरह से दिया हुआ है। लेकिन कुछ खास बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, वर्ष 81 के आय व्ययक में मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर 12 करोड़....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी 1 मिनट आधा दिन आपकी ग्रान्ट पर और आधा दिन जेल के बजट पर। इसका मतलब सवा-सवा घंटा। सवा घंटा में कटौती का प्रस्ताव और भाषण होकर पास होना है।

श्री जगदीश प्रसाद—

मान्यवर, मैं संक्षेप में कुछ जरूरी बातें कहना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस विभाग में आज सबसे बड़ी समस्या लम्बित वादों की है। लम्बित वादों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाय, उनका फैसला करके शीघ्र न्याय दिलाया जाय यह एक समस्या हमारे प्रदेश में है।

श्री फखरे आलम—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पहले बोलने दीजिये।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, सवा घंटा में पूर्ण होगा न्याय का बजट। और बजट दिन भर चलते थे। इसका सारे प्रदेश से ताल्लुक है।

श्री अध्यक्ष

आप बैठ जायं। आपने कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है।

श्री जगदीश प्रसाद—

मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के लम्बित वादों को निपटाने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ज्ञात है कि पिछले 10 वर्षों में मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मुकदमों का दायरा ढाई गुना बढ़ गया है। सेशन के मुकदमों का दायरा 4 गुना बढ़ गया है। इसलिये 10 वर्ष के इसमें फैसले होने

में बिलम्ब हो रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण मुकदमों की बढ़ोत्तरी है। अधिक संख्या में मुकदमों का दायरा है। इस प्रदेश में इस बात की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसलिये हमने आर्थिक अपराधों, डकैतियों के अपराधों तथा हरिजनों से सम्बन्धित मुकदमों को निपटाने के लिये, शीघ्र निपटाने के लिये, जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिये विशेष अदालतों का गठन किया है ?

मान्यवर, टेहरी, उत्तरकाशी, पौढ़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ को छोड़ कर 50 जिलों में न्यायिक मैजिस्ट्रेट के अदालतों का गठन आर्थिक अपराधों को निपटाने के लिये किया गया है। इसी प्रकार डकैती प्रभावित क्षेत्रों के लिये हमने जैसा माननीय सदस्य जानते हैं। उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत 12 जिलों में अपर और सत्र न्यायाधीश को विशेष अदालतों की स्थापना की है। जिससे कि इस क्षेत्र में जो समस्यायें हमारे सामने हैं उनको निपटाया जा सके और उनको सुरक्षा दी जा सके। इसी प्रकार से हरिजन उत्पीड़न के मामले हमारे सामने बड़ी तेजी से आ रहे हैं और उनको इससे छुटकारा दिलाने के लिये उनको शीघ्र न्याय दिलाने के लिये हर जिले में मैजिस्ट्रेट अलग से नियुक्त कर दिया गया है। श्रीमन्, जिला जजी के बारे में जैसा पहले घोषित किया जा चुका है अभी तक केवल उत्तरकाशी में जिला जजी नहीं थी तो पिछले महीनों में वहां उसकी स्थापना कर दी गयी है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में जिला जजी स्थापित हो गयी है। श्रीमन्, उच्च न्यायालय में एक बहुत बड़ी समस्या है, वहां इतनी अधिक संख्या में मुकदमे दायर हो रहे हैं जिसकी वजह से वहां काफी रुकावट हो गयी है और फैसले होने में काफी समय लग जाता है। हालांकि हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय इस देश में सबसे अधिक मुकदमों का निस्तारण करता है।

मान्यवर, इस वर्ष हाई कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमें लंबित है इसका कारण यह है कि 44 दिनों तक हड़ताल रहने की वजह से इसका बुरा प्रभाव मुकदमों पर पड़ा और मुकदमों की संख्या अधिक हो गयी है। श्रीमन्, न्यायालयों में हिन्दी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं बहुत पहले से इसकी व्यवस्था की जा रही है और सरकार बराबर इसके लिये प्रयत्नशील है और प्रयास कर रही है जिससे कि अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां पर हो। मान्यवर, सिविल प्रोसीजर कोड के सरलीकरण के लिये उस दिशा में हमने गंभीरता से सोच विचार किया है और महाधिवक्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है और उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। सरकार के सामने सारा मामला विचाराधीन है उस पर हम निर्णय लेकर उस ओर कदम उठायेंगे। हमने जो सबसे बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया है उस दिशा में मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, जैसा कि आप जानते है कि हमारे संविधान में समता आर्थिक और सामाजिक, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत पहले इसकी व्यवस्था की है। संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात हमने 26 जनवरी, 1949 को संविधान के द्वारा तय किया था। संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी और जो उनका विचार था, देश में राम राज्य स्थापित होगा।

प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में समता दिलायी जाय, उसके लिये हमारे संविधान में जो संकल्प लिया गया है श्रीमन्, उस दिशा में हमारे जो निर्बल वर्ग के लोग है, देश और प्रदेश के वह आज जिस दौर से गुजर रहे हैं आये दिन उस संबंध में चर्चा होती है। आजादी के पहले वर्ग या पिछड़ा वर्ग गुलामों का गुलाम था, आजाद हो जाने के बाद आज भी निर्बल वर्ग, पिछड़ावर्ग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह समान

135249

[श्री जगदीश प्रसाद]

न्याय चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, उसको पाने की स्थिति में वह नहीं है। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 (क) में यह व्यवस्था की गयी थी कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय समाज अवसर के आधार पर सुलभ हो। यह विशिष्ट तथा सुनिश्चित करने के लिये कि आर्थिक या किसी अन्य असमानता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाय, राज्य आवश्यक व्यवस्था करेगा।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस निर्बल वर्ग के लिये हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रमों के द्वारा इन वर्गों के आर्थिक सुधार के लिये, सामाजिक सुधार के लिये, उनमें सारी व्यवस्था की गयी है और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी के हृदय में, उनके दिल और दिमाग में इस दिशा में जितनी चिन्ता रहती है, वह बराबर और मुझसे तो अक्सर जब भी मिलते हैं, चर्चा किया करते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था मुस्तकिल तरीके से की जाय, जिससे कि निर्बल वर्ग के लोगों को जो सहायता दी जाती है, चाहे वह आर्थिक हो या किसी दूसरे किस्म की हो, वह उससे वंचित न रह जायं।

जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट है, उसमें निर्बल वर्ग के लोगों को, भूमिहीनों को जमीन के पट्टे देने की व्यवस्था है लेकिन आप जानते हैं कि पट्टे होने के बाद किस तरह से वह व्यक्ति, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास खाने का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, उसको उच्च न्यायालय तक घसीटा जाता है और मजदूर पट्टे और जमीन छोड़कर किनारे हो जाता है और उसकी निर्बलता और बढ़ जाती है। इन सारी बातों को देखते हुए हमारे मुख्य मंत्री जी ने, जब वह सांसद थे, एक पुस्तक लिखी थी—"लीगल एड टु दि पुअर्स" और उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निदेश दिया था कि अधिक से अधिक कैसे सहायता देने में काम करें? इन सारे आदेशों को देखते हुए पिछले वर्ष 24 जनवरी, 1981 को उत्तर प्रदेश कानूनी सलाहकार समिति का गठन किया गया। उसका अध्यक्ष मुझको बनाया गया। इसकी एक कार्यकारिणी समिति है, उसके चेयरमैन हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री डी० एस० मिश्रा साहब हैं। एक स्कीम के तहत, जैसा संविधान में दिया हुआ है, हमने बराबर यह कोशिश की है कि हम किस प्रकार इस दिशा में काम करें?

सरकार चाहती है कि कोई भी व्यवस्था इन गरीबों के लिये, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिय निर्बल वर्ग के लिये, महिलाओं के लिये, करे लेकिन जब तक उनके अन्दर इसकी जानकारी नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अपने अधिकारों की मांग करने में बिलकुल असमर्थ हैं। इस बोर्ड के द्वारा जो लीगल एडवाइज बोर्ड है, यह व्यवस्था की है कि उनके अन्दर जागरूकता पैदा की जाय, जानकारी दी जाय कि उनके क्या अधिकार हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं, जिनसे उनकी प्रगति हो सकती है और आर्थिक क्षेत्र में उनका विकास हो सकता है।

आप जानते हैं कि जानकारी होने के बाद, ज्ञान होने के बाद, जब तक उसको दिलाने की पूरी व्यवस्था न हो तब तक वह कार्य पूरा नहीं है, इसीलिये हमारा जो उद्देश्य है वह यह है कि किस प्रकार से उनके अधिकारों को दिलाने के लिये, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की रक्षा के लिये कौन सी ऐसी व्यवस्था की जाय, जिसके लिये कानूनी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, उसने उस दिशा में, हर जिले में कानूनी सहायता . . .

श्री मुहम्मद आजम खां—

मन्त्रिवर, मुझे आपत्ति है, यहां सिर्फ दो सदस्यों के लिए ही टाफियां आई हैं, हमसे क्या नाराजगी है?

(हंसी

श्री जगदीश प्रसाद—

जिले में कानूनी सहायता जिला परामर्श बोर्ड द्वारा लिए जाने की व्यवस्था की गयी है, इसलिए इसका गठन किया गया है जिसमें निर्बल वर्ग के लोगों को जिनकी आमदनी कम से कम 5,000 रुपए तक है, ऐसे लोगों को कानूनी सहायता निःशुल्क मूल्य पर जितना भी टिकट और कागज का खर्च होगा उनके मुकदमों में, हमारी सरकार उसको वहन करेगी, ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है। इस तरह के हमने 44 शिविर बनाए हैं जिसमें से 26 शिविरों की आख्या आ चुकी है जिसके द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि इन शिविरों में 12 हजार मुकदमें तय हुए शेष शिविरों की रिपोर्ट आनी अभी शेष है। इन शिविरों की रिपोर्ट के द्वारा जो आंकलन किया गया उससे यह बात सामने आई थी कि उसमें कम से कम ढाई लाख रूपया की बचत हुई है। यह बोर्ड बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त निर्बल वर्ग के लोगों को पावर्टी ऐक्ट के नियमों के ज्ञान के लिए "कानूनी ज्ञान माला" की नौ पुस्तकें सरल हिन्दी में प्रकाशित की गयीं हैं? इसके अतिरिक्त हम लोगों ने शिविरों के द्वारा पुराने मुकदमों को जिनमें राजस्व के और फौजदारी के चार-चार, पांच-पांच साल पुराने मुकदमें थे, उनको तय किया है? मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों से कि इस दिशा में जो भी उनके सुझाव हों, वह अपनी बातों को रखें, उस पर विचार करके हम आगे कदम उठा सकते हैं? इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रस्तुत बजट को आप पास करेंगे? ।

*श्री दलगंजन सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28 —निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, दुर्भाग्य का विषय है कि मन्त्री जी ने जो भाषण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया उसमें न्यायपालिका की जो गम्भीर समस्या थी, उसको छुआ भी नहीं। आज न्यायपालिका संकट के दौर से इस प्रदेश में इस मुल्क में गुजर रही है।

सदन इस बात से वाकिफ है कि 12 जून, 1975 को श्रीमती इन्दिरा गांधी जो कि उस समय देश की प्रधान मन्त्री थीं और इस समय भी इस देश की प्रधान मन्त्री हैं, के इलेक्शन के सन्दर्भ में एक पिटीशन राज नारायण ने प्रस्तुत किया था। जस्टिस सिन्हा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने, जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरो में लिखा जायेगा, इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था और उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया था। उसी दिन से मान्यवर, न्यायपालिका का इतिहास अब दूसरा लिखा जा रहा है। इसके बाद 26 जून को इस देश में इमरजेंसी लागू की जाती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, न्यायपालिका के पैरों में जंजीर डाल दी जाती है और उनके लिखने तथा न्याय देने के पावर को न केवल कम कर दिया जाता है बल्कि समाप्त कर दिया जाता है। हमें याद होगा कि जब हिन्दुस्तान के एटार्नी जनरल ने सुप्रीमकोर्ट में बहस के दौरान कहा था कि इस देश के नागरिक को जीने का अधिकार नहीं है और अगर इस जीने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में मांगता है अगर हाईकोर्ट में मांगता है तो न्यायालय कोई न्याय देने में सक्षम नहीं है। हिन्दुस्तान ऐसे दौर से गुजरा है और आगे भी ऐसे ही दौर से गुजर रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्ष ण नकिया।

[श्री दलगंजन सिंह]

न्यायपालिका किसी भी देश के लिए, खासतौर से प्रजातांत्रिक हुकूमत में, यह संविधान की रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है, न्याय व्यवस्था की रक्षा करती है। चाहे कोई हुकूमत हो, मेरा कहना यह है कि चाहे तानाशाही हो, कम्युनिस्ट पैटर्न आफ गवर्नमेंट हो न्यायपालिका का स्थान अगर सर्वोच्च होगा तो जो हुकूमत होगी उसको संचालन करने में उस देश को सही दिशा में आगे ले जाने में, न्यायपालिका हमेशा सहायक रहेगी और सहायता का काम करेगी।

जैसा मैंने अभी सदन के सामने कहा, इंदिरा गांधी के करप्शन के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में, जस्टिस सिन्हा ने . . . . .

सूचना राज्य मन्त्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर। माननीय सदस्य जो अभी बार-बार इंदिरा गांधी के एलेक्शन का हवाला दे रहे हैं

(व्यवधान)

पढ़े लिखे है, इनको मालूम होगा कि सारे चुनाव की जो भी फाइंडिंग थी वह सर्वोच्च न्यायालय से डिसाइड हो गई उसको बार बार सदन में कहना कहां तक उचित है। अगर कोई उद्धरण देना है तो सुप्रीमकोर्ट का दे सकते है।

(विपक्ष की ओर से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपसे प्रश्न नहीं है ? आप बैठ जायें।

काशीनाथ जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माननीय दलगंजन सिंह जी ने (व्यवधान) कृपया शान्त रहें, माननीय दलगंजन सिंह ने एक हवाला उस निर्णय का दिया जो निर्णय, जैसा माननीय काशीनाथ जी ने कहा, समाप्त किया जा चुका है, उसके प्रतिकूल निर्णय हो चुका है। मैं केवल दलगंजन सिंह जी से इतना ही कहूंगा कि जो बातें कह रहे हैं उससे सम्बन्धित एक निर्णय दें, दूसरा निर्णय दें, लेकिन वह बातें बहुत कही जा चुकी है इसलिए अनुदान से सम्बन्धित बातें कहें जो इस सदन और बजट के लिए आवश्यक हों।

श्री दल गंजन सिंह—

मान्यवर, माननीय मिश्रा जी को बुरा लग रहा है लेकिन इस देश के लिए और इस देश के भविष्य के लिए न्यायपालिका की रक्षा बहुत ही आवश्यक है और मिश्रा जी को और मिश्रा जी की दल की नेता को भी न्यायपालिका की शरण में जाने पर ही न्याय मिल है इसलिए माननीय मिश्रा जी इसको दूसरे सन्दर्भ में न लें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप आगे चलें। इस प्रकरण को छोड़िये।

श्री दल गंजन सिंह

मान्यवर, उसके बाद उन्तालीसवां संशोधन हुआ। उस उन्तालीसवें संशोधन के द्वारा भ्रष्टाचार की परिभाषायें बदल दी गई।

श्री काशीनाथ मिश्र—

भ्रष्टाचार की परिभाषा कतई नहीं बदली गई।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, उस एमेन्डमेन्ट को रिस्ट्रास्पेक्टिवली लागू किया गया। इस तरह से यह हिन्दुस्तान की न्यायपालिका को और प्रदेश की न्यायपालिका को अपने पंजे में लिए खंजर से इसकी हत्या कर देना चाहते हैं। यह मान्यवर, गम्भीर संकट है इस प्रदेश पर मान्यवर, इसके बाद इमरजेंसी के द्वारा . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र––

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। क्या पार्लियामेंट का क्रिटिसिज्म या लोक सभा की आलोचना माननीय सदस्य सदन में कर सकते हैं? यह मेरा औचित्य का प्रश्न है?

(व्यवधान)

श्री दलगंजन सिंह––

मान्यवर, अध्यक्ष जी, यह इतिहास है इस सरकार का इस न्यायालयों के प्रति मान्यवर, मैं समझता हूं कि न्यायपालिका की रक्षा और इस प्रदेश में डेमोक्रेसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका के ऊपर है लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो बजट का प्रस्ताव पेश किया है उससे यह सम्भव नहीं है। मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि 19 फरवरी, 82 को माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री सिंह की हत्या कर दी गयी। वे बहुत सीनियर एडवोकेट थे और बार में जिनकी प्रतिष्ठा थी लेकिन हाईकोर्ट के जजेज और जिला कोर्ट के जजों की सुरक्षा के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष––

यह न्याय से सम्बन्धित चीज नहीं है, गृह से है। एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि केवल न्याय मंत्रालय तक ही अपने को सीमित रखें। माननीय दलगंजन सिंह जी मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि केवल सवा घंटा समय ही इसके लिये निर्धारित है। माननीय न्याय मंत्री जी बोल चुके हैं और आपको बोलते 14 मिनट हो चुका है।

श्री दलगंजन सिंह––

मान्यवर, इस देश की न्यायपालिका के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो खासतौर से आपकी नेता कहती हैं कि सोशल, पोलिटिकल और आर्थिक चेंज लाने में न्यायपालिका असफल रही है।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र––

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस कटौती के प्रस्ताव के अन्तर्गत शासन की न्याय नीति क्या है इस पर सुझाव दे सकते है, जबकि ये शासन की आलोचना कर रहे है और सम्पूर्ण धनराशि को काट कर एक रुपया कर दिया जाय, के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

आप बैठ जायं। (व्यवधान) माननीय मोहन सिंह जी आप भी बैठ जायं। (व्यवधान) कृपया शान्त हो जायं। देखिए ऐसा है कि समय का अभाव भी है और विषय पर बोलना भी आवश्यक है। माननीय काशीनाथ जी ने यह कहा है कि क्या किसी कटौती प्रस्ताव पर धनराशि को कम करने के लिये कहते हुए शासन की नीति के विषय में कुछ कहा जा सकता है? इसी में लिखा हुआ है कि विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना आवश्यक है। माननीय सदस्य से मैं चाहूंगा कि आप विभागीय नीति की आलोचना कीजिये और आप से चाहूंगा

[श्री अध्यक्ष]

कि उस आलोचना को इतना संकुचित मत कीजिये। समय का ध्यान रखते हुए ही माननीय सदस्य बोलें।

श्री दलगंजन सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि मैंने निवेदन किया, यह आरोप कि न्यायपालिका, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन करने में बाधा डालती है, मैं इस सदन को बतला देना चाहता हूं कि इस प्रदेश की हाईकोर्ट ने कुछ मसलों पर जो निर्णय दिये हैं, उनको मैं संक्षेप में यहां रखूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इन निर्णयों से क्या होगा यहां, आप व्यवस्था के संबंध में बोलें।

श्री दलगंजन सिंह--

लखनऊ के प्रदर्शन का मामला न्यायालय के सामने गया और भी कई मसले गये जो निराधार साबित हुए कि न्यायपालिका सोशल, इकोनामिक व पोलिटिकल चेंज लाने में बाधक है। इस सरकार द्वारा न्यायपालिका की उपेक्षा की जा रही है और उससे इस प्रदेश का भला नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका की मूल समस्या की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट के जजों का वेतन बहुत दिनों से, शुरू से वैसा ही चला आ रहा है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उनके वेतन के सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। जज डिस्ट्रिक्ट जज या जो मुंसिफ हैं उनका वेतन इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों से भी कम है और मैं समझता हूं कि यह चिन्ता का विषय है। न्यायालयों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह थर्ड पार्लियामेंट बनती जा रही है जब कि उसे केवल प्रजातंत्र की रक्षक होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

16 मिनट माननीय मंत्री जी बोले और 22 मिनट तक आप बोल चुके हैं। वेतन का विषय यहां का नहीं है। यहां उसे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता है।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, न्याय विभाग की तरफ से एक पुस्तिका बटी है जिसमें केवल लेखा-जोखा दिया गया है। वह लेखा-जोखा केवल पेंडिंग केसेज के बारे में हैं। इस लेखा-जोखा देने मात्र से इस समस्या का निदान नहीं होगा। उसका निदान केवल यह है कि जिला स्तर से लेकर हाईकोर्ट तक, जब तक अदालतों में वृद्धि नहीं की जायेगी। तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। जरायम प्रति वर्ष दुगने हो जा रहे है तो इस सरकार को दुगने न्याय लय स्थापित करने होंगे तभी जनता को न्याय मिल सकता है। न्यायालयों को दोषी ठहराया जाता है कि मुकदमें बहुत वर्षों से पेंडिंग हैं। सरकार 34 करोड़ ओवर टाइम बैंक इम्प्लाइज को दे सकती है लेकिन सरकार ने कोई इनवेस्टमेन्ट इस ओर नहीं किया कि अधिक से अधिक न्यायालयों की संख्या इस प्रदेश में बढ़ायी जाय। ठीक यही हालत न्यायालयों की बिल्डिगों की इस प्रदेश में है। इसके संबंध में कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं कि जिला स्तर पर कितने न्यायालयों के पास बिल्डिगें हैं, कितने न्यायालयों के पास बार बिल्डिग है और कितने न्यायालयों के पास लिटिगेन्ट्स, पब्लिक के लिए बैठने, पानी पीने और बरसात में, गरमी में छाया का प्रबन्ध है। ऐसा कोई जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं किया। जहां तक बजट का सवाल है न्यायपालिका पर जो इनवेस्टमेंट इस सरकार ने किया है वह मान्यवर, एक फीसदी, आधा फीसदी भी नहीं है। यह उदासीनता न्यायपालिका के प्रति इस सरकार की है। अगर इस

समस्या से निपटना है तो इस सरकार को और अधिक इनवेस्टमेंट इस विभाग पर करना होगा ।

इस प्रदेश की न्याय व्यवस्था के लिए माननीय मंत्री जी ने जो कदम बताये हैं, जैसा कानूनी एड का कदम इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैंने अपने जिले में देखा है। मान्यवर, सुन लीजिए। एस0पी0 और कलेक्टर और पुलिस की फोर्स, जज और मैजिस्ट्रेट, तहसील हेडक्वार्टर या जहां पर वह कोर्ट लगाते हैं, भीड़ भाड़ में वहां पर निर्णय करने का नाटक किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इससे आप की समस्या हल होने वाली नहीं है। एक बात कहना चाहता हूं। देवरिया जिले की घटना है. . . .

श्री अध्यक्ष—

समय का ध्यान रखें।

श्री दलगंजन सिंह—

दस मिनट लूंगा. . . . .

श्री अध्यक्ष—

25 मिनट से अधिक हो चुके हैं . . . .

श्री दलगंजन सिंह—

5 मार्च को, मान्यवर, देवरिया के एक जिला जज की डिक्री को लेकर. . . .

श्री जगदीश प्रसाद—

इस पर वक्तव्य स्वीकार कर लिया गया है। समय का दुरुपयोग न करें. . .

श्री दलगंजन सिंह—

दुरुपयोग नहीं करूंगा। तो, मान्यवर डिक्री लेकर अदालत का कर्मचारी गया हुआ था डिक्री को जारी करने के लिए। डिक्री को डिले कर दिया। पुलिस दरोगा ने उसके शरीर पर 18 चोटें पहुंचायी। उसको डिक्री जारी नहीं करने दिया और 15 दिन तक देवरिया की अदालतों में हड़ताल रही और मंत्री जी बैठे मुस्कुराते रहे। हमारे जिले जालौन की समस्या बताऊं। उरई में बार भवन का निर्माण होना था। लीज की पत्रावली आज चार साल से आपके विभाग में पेन्डिग है। आज तक निर्णय नहीं हुआ। वकीलों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। लिटिगेन्ट्स, पब्लिक, के लिए पानी पीने का प्रबन्ध नहीं है, बैठने के लिये स्थान नहीं है। करीब करीब सारे प्रदेश में यही दशा है। लाखों रूपये से जो कोर्ट रूम बनाये गये हैं उन तीन-तीन मंजिलों में हार्ट अटैक के वकील चढ़ कर प्रैक्टिस नहीं कर सकते और आज उनको हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी को सलाह देता हूं कि आप सस्ती इमारतों का निर्माण करायें क्योंकि आपके पास पैसा कम है। सोफिस्टिकेशन की ओर आप कम जायं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, तहसील स्तर पर जो विकेन्द्रीकरण का इन्होंने नारा दिया है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मान्यवर, आप भी चाहेंगे कि आपके कटौती के प्रस्ताव पर और भी सदस्य अपना विचार रखें। यह आपके लिये सौभाग्य की बात होगी कि काफी सदस्य इसमें भाग लें।

श्री दलगंजन सिंह—

मैं कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश की न्यायपालिका का जो विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है मैंने देखा है कि तहसील हेड-क्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट हेड-क्वार्टर पर बड़े-

[श्री दल गंजन सिंह]

बड़े वकीलों को लिटिगैन्ट ले जाते हैं जिससे उनको काफी धन की हानि उठानी पड़ती है। मवाक्किल की प्रोब्लम किराये की नहीं बल्कि उनकी प्रोब्लेम है शीघ्र और सही न्याय देने की। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि जूडीशियरी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार कहां पर नहीं है ? हमारे सामने मंत्री जी बैठे हुये हैं, इस बीमारी से सब लोग प्रभावित हैं और इस तरह से इस प्रदेश की जो न्यायपालिका है वह भी इस भ्रष्टाचार से प्रभावित है। इन लोगों के वेतन और सुविधायें बढ़ाये जाने से और उनके सम्मान में वृद्धि करने से समस्या का निदान खोजा जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं अपनी बात खतम करते हुये मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है गरीबके लिये न्याय नहीं रह गया है।

इसका दोषी न्यायालय नहीं बल्कि कानून बनाने वाले हम लोग इसके दोषी हैं। हम लोगों ने ऐसे कानूनों का निर्माण अपनी कलम से किया है और ऐसे पेचीदे कानूनों का निर्माण किया है जिससे केसेज के निस्तार में अधिक विलम्ब हो जाता है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आप कोई ऐसी व्यवस्था दे दें कि मंत्री जी बोल चुके और कटौती के प्रस्तावक भी बोल चुके और उसके बाद चर्चा समाप्त करा दें।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। ऐसी व्यवस्था आप चाहते है कि यह न उठाये होते तो अब तक उन की बात समाप्त हो गई होती।

श्री दलगंजन सिंह--

यदि कोई इस समस्या का निदान हो सकता है तो वह न्याय पंचायतों के जरिये से हो सकता है किन्तु मंत्री जी ने एक शब्द भी न्याय पंचायतों के बारे में नहीं कहा। यदि न्याय पंचायतों को मजबूत किया जाता, उनको ट्रेनिंग दी जाती मुकदमा करने की तो इस प्रदेश की गरीब जनता के छोटे मुकदमें वहीं समाप्त किये जा सकते थे। इसलिये केवल यही एक निदान था इस प्रदेश की गरीब जनता को न्याय देने का। मान्यवर, मैं इस कटौती के प्रस्ताव में बल देते हुये सुझाव देता हूं कि न्यायपालिका की गरिमा के लिये उसकी सर्वोच्चता को कायम रखने के लिये यह सरकार कदम उठायेगी।

श्री अध्यक्ष--

इसमें सवा घंटे में 32 मिनट तो आपके हो गये और 16 मिनट मंत्री जी के हो चुके

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

हमारे एल0 आर0 फखरे आलम साहब अभी बाकी हैं....

श्री अध्यक्ष--

मोहन सिंह जी, आपने अपना काम कर दिया है। कृपया शांत रहें मैं प्रार्थना करूंगा कि 5 मिनट से ज्यादा किसी को समय न दिया जाय। इतने समय के अन्दर ही प्रत्येक माननीय सदस्य अपनी बात कह दें। माननीय दलगंजन सिंह और माननीय न्याय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे उत्तर देते समय समय का ध्यान रखें।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी जैसे कत्ल और फौजदारी के मुकदमें में चकबन्दी पर बहस की जाय वैसे ही कटौती के प्रस्ताव में बात चल रही थी इस प्रदेश में हमारे कटौती के प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने पटना हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट की बात कही तो खुद ही उन्होंने मुकदमें को हरा दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सत्यपाल सिंह जी शांत रहें ।

श्री प्रमोद कुमार—

किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए उसकी न्यायपालिका शरीर में मस्तिष्क की तरह होती है । जहां पर कानून का पालन नहीं होता है वहां पर वह रोक लगाती है । अगर लोकतंत्र बहकने लगता है तो अगर देश की न्यायपालिका मजबूत होगी तो वह उसे जिन्दा रख सकती है (व्यवधान) अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो चुप रहें ।

श्री अध्यक्ष—

आपस में बात न करें ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, हमारे संविधान में 39 (क) में इस बात का प्राविधान है कि देश में न्याय सबको समानता के साथ मिलेगा । पहली बार इस प्रदेश के न्याय मंत्री ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें गरीब और कमजोर तबके के लोगों का ध्यान रखते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए बजट पेश किया है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, यह समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप शांत रहें ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इस देश की न्याय प्रणाली बहुत मंहगी है जिस कारण वह गरीब के लिए दुरुह है । तो उस मंहगाई का फायदा उठाकर बड़े तबके के लोगों ने गरीबों को हमेशा विवश कर दिया । हमारे इस बजट में पहली बार गरीबों का ध्यान रखते हुए परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया इसका गठन 24 जनवरी, 1981 में किया गया । निश्चित रूप से यह ऐसा कदम है जिसकी सराहना की जानी चाहिये । लेकिन इस कदम की सराहना उधर के सदस्य नहीं कर सकते है जो उनको हमेशा दबाते आये है और उसकी रहनुमाई से हमेशा अलग रहे हैं । मान्यवर, इस बात को कटौती के प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने नहीं देखा कि लगभग 44 स्थानों पर कैम्प कोर्ट पर लगा कर लगभग 12 हजार मुकदमों का निपटारा किया गया यह कोई मामूली बात नहीं है कोई भी सरकार इस दो वर्ष के छोटे से कार्यकाल में इस प्रदेश में 12 हजार मुकदमों को निपटा दें यह एक सराहनीय कार्य है । मैं यह कह सकता हूं कि यह कानून परामर्शदात्री समिति के माध्यम से जो प्रयोग किया जा रहा है और दो वर्ष के शैशव काल में ही इसने इतना बड़ा कार्य किया है जो निस्संदेह आने वाले समय के लिए प्रेरणा देता है कि हम गरीबों के लिए वचन बद्ध है, उनके लिए न्याय के दरवाजे बंद नहीं होंगे हमेशा सब को न्याय मिलेगा ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि न्याय मंत्री जी को आपके माध्यम से जमानतों के संबंध में । इस कानून का बहुत दुरुपयोग किया जाता है ? इसलिये मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सी सख्ती लाई जाए । (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं । जिस तरह से 1977 में हमारी सरकार के बाद विपक्षी सरकार आई तो इन्होंने पहला काम यह किया कि स्टेट ला-आफिसर्स जिनकी सेवायें 20, 25 साल की थी उनको दल के राजनीति की भावना से हटा दिया और खाकी हाफपैण्ट पोश लोगों को स्टेट ला आफिसर बना दिया तो इससे कानून व्यवस्था को घातक धक्का लगा । तो हमारी सरकार को ऐसे ला-आफिसर्स का भी ध्यान रखना चाहिये । हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र यह भी है कि गरीब तबके के लोगों को न्याय दिलाया जायेगा और उसको अधिक से अधिक सहायता दी जायेगी । इक शब्दों के साथ मैं माननीय न्याय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, अभी मैंने माननीय न्याय मंत्री जी का भाषण सुना और उसके बाद कटौती का प्रस्ताव रखा गया, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं चन्द शब्दों में कुछ सुझाव देना चाहूंगा, बजाए इसके कि मैं आलोचना करूं। आपने अपने बजट भाषण में और राज्यपाल के अभिभाषण में न्यायालय के शिविर लगाने की बात कही है और आपने उन शिविरों के माध्यम से 3,500 मुकदमे तय किये हैं। कहां किया है? मटियारी और बख्शी का तालाब आदि में शिविर किये हैं। लेकिन मुझे इन शिविरों को देखकर यह बातें याद आती हैं, आजकल हमारे जिले में और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में डाक्टर चन्द्रावती जी नसबन्दी के शिविर लगा रही है और उसका यह कहना है कि यह दो मिनट के अन्दर नसबन्दी करती हैं। तो मुझे इनके शिविर देख कर उसी शिविरों की याद आती है। लेकिन इन अदालतों में जो शिविर लगाये गये हैं, उनमें आपने दो मिनट का समय भी दिया है, आपने एक मिनट के अन्दर ही न्याय करने का दिखावा करके न्याय का गला घोंट दिया है। यह आप शीघ्र न्याय दिलाने का श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन आप गरीब को न्याय नहीं दिला रहे हैं, इस तरह से न्याय दिला रहे हैं, कि उसको न्याय दिलाने के स्थान पर आप अपने सिर का बोझ हल्का कर रहे हैं।

हाई कोर्ट की एक बेंच के बारे में जो बहुत समय से झगड़ा पड़ा है, उसके बारे में आपने न तो अपने बजट भाषण में और न पुस्तिका में ही कुछ कहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नीतिगत रूप से यह तय बात हो गयी थी कि पश्चिमी जिलों में हाईकोर्ट की एक बेंच बनेगी, किन्तु अभी तक यह मामला अधर में लटका हुआ है। आप इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाये हैं। प्रदेश में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट है और उसकी एक बेंच यहां लखनऊ में है, साथ ही उसकी दूसरी बेंच किसी पश्चिमी जिले में खोलने की बात चल रही है, स्थान का निर्णय लिया जाना है। लेकिन इसके पूर्व भी मैं न्याय की दृष्टि से एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लखनऊ बेंच के जूरिस्डिक्शन को बढ़ाने के बारे में विचार अवश्य कर लें। हमारे शाहजहांपुर जिले, हरदोई के जिले इलाहाबाद हाईकोर्ट में पड़ते हैं जबकि जनपद शाहजहांपुर और हरदोई लखनऊ के पास पड़ता है। अतः इन जिलों को लखनऊ बेंच के जुरिस्डिक्शन में शामिल कर दिया जाये। ताकि वहां के वादकारियों को इलाहाबाद की अपेक्षा लखनऊ आने जाने में आसानी और सुगमता हो सके।

आप जो न्यायालय खोल रहे हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स पर आपने जो नये नये भवन बनाये हैं, मेरे जनपद के तहसील तिलहर और जलालाबाद में न्यायालय भवन बन चुके हैं, लेकिन मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट चाहते हैं कि हमारे तबादले के बाद ही कोई भले ही चला जाये, हम नहीं जायेंगे। तो यहां पर न्यायाधीशों और मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था की जाये, जिससे उन भवनों का सदुपयोग हो सके।

इसके अलावा जो आपके मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट और न्यायिक मैजिस्ट्रेट हैं उनका वेतन इतना कम है कि वह अपने काम के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। आपका एस0 डी0 एम0 बन्दूकों के नाम पर हजारों रुपया पैदा करता है और ठाठ का जीवन व्यतीत करता है। जब आपके न्यायिक मैजिस्ट्रेट के बीबी बच्चे उसी कालोनी में रहकर देखते हैं कि उनके पति जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं मुन्सिफ है वह गरीबी और अभाव का जीवन गुजारते तो उन के मन में बड़ा क्षोभ पैदा होता है। इसीलिये आपके 80 फीसदी न्यायिक मैजिस्ट्रेट रिश्वत और भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाने के लिये मजबूर हो जाते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप इनके वेतन और सुविधाओं पर ध्यान दें ताकि वह ईमानदारी के साथ अपना काम कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज कल न्याय पंचायतों के निर्वाचन होने जा रहे हैं, अभी मैं अपने ब्लाक हेड-क्वार्टर पर गया था। इस समय इसके लिए आपने एक दिन का समय रखा है इस बात के लिए नामिनेशन के लिए। यह 10 से 3 बजे के बीच का समय रहेगा जबकि एक-एक ब्लाक में सवा सौ ग्राम सभाएं हैं। इस समय में इनके प्रधानों का नामिनेशन, इनके सदस्यों का नामिनेशन होना है। अनुसूचित जाति वालों का अलग से होना है। तो इन सब के लिए यह 10 से 3 बजे तक का पांच घंटे का समय बहुत ही कम है कि वहां पर के ए0 आर0 ओ0 और प्रिसाइडिंग आफिसर को एक पैसा भी बजट का ग्राम सभाओं के चुनाव के लिए नहीं दिया है जबकि उनकी हैसियत और कर्त्तव्य इतने अधिक हैं। सुरक्षा के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए और सही सूचनाओं को पहुंचाने के लिए उनको कुछ न कुछ रुपया अवश्य देना चाहिये ताकि चुनाव समुचित रूप से संपादित हो सकें। आपके जितने ए0 आर0 ओ0 और प्रिसाइडिंग आफिसर्स है, वे नायब तहसीलदार और ए0 डी0 ओ0 की लेविल के लोग हैं और थोड़े से पैसे के लालच से चुनाव की व्यवस्था ही भंग हो जाती है और वे प्रधानों की पर्ची ही खारिज कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस काम की देख रेख के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट्स को सुपुर्द करनी चाहिए।

मेरी यह भी प्रार्थना है कि जिन स्थानों पर आप न्यायिक मैजिस्ट्रेट्स के भवनों का निर्माण करा रहे हैं वहां पर शासन द्वारा कुछ न कुछ अनुदान वकीलों की एसोसियेशन्स को भी दें ताकि वे एक जगह बैठकर आपस में विचार-विमर्श कर सकें। वकील वर्ग को आफिसर्स-आफ-दि-कोर्ट कहा जाता है। बैठने की समुचित जगह न होने के कारण वे इधर उधर मारे-मारे फिरते हैं। जब कहीं पर कोई सनकी जज आ जाता है तो उनकी झोपड़ियों को भी हटवा देता है और वकीलों को बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि जहां जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट्स और मुन्सिफों के लिए आप भवन बनवा रहे हैं, वहां पर, मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है, जो कि कानून के ज्ञाता भी है, वकीलों की सुविधा के लिए शासन की ओर से वकीलों के लिए कुछ अनुदान देने की कृपा करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे न्याय के बजट पर बोलने का अवसर दिया। वादों का निस्तारण हो, समय पर हो और निकट हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों के विकेन्द्रीकरण के बारे में हमारी सरकार ने बड़ा ही जागरूक और सक्रिय कदम उठाया है। हमारे विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य ने अब निस्तारण के बारे में कहा कि कोई कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया। जस्टिस जस्टिस-एट-डोर को ध्यान में रखते हुए 38 तहसीलों में 76 मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स की स्थापना की गयी है। जो डकैतों से इन्फैक्टेड एरिया हैं उन जिलों में सदर न्यायाधीश की नियुक्ति की गयी है, जैसे जालौन, इटावा, कानपुर, कानपुर देहात तथा मैनपुरी आदि जनपदों में इसके साथ ही साथ निर्बल वर्ग के लोगों के लिए एक परामर्शदात्री समिति का भी 24 जनवरी, 1981 को गठन किया गया है जिसके तहत निर्बल और असहाय व्यक्तियों को, जनजाति, अनुसूचित जाति, स्त्रियों तथा बच्चों के लिए एक काननी परामर्श तथा सहायता देने की भी व्यवस्था की गयी है।

जिसकी आय 5,000 रुपये वार्षिक से कम होगी उसको एक साधारण प्रमाण पत्र देने पर, जो किसी भी संसद सदस्य, विधायक, क्षेत्र समिति के प्रधान और सरपंच का होगा उसे कानूनी सहायता दी जायेगी। इसके पहले भी कानूनी कमेटी की बात कही जाती थी लेकिन जब से माननीय मंत्री जी ने इस विभाग का कार्य भार संभाला है यह स्पष्ट कर दिया है कि किस-किस आधार पर और क्या-क्या सहायता दी जायेगी? केवल कानूनी राय की ही बात नहीं बल्कि उनको जागरूक भी किया गया है कि उनके क्या-क्या हक हैं।

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय]

होता यह था कि बहुत से गरीबों के खिलाफ मुकदमें करके उनको फंसा दिया जाता था और वह धनाभाव के कारण न्याय से वंचित रह जाता था। अब उनको सही राय मिलेगी और जो इन मुकदमों में कोर्ट फीस आदि पड़ेगी, उनको सहायता के रूप में दिया जायेगा।

(1 बज कर 30 मिनट)

मान्यवर, एक बहुत ही उपयोगी सुझाव देना चाहता हूं। मुंसिफ न्यायालयों में एक कमी है और वह यह कि उनको स्टेनोग्राफर नहीं दिये जाते मुन्सिफ न्याय को भी एक स्टेनो दिया जाना चाहिये, इसके न रहने से उनको जजमेंट लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। पिछले बजट के अवसर पर भी मैंने इस बात को कहा था।

हमारे जनपद गोंडा में 20 लाख की लागत का एक सिविल कोर्ट बन रहा है। उसमें 36 न्यायालय कक्ष है और कुछ आवासीय भवन भी बनाये जा रहे हैं, पर लिटिगेन्ट्स के ठहरने, उठने-बैठने की जगह नहीं है। मुवक्किलों को तो वकील लोग अपने पास बिठा लेते है, पर उनके साथ जो गवाह वगैरह आते हैं उनके बैठने की कोई जगह नहीं होती है। अत: हर कोर्ट में आप लिटिगेंट्स शेड्स बनवाने की भी व्यवस्था अवश्य करायें।

इसके अलावा, न्यायालयों में लिटिगेंट्स के पानी पीने की व्यवस्था, मूत्रालय व शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिये इन शब्दों के साथ मैं माननीय न्याय मंत्री जी के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वे इस का समर्थन करें और कटौती का प्रस्ताव का विरोध करें।

*श्री फखरे आलम--

मान्यवर, तमाम अदालतों में लिटिगेंट्स का हक सुप्रीम होता है, मगर हम यह देखते हैं कि अपने यहां वह सुप्रीम नहीं है, लिटिगेंट्स का हित सुप्रीम न होकर उनको डीग्रेड किया जा रहा है। चूंकि समय कम है, इसलिये मैं आलोचना न करके कुछ सुझाव ही दूंगा।

आज से 25 साल पहले लिटिगेन्ट्स यह समझता था कि अगर कोई झगड़ा है तो हम कोर्ट से फैसला करा लेंगे, लेकिन आज उसका विश्वास वह खत्म होता जा रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि आज जो इन्साफ करने वाले हैं उनको बहुत कम वेतन मिल रहा है जिसमें वे अपना गुजर नहीं कर सकते। एक सीनियर पी0 सी0 एस0 आफिसर जिला जज से अधिक वेतन पाता है। इस कारण जो भी इन्सान फैसला लेने के लिए जाता है उसे इन्साफ नहीं मिल पाता--"हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वह भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। तो जिस वक्त इन्साफ नहीं मिल रहा उस वक्त क्या नतीजा होगा? जब पेट भर भोजन और बच्चों की परिवरिश भर का उनको वेतन नहीं मिलेगा तो वे ईमानदारी से काम नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरा कहना यह है कि आप इन लोगों का वेतन बढ़ाइये।

एक मेरा सुझाव यह है कि आप इन सर्विस ट्रब्युनल को समाप्त कर दीजिये। यह बिलकुल सफेद बड़े-बड़े हाथी आपने बिठा रखे हैं। एक कर्मचारी को 8-8 सौ किलोमीटर दूर से चल कर यहां आना पड़ता है और न्याय नहीं मिलता। आज जिसकी दरखास्त हो उसे लखनऊ आना पड़ता है। तमाम दिन उसे सड़कों पर मारा मारा फिरना पड़ता है। पहले जिलों में अदालतों में जिस तरह की व्यवस्था थी उसको ही आप रखें और उन पर कोर्ट फीस न लगायी जाये। यह मेरा सुझाव है। सर्विस मैटर पर बिना कोर्ट फीस के मुकदमा दायर करना चाहिए। मान्यवर, मैं तीसरा सुझाव यह रखना चाहता हूं कि कोर्ट फीस में बहुत वृद्धि हो गयी है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी इतनी कोर्ट फीस नहीं है। अगर इसको कम नहीं किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आदमी आदमी के बीच इन्साफ न हो। "जस्टिस शुड नाट ओनली बि डन बट मस्ट आलसो सीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टू हैव वीन डन। न्याय केवल किया ही न जाय, बल्कि दिखाई दे कि न्याय हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर इन्साफ होता दिखाई नहीं दे रहा है बल्कि इन्साफ के बजाय साफ हो रहा है। आप यह चाहते हैं कि मकदमों का सफाया हो जाय, इन्साफ हो या न हो। हाई कोर्ट में 1,55,621 केसेज पैंडिग हैं। यू0 पी0 के सेशन्स कोर्ट में 65,201 केसेज पैंडिग है और दीवानी के मुकदमें 2,55,908 और मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 7,64,274 केसेज पेंडिग हैं। आप आर्बिट्रेशन का ऐसा प्राविजन कीजिए कि बहुत से मुकदमात आर्बिट्रेशन द्वारा फैसला किये जायं। मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि डी0 जी0 सी0 की पोस्ट को पोलिटिकल न बनायें।

अगर सरकारी वकीलों की पोस्ट को पोलिटिकल बना दिया, तो मुकदमों का फैसला पैरवी नहीं हो सकती और न लिटीगेंट को सही न्याय ही मिल सकता है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर 57 जिले हैं। मुझे माफ कीजिए, यह न समझा जाय कि मैं किसी अन्य बातों से कह रहा हूं, लेकिन श्रीमन्, उसमें मुसलमान और हरिजन तबके का एक भी जज नहीं है। इस तरह से श्रीमन्, यह कितनी शर्मनाक बात है। अगला सुझाव मेरा श्रीमन् यह है कि हाई कोर्ट का नोटीफिकेशन भी हो चुका है कि उर्दू में भी काम हो सकता है। लेकिन मान्यवर, अदालतों में अगर कोई उर्दू में दरख्वास्त लेकर जाता है, तो उसे फेंक दिया जाता है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उर्दू में दरख्वास्तें अदालतों में स्वीकार की जाय। आप इसका प्राविधान कर दें श्रीमन्। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अगला सुझाव यह देना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों का जूरिस्डक्शन खत्म कर दिया जाय। वह लोग जानते नहीं हैं कि किस तरह से न्याय किया जाता है। मान्यवर, वहां पर अन्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आपके लीगल रिमेम्बरेंसर, आपके जूडिशियल सेक्रेटरी जो हैं, उनको कार आपने प्रोवाइड नहीं किया है, बल्कि आपके छोटे-छोटे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको आपने आफिशियल कारें दे रखी हैं। मान्यवर, आपके तहसीलदार के पास भी गाड़ियां हैं। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जूडिशियल सेक्रेटरी को आफिशियल कार प्रोवाइड करने का आप इन्तजाम कीजिए। मान्यवर, यू0 पी0 डेट रिलीफ ऐक्ट नं0 4, सन 1977 में यह अमेंडमेंट कीजिए कि स्माल फारमर और मार्जिनल फारमर अगर अर्बन एरिया में वह रहता है, तो भी उसे इस ऐक्ट का लाभ मिलना चाहिए।

*श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, न्याय, स्वतंत्रता, समानता हमारे संविधान के और सभी विधियों का एक ऐसा सिद्धान्त है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे प्रदेश की जनता राजनैतिक प्रणाली की तरफ इसलिये देखती है कि उसका कितना लाभ है, कितना उसे लाभ मिला है। उन्हीं सिद्धान्तों में से न्याय पालिका भी एक सिद्धान्त है और आम जनता की यह शिकायत रहती है कि गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता। अमीर लोग ज्यादा न्याय प्राप्त कर लेते हैं और समाज के ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो उत्पीड़ित हैं, जो सताये गये हैं, जिसे न्याय के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जो सामाजिक परम्पराओं के बन्धन से उनके दरवाजे बन्द हैं, ऐसी परम्पराओं के कारण, वे न्याय पाने से वंचित रहते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि जो देहाती क्षेत्र, गांव में रहते हैं, गरीब लोग, चाहे वह निर्बल हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों, चाहे कमजोर हों, उन्हें ला के बारे में ज्ञान नहीं है और यदि उन्हें ज्ञान भी है, तो बड़े लोग, उस न्याय प्राप्त करने से उन्हें वंचित रखते हैं।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय न्याय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि 24 जनवरी, 1981 को बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश स्तर पर किया और इसी के आधार पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद]

जिले स्तर पर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गयी है। जिससे सन् 1981 में 3 हजार 497 मुकदमों का निस्तारण हुआ। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया 82–83 में 12 हजार मुकदमों का निस्तारण हुआ। श्रीमन्, दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हिन्दू मैरिज ऐक्ट के अन्तर्गत जो शारदा सहायक ऐक्ट पास हुआ है, हिन्दू मैरिज ऐक्ट के तहत उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाय जिससे बाल विवाह हमारे प्रदेश में रोका जा सके। दूसरा सुझाव मान्यवर, एक छुआछूत अस्पृश्यता निवारण विधेयक, 79 में पास किया गया है उसे कठोरता के साथ लागू किया जाय। एक सुझाव मेरा विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में है। मान्यवर, जो मंत्री जी ने विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया तहसील और जिला स्तर पर अपनाई है इसको प्रभावी ढंग से लागू करें।

मान्यवर, एक मुख्य सुझाव मेरा यह है जो बाद के मुकदमों की याचिका मुवक्किल इलाहाबाद और लखनऊ में हाई कोर्ट में नहीं कर पाता है उसके लिये कम से कम एक बेंच जिला स्तर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हो सके नहीं तो कम से कम मण्डल स्तर पर जरूर खोल दिया जाय जिससे जो व्यक्ति हाई कोर्ट में लखनऊ और इलाहाबाद में मुकदमा दायर नहीं कर पाता है वह मण्डल स्तर पर कर सकें। मान्यवर, हमारे संविधान की प्रतिज्ञा है कि न्याय सुलभ, सरल और कम खर्चीला न्याय होना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा संविधान की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। मान्यवर, एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि वकील लोग जितनी फीस पाते हैं लेते रहते हैं। उनकी फीस निश्चित होनी चाहिये।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि वकीलों के बैठने के लिये और जो वह बन्दरों की तरह पानी में घूमते रहते हैं मंत्री जी व्यवस्था करायें। भले ही उनसे किराये के रूप में हर महीने पैसा ले लिया करें। एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग डी0 जी0 सी0 नियुक्त होते हैं उनको दूसरे वकीलों से टक्कर लेनी पड़ती है। उनके रहने आदि की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, मैं उन सदस्यों का जिन्होंने मेरे कटौती के पक्ष में बयान दिये आभारी हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, जैसा कुछ लोगों ने बयान दिया ज्यादा कोर्ट फीस के बारे में। इस सम्बन्ध में ला मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग बुलाई थी और माननीय मंत्री जी भी उसमें गये थे। माननीय मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिये कि वह कोर्ट फीस समाप्त करने जा रहे हैं। दूसरा कानून ऐसा होना चाहिये जिस को जनसाधारण समझ सके। इसलिये कानून का सिम्प्लीफिकेशन आवश्यक है और जो हिन्दी में अनुवाद हुआ है वह इतना कठिन है कि आम जनता उसके हिन्दी के अनुवाद से लाभ नहीं उठा सकती है। मान्यवर, एक बहुत पुरानी मांग है हाई कोर्ट में पेंडिंग केसों के समाप्त करने के लिये एक और बेंच की स्थापना की जाय। जिससे हाईकोर्ट का भार कम हो सके। एक बात और कहना चाहता हूं ट्रिबुनल कमीशन के बारे में। यह बात सही है फखरे आलम साहब ने कहा कि सर्विस ट्रिबुनल समाप्त किया जाय। मंत्री जी आप इस बात को गंभीरता से लें और सर्विस ट्रिब्युनल को समाप्त करना अति आवश्यक है क्योंकि यह जिस उद्देश्य से बनाया गया था उसकी पूर्ति करने में यह अक्षम रहा है और 5 साल तक सर्विस के मुकदमे पेंडिंग रहे हैं।

मान्यवर, सत्ता पक्ष की ओर से कमिटेड जूडीशियरी "प्रतिबद्ध न्यायपालिका" कायम करने के लिये एक आन्दोलन चलाया जा रहा है। मैथ्यू कमीशन ने रिकमेंड किया था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट को डिस्मेंटिल कर दिया जाय जिससे कि प्रेसीडेन्शियल सिस्टम आफ गवर्नमेंट को कायम करने में इंदिरा जी का रास्ता प्रशस्त हो जाय। इसलिये हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट को डिस्मेंटिल करना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। सुप्रीम कोर्ट की गोलक नाथ केस की रूलिंग जो प्रेसीडेन्शियल सिस्टम में बाधक है, इसलिये यह प्रचारित किया जा रहा है और इसके लिये सत्ता पक्ष की बम्बई में वकीलों की एक कांफ्रेन्स बुलायी गई थी जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट को डिस्मेंटिल करके प्रेसीडिन्शियल सिस्टम इस देश में कायम करने के प्रस्ताव पारित किये गये। इसमें सुप्रीमकोर्ट हरडिल है, इसीलिये इसके डिस्मेंटिल करने की वकालत की जा रही है। मान्यवर, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो न्याय की परम्परा जहांगीर और विक्रमादित्य की रही है उसे कायम किया जाय और न्याय पंचायतों के द्वारा ग्रामोन्मुख न्याय दिलाया जाय। इस प्रकार सुदृढ़ न्यायपालिका इस देश और प्रदेश में संविधान और हमारी सिविल लिबरटी की रक्षा हो सकेगी। इस कल्पना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने जो अपने मूल्यवान सुझाव दिये इसके लिये हम उनके बहुत आभारी हैं। समय के अभाव में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी कही गयी हैं विरोध पक्ष की ओर से जैसे पार्लियामेन्ट और जजों के बारे में, नियुक्तियों और सेलेरी के बारे में, तो शायद मा0 सदस्य जानते होंगे कि वह हमारी परिधि में कहां तक आता है। हाई कोर्ट की बेंच की बात कही और अन्य बातें जो कहीं वह ऐसी हैं जिनका जबाव देना इस समय समय का दुरुपयोग करना है।

श्रीमन्, उरई में बार संघ के बारे में कहा गया तो उसके लिये जिला जज से सूचना मंगायी गई है और वह आने पर व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमन्, नव निर्मित भवनों में ट्वायलेट के बारे में चर्चा की गयी तो जहां-जहां यह भवन बन गये हैं वहां उसकी व्यवस्था की जा रही है।

मान्यवर, स्टेनोग्राफर के संबंध में कहा गया तो वैसे आलरेडी यह पहले से व्यवस्था है कि 3 साल की सेवा वाले मुन्सिफ जो हैं उनको स्टेनोग्राफर की व्यवस्था है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त एल0 आर0 के कार्य के बारे में एक बात सामने आयी उस पर भी हम विचार करेंगे। गांव पंचायतों के भवन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों की परिधि के अन्दर नहीं है लेकिन फिर भी जो कहा गया है उसके उचित स्थान पर भवन की व्यवस्था की जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपने माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपने इस कटौती के प्रस्ताव में जिन्होंने रखा है वह विद्वान आदमी है और ऊंचे सुझाव रखे हैं, इसलिये आशा करता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, हमने जो सुझाव रखें हैं उनको मंत्री जी मान लें और इस देश और प्रदेश की न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और गरिमा को कायम रखने का मंत्री जी बचन दें तो मैं वापस ले सकता हूं अन्यथा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,19,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,90,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) तथा अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

[1 बजकर 51 मिनट]

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से. . . .

श्री अध्यक्ष—

इसमें भी सवा घंटे हैं।

श्री घनीराम वर्मा—

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

लंच के टाइम में कोरम की बात तो नहीं होती। माननीय मंत्री जी जरा रुक जायं।

एक सदस्य—

1 से 2 बजे के बीच कोरम की कोई जरूरत नहीं होती।

श्री अध्यक्ष—

परम्परा यही है कि कोरम का प्रश्न न उठाया जाय। उठा दिया गया है तो कोरम आवश्यक है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष—

अब कोरम हो गया है।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,45,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,15,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, कारागार का ध्यान आते ही दोनों प्रकार की बातें सामने आती हैं। इस कारागार के अन्दर बंदी के रूप में ऐसे बड़े-बड़े देवताओं के समान और मानवता को प्रसन्न देखने वाले, मानवता के लिये त्याग और बलिदान की प्रेरणा करने वाले जो रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और साथ ही साथ वे लोग भी इसी कारागार में बंदी हुये जिन्होंने संसार में अमानुषिक व्यवहार किया, समाज में अन्याय किया और अपनी पिशाच-वृत्ति से मानवता को नीचा दिखाया। जब हम इस बात का ध्यान करते हैं तो कारागार में बंदियों की हैसियत से रहने वाले लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाय यह बात हमारे सामने आती है। कारागार में एक वे लोग जाते हैं तो दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिये, दूसरों की समस्याओं को दूर करने के लिये कारागार में जाते हैं और दूसरे वे लोग जाते हैं हैं जिनसे समाज को कष्ट होता है। तो जिस समय हम लोग निर्णय लेते हैं तो हमारे सामने दो तस्वीरें होती हैं। जिन्होंने इंसानियत को फरोग्त देने के लिये, इंसानियत को बेहतर बनाने के लिये त्याग किया उनको कारागार में क्या सुविधायें दी जायं और जिन्होंने समाज में दुर्व्यवस्था फैलायी उनके लिये क्या व्यवस्था की जाय इसकी ओर हमें सोचना पड़ता है।

मान्यवर, जब हम बरेली जेल के अन्दर जाते हैं तो सबसे पहली कब्र पड़ती है खान बहादुर खां की। उसमें लिखा है—

फांसी के तख्त पर लटके खान बहादुर तख्त नशीं
भारत मां की गोद में सोते हैं वह वीर यहीं।

उसके आगे बढ़ते हैं, दायें हाथ को चलते हैं तो पं० जवाहर लाल नेहरू की है और उसके आगे फांसी घर है। उसमें बड़े-बड़े डाकुओं को फांसी दी गयी। इसको देखते हुए कोशिश इस बात की करते हैं कि जो आज देश की बदली हुई स्थिति में जब हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि कल्याणकारी कार्यक्रम बने ताकि जो असामाजिक तत्व जेलों में बन्द किये जायें, वे ऐसी जिन्दगी बसर कर सकें जिससे बाहर आकर वे जिम्मेदारी उठाने योग्य बन सकें। जो राजनीति में हैं, उनमें देश का कोई भी ऐसा जिम्मेदार नागरिक नहीं बचा, जिसने कारागार को न देखा हो। कोशिश इस बात की की गयी कि उनको इन्सानी जिन्दगी बसर करने का मौका दिया जाय। वह शिक्षा दी जाय, वह प्रशिक्षण दिया जाय कि वह असामाजिक प्रवृत्ति को छोड़कर कारागार की अवधि के बाद बाहर आकर, समाज की जिम्मेदारियों को उठाने में सहयोग दें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इसके लिये हर तरह की सुविधायें दी जायं। जहां तक खाने, रहने और शौचालय का सवाल है, सारी चीजें की जा रही हैं, बहुत जगह कर दी गयी हैं, बहुत जगह कर रहे हैं और बाकी 1984–85 तक पूरी हो जायेंगी।

यह देखने में आता है कि शासन और बन्दियों में तनाव भी पैदा होता है, जिसकी वजह से जो सहूलियत देते हैं और इन्सान की जिन्दगी बसर करने का मौका देते हैं तो उसका दुरुपयोग होता है। शासन से हमेशा कटुता रखकर और अनुशासनहीता दिखाकर हमारे अच्छे कामों को भी कलंकित करते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि हम सोचें कि किस हद तक सहूलियतें दें और किस हद तक नियंत्रण करें, इस पर आप अपने सुझाव दें।

प्रजातांत्रिक पद्धति में विचारों का टकराव होता है, विपक्ष और सत्ता पक्ष के सोचने के तरीके में फर्क होता है। हमारी जेलों में जो राजनीतिक बन्दी जाते हैं, उन्हें शिकायत

[श्री राम सिंह खन्ना—]

होती है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। इसलिये इस पर भी विचार किया जा रहा है कि राजनीतिक बन्दियों को किस तरह की सहूलियतें दी जायं।

तीसरी बात यह है कि जहां तक बच्चों और औरतों के जेल में रहने का सवाल है, इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि वह अलग-अलग रहें। लेकिन फिर भी अमानुषिक बर्ताव और चीजें सामने आती हैं, जिसकी जिम्मदारी हम पर है। आप सुझाव दें कि क्या उपाय करने चाहिये? साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश की है कि उनको हर तरह की सहूलियतें दें। औरतों के लिये भी कोशिश की है कि उनको पूजा पाठ, कुरान-पाक, गीता, बाइबिल और गुरुग्रन्थ साहब तक देने की व्यवस्था की है। यदि वे तुलसी का पेड़ लगाना चाहें, नमाज पढ़ना चाहें, तो उसकी भी व्यवस्था की है। किसी भी कैदी को लेकर हमारा यह इरादा नहीं है कि उसे शारीरिक या मानसिक कष्ट दिया जाय। हम उसे बेहतर इन्सान बनाने में लगे हुए हैं ताकि वे एक अच्छा मानविक जीवन व्यतीत कर सकें। जिस तरह की भी कठिनाई हो, अगर हमारे सामने आयेगी, तो हम उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं। शासन बचनबद्ध है और कटिबद्ध है कि किसी भी नागरिक के साथ शासन द्वारा ऐसी पद्धति न अपनायी जाय जिससे कि किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट हो।

मुझे बहुत कुछ कहना था और बहुत से सुझाव थे लेकिन जहां तक आंकड़ों का सवाल है, वह आपके पास पुस्तक है—शौचालय, विद्युतीकरण आदि के विषय में उसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि आप इन सब चीजों पर मुझको सुझाव दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी नियत साफ है और बन्दियों के विषय में हम ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे कि वहां से निकलने पर वे समाज के उत्तरदायी नागरिक बन सकें।

अपने पूज्यनीय हमारे राजनीतिक पेन्शन के बजट को पेश करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सुविधा के बारे में मैंने जिक्र किया। जिसमें इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का चित्र सामने आता है तो तबियत भर आती है। उन्होंने किन उद्देश्यों को लेकर, किन भावनाओं से प्रेरित होकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यह जानते हुए कि जिस दिन हम निकलेंगे लाठी डंडे पड़ेंगे, गोलियां पड़ेंगी, फांसी होगी, . . .

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, इनको यह बताना चाहिये था कि इन्होंने जेल की समस्याओं को किस हद तक सुधारा है, लेकिन यह तो लाठी-डंडे की बात करने लगे।

श्री राम सिंह खन्ना—

मुझे दोनों बजट पेश करने हैं। आप किसी की भावनाओं का आदर करना सीखें।

हम किसी भी रुपये से उनके इस कृत्य की कीमत नहीं दे सकते हैं और उनके उसूलों को, आदर्शों को, त्याग और बलिदान को माप नहीं सकते हैं। इसलिये यह चीज कोई भी तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। जिस प्रकार से हम मन्दिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं और गिरजाघरों में जाते हैं और वहां जाकर अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ावा देते हैं, उसी प्रकार हमारा भी ध्यान इस तरफ है। साथ ही साथ यह भी चाहते हैं कि कोई सुझाव दें और कुछ बेहतरी हो सकती है तो करेंगे। सेवा सदन बना हुआ है, उसके बारे में यह नहीं चाहते कि वहां पर लोगों की निःसहाय के रूप में सहायता की जाय। आपसे यह चाहता था कि आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं को दूर कर उसकी स्थापना के उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग दें। आशा करता हूं कि आप सुझाव देंगे और जो हमसे हो सकेगा उसको कार्यान्वित करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(इस समय 2 बजकर 4 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने एक तकरीर भी दी। इस तकरीर में कहीं भी यह नहीं बताया कि हम जेल सुधार के लिये क्या कर रहे हैं। आज कल की जेल की समस्याओं के बारे में एक लफ्ज कहना भी माननीय मंत्री जी ने गवारा नहीं किया।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जेल का नाम बदल करके बन्दी सुधार गृह कर दिया गया है। सुनने में यह नाम बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसमें होता क्या है? उसमें अपराधियों को प्रशिक्षण देने का काम हो रहा है। वह अपराधी प्रशिक्षण गृह बना हुआ है। आज यह रद्दोबदल उसमें किया गया है। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि बन्दी सुधार गृह के इरादे को सुधारने का कष्ट करें, केवल नाम बदल कर लिख देने से कुछ होने वाला नहीं है।

माननीय मंत्री जी अंग्रेजों से स्वयं त्रसित थे लेकिन इनके दिमाग में कभी यह बात नहीं आयी, इन्होंने इस पर कभी नहीं सोचा कि कौन सी चीज हटा करके जेल का प्रशासन सही किया जा सकता है।

मान्यवर, जेलों को सुधारने के लिये एक जेल मैनुअल की व्यवस्था है यह जेल मैनुअल बाबा आदम के जमाने का है अंग्रजों का बनाया हुआ, उसी पर हमारे माननीय मंत्री जी चल रहे हैं। 31 मार्च, 1981 के बजट पर बोलते हुए माननीय मंत्री जी ने इस बात की ताईद की थी कि "मैं आश्वासन देता हूं और घोषणा करता हूं कि जेल मैनुअल 6 महीने के अन्दर तबदील होकर इसका कार्यान्वियन किया जायेगा।" लेकिन आज मान्यवर, एक साल बीत जाने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनकी करनी और कथनी में अन्तर है। परन्तु मंत्री जी अपनी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं समझते हैं। मैं समझ रहा था कि मंत्री जी हृदय से भाषण दे रहे हैं परन्तु अब लगता है कि ये अपना भाषण केवल कण्ठ से ही दे रहे थे। जब तक भाषण हृदय से नहीं होता है तब तक उसका कार्यान्वियन भी नहीं होता है।

दूसरी चीज मान्यवर, जो कि सबसे बड़ी है, यह महत्वपूर्ण मामला है जेल कर्मचारियों का। मान्यवर, जेल के कर्मचारी बहुत ज्यादा पीड़ित और त्रस्त हैं, वेतन निर्धारण के मामले को लेकर। इस संबंध में उनके साथ बहुत ज्यादती की गयी है। जेल कर्मचारियों को अंग्रेजों के समय वेतन पुलिस कर्मियों से ज्यादा मिलता था। वेतन उनको ज्यादा मिलने के बाद तरक्की यह हुई कि 1947–63 तक उनके वेतन को पुलिस कर्मियों के बराबर कर दिया गया और फिर उसके बाद उनके वेतन को कम कर दिया गया। मान्यवर; यह उनके साथ निरन्तर ज्यादती हुई। उन्होंने अपनी एक न्यायसंगत मांग को लेकर सरकार को एक पत्र इस आशय का दिया कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा वेतन बढ़ाया जाय किन्तु सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार के ध्यान न देने पर अनुशासनबद्ध कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन वे पूरी तरह से करते रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रदीप कुमार यादव—]

उसके बाद उन लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये हाथ में पट्टी बांध कर काम पर आना शुरू किया और सरकारी कपड़ों को नहीं पहना। सरकार को चाहिये था कि उनके पक्ष में कोई निर्णय वह लेती परन्तु ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने एक नोटिस दिया कि शासन यदि हमारी न्यायसंगत मांगों को नहीं मानता है तो हम 31 अक्तूबर से हड़ताल करेंगे। अपना शान्तिमय आन्दोलन करेंगें, लेकिन होता क्या है? 31 अक्तूबर आने नहीं पाता, 29 अक्तूबर को ही सरकार की तरफ से निर्देश चला जाता है और प्रदेश की सारी जेलों को टेक ओवर कर लिया जाता है। होमगार्डों को नियुक्त कर देते हैं। यह सब हो रहा है और आन्दोलन हो रहा है। इसके पीछे एक उद्देश्य था, ये बेचारे चाहते थे कि किसी प्रकार से समझौता हो जाये और हड़ताल टल जाये लेकिन यह सरकार, दिल्ली की मलिका के इशारे पर हमारे प्रदेश के मुखिया, यह नहीं चाहते थे। इसलिए, क्योंकि 22 नवम्बर को बहुगुणा जी का चुनाव था, तो इसको मद्देनजर रखते हुए उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया और 2 दिन पहले ही जेलों को टेकओवर कर लिया गया।

नतीजा क्या हुआ, बहुत से लोग बन्दी बनाये गये और इसकी पुष्टि अमृत प्रभात लखनऊ से छपता है उसके 16 तारीख के अंक में है, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि, छपा है, श्री सिंह ने राज्य के गृह सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री जे० सी० पन्त को राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में 10 नवम्बर को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि दिखायी। गोपनीय और अत्यावश्यक पत्र में गृह सचिव ने लिखा था कि जेल कर्मचारियों के आन्दोलन और अन्य अनेक कर्मचारी संघों द्वारा हड़ताल पर जाने की धमकी से राज्य सरकार के सामान्य कार्यों में बाधा पड़ रही है। कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस फोर्स का एक बड़ा भाग जेलों में लगाया जा चुका है।

पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन, राज्य में शिया सुन्नी के झगड़े, देवबन्द दारूल उलूम तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक स्थिति जैसे मामलों को हल करने में लगी हुई है। ऐसी हालत में गढ़वाल उप चुनाव के लिए अपेक्षित पुलिस फोर्स अभी संभव नहीं है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सरकार की यह नीति थी कि यह चुनाव किसी प्रकार से टल जायें और उसके तहत योजनाबद्ध स्वरूप इनकी मांगें नहीं मानी गयीं। ये गरीब आदमी हैं, इन लोगों ने बराबर कोशिश की कि कोई समझौता हो जाये और इस मामले को निपटाने के लिए माननीय सदन के माननीय सदस्य प्रभाकरनाथ द्विवेदी, जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी हैं, और पार्टी के महामंत्री भी हैं, ने कोशिश की थी और मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उसका नतीजा यह हुआ कि 18–11–81 को जेल मंत्री, श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी के इण्टरफियरेंस की वजह से इस मामले में यह तय पाया गया कि 4 बिन्दुओं पर सुलह हो गई। वह बिन्दु क्या थे—नो विक्टिमाइजेशन, किसी प्रकार का उन के ऊपर ज्यादती न हो, केसेज टू बी विदड्रान, जितने भी केसेज हैं, उनके ऊपर चल रहे हैं हड़ताल के संबंध में, समाप्त कर दिये जायेंगे। तीसरा था एबसेंस आफ दिस पीरियड बी रेगुलराइज्ड ऐज लीव, इसमें जो हड़ताल में रहेंगे उसको रेगुलराइज कर दिया जायेगा छुट्टी के माध्यम से और चौथा था आल दि एम्प्लाइज विल ज्वाइन देयर ड्यूटीज इन देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेज। जो कर्मचारी जहां पर कार्यरत थे वहां सेवा में लगा दिया जायेगा। यह मुआहिदा है। यह जो मुआहिदा है उसकी मेरे पास कापी है।

मंत्री जी के कुछ करेक्शन किए हुए पेपर्स हैं। माननीय मंत्री जी ने वायदा किया लेकिन मा० मंत्री वायदे से मुकर गए और जब वायदे से मुकर गए तो जेल की यूनियन थी, उसके नेतागण थे सुरेन्द्र गहरा, उन्होंने एक पत्र मा० मुख्य मंत्री जी को भेजा और उस पत्र में यह लिखा कि अगर 5 दिसम्बर तक हम लोगों की मांगें यानी जो समझौता हुआ

था उसको स्वीकार नहीं किया गया तो हम लोग अनशन करेंगे माननीय मंत्री जी ने 5 दिसम्बर, 1981 को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि प्रिय श्री गेहरा मुझे आप का पत्र दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 प्राप्त हुआ जिसमें आपने दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 से यू0पी0 जेल एसोसियेशन के पदाधिकारियों के साथ आमरण अनशन पर बैठने का विचार व्यक्त किया है। कुछ परिस्थितियों वश आपको भ्रम है। किसी जेल कर्मचारी को उत्पीड़ित किए जाने का विचार शासन द्वारा न तो कभी किया गया था, न किया जा रहा है और न किया जायेगा इसी तरह से आगे और भी माननीय मंत्री जी ने इस पत्र के जबाव में काफी कुछ लिखा है। इस पत्र के बावजूद आज माननीय मंत्री जी हीला हवाला कर रहे हैं, कर्मचारी बेचारे दौड़ रहे हैं तो इस तरह से यह भानुमती का पिटारा कब तक चलता रहेगा और कब तक आप यहां के कर्मचारियों को गुमराह करते रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मान्यवर, जरा समय का भी ध्यान रखें।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

समय का ध्यान है मान्यवर, लेकिन यह विषय ही ऐसा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका और कारागार मंत्री जी का विषय काफी विषयायुक्त है, समय भी हमारा साथ नहीं दे रहा है और सवा घन्टे में मैं किस-किस को बुलाऊंगा। आप संक्षेप करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

इस पत्र के बाद 3 सहायक जेलर, 66 वार्डेन, 4 डिप्टी जेलर सेवा से निकाल दिये गये और कहा जाता है कि कहीं कोई बात नहीं है अगर सब नौकरी पर लगाये जा रहे हैं लेकिन असलियत यह है कि वह आज सड़क पर टहल रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं मा0 मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यह क्या मजाक आप कर रहे हैं? यह भी है कि किसी भी वार्डेन का स्थानान्तरण एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में नहीं किया जायेगा जब कि उन का स्थानान्तरण एक मंडल से दूसरे मंडल में किया जा रहा है। यह क्या घोर अन्याय हो रहा है। आप कानून के रक्षक होकर कानून के भक्षक बनते जा रहे हैं। मान्यवर वहां पर जो 10 और 15 साल से काम करते चले आ रहे हैं उनको इस हड़ताल के सिल सिले में निकाल दिया गया और उनको नए सिरे से सेवा में आने पर मजबूर किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि वह नए सिरे से अपनी डाक्टरी जांच करायें। इस तरह से यह नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। इसी प्रकार के एक वार्डेन जो वहां की सेवा में था, उसको निकाल दिया गया। यह आदमी बीमार था और बीमारी के समय बकाया तनख्वाह भी नहीं दी गयी और जिसका नतीजा यह हुआ कि उसका स्वर्गवासी हो गया। तो ये सभी हत्यारे हैं। इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी थी कि इनको फौरन काम दें और जो इनकी बकाया तनख्वाह थी, वह उनको दे। मेरी समझ में नहीं आता कि उनके साथ इस प्रकार से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? फिर जब हड़ताल चल रही थी तो 29 आफिसरों और 100 वार्डेस को आई0 जी0 प्रिजन्स ने अनड्यू प्रमोशन दे दिया और साथ ही साथ कारागार सचिव ने एक जी0 ओ0 कारागार महानिरीक्षक के नाम पर इस बात की हिदायत के साथ भेज दिया कि जिन लोगों को इस दरमियान नौकरी में रखा गया है, उनके नामों को पुनरीक्षित किया जाय और जो कर्त्तव्य निष्ठा के प्रति उपयुक्त न हों उनको रिबर्ट कर दिया जाय। लेकिन तीन चार महीने पहले आदेश देने के बाद भी आज तक उसका पालन नहीं किया गया। जो अधिकारी आपके आदशों का इस प्रकार से उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं? हमें पता है कि माननीय मंत्री जी साफ जबाव नहीं देते हैं। उनके शरीर

[श्री प्रदीप कुमार यादव]
को जैसी गोलमोल बनावट है उसी तरह से वे जवाब भी गोलमोल ही देते हैं। जनहित में जो ठीक उत्तर हो वही दें तो अच्छा होगा। अब तो जब से मिनिस्टर बने हैं खा पीकर उनकी बनावट ठीक हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—
आप जेल बजट पर बोल रहे है या मंत्री जी की गोलाई और लम्बाई पर ?

श्री प्रदीप कुमार यादव—
माननीय मंत्री जी भी विभाग में सम्मिलित हैं, इसलिये मैं इस बात को कह रहा हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि जेल में बिलकुल रामराज्य है। तो कैसा रामराज्य है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—
अब मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत से सदस्यों को बोलना है समय निर्धारित है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—
अभी इसके पहले कटौती प्रस्ताव के ऊपर आधा घंटा समय दिया जा चुका है। यही समय निर्धारित है।

श्री उपाध्यक्ष—
यह पीठासीन अधिकारी की मर्जी पर है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—
मैं आपके अधिकार को चैलेंज नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—
आपने कहा न कि पहले दिया गया था। जल्दी समाप्त कीजिये। यह परम्परा नहीं है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—
बहुत कुकर्म किया है इन्होंने, उसके लिये समय की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस समय जेल में कैदियों के साथ बच्चों के साथ क्या हो रहा है ? क्या आप तरक्की कहते हैं कि जेल में बालक भोग हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—
उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय प्रदीप कुमार जी ने बालक भोग की बात कही, तो क्या माननीय मन्त्री जी ने उनके साथ ऐसा कुछ किया है क्या ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—
आप दोनों एक ही जिले के है, इसलिये मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—
'रविवार' नाम की एक पत्रिका है 10 जनवरी का जो अंक है उसके पेज 13 की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मेरे ख्याल से माननीय मन्त्री जी के ध्यान में यह बातें आई होंगी। नहीं आई हैं तो मैं उन्हें भिजवा दूंगा, पढ़ लेंगे ताकि उन्हें स्थिति से जानकारी हो जायगी। इसमें लिखा है 'मासूम बच्चों के साथ बलात्कार'। 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं, निरीह, मासूम बच्चों के साथ वहां के जेल कर्मचारियों और अधिकारियों के सांठ-गांठ से वहां के पेशेवर अपराधियों

द्वारा बलात्कार किया गया, अनैतिक कार्य किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी कानपुर जेल गये, घटना की जांच की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की ? कोई बहुत दूर नहीं है। इस बात की छानबीन करनी चाहिए थी। रिपोर्ट किससे मंगाते हैं। रिपोर्ट उसी से मंगाते हैं जो कि .....

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या—
ब्रह्म दत्त जी को भेज कर जांच करवा लीजिए।

श्री धरम पाल—
पाठक जी को भेजना चाहिए था . . , .

श्री उपाध्यक्ष—
धरम पाल भी इसमें रुचि रख रहे हैं।

श्री प्रदीप कुमार यादव—
इसमें आगे लिखा है "उत्तर प्रदेश के जेल उप निरीक्षक द्वारा 14 दिसम्बर को जारी एक बयान में स्वीकार किया गया है कि उस समय तक कानपुर जेल में 84 बच्चे बन्दी थे जब कि किदवई नगर जेल सुधार गृह भेजा जाना चाहिए था। राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद जेल अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। इस संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उन सभी बालकों के साथ व्यभिचार किया गया है"। यह स्थिति जेल में हो रही है।

मान्यवर, यह कानपुर का मामला है। हरदोई जेल का जल्दी का मामला है, 10 जनवरी का। 10 जनवरी को एक कैदी पेशी से आता है, जेल में जाता है तो वहां के वार्डर को पिस्तौल से मार कर उसको जख्मी कर देता है। यह आपका नियन्त्रण है। मान्यवर, इस प्रकार गोली चलाई गयी। व्यवस्था आपके जेल में इतनी लचर है। आप बहुत अच्छा शासन बता रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था बता रहे हैं। इस व्यवस्था के होते हुए यह कैसे हो गया। कैसे पिस्तौल जेल के अन्दर चली गयी। इससे नतीजा साफ निकलता है कि पैसे के धंधे पर वहां जो कुछ चाहो वह हो सकता है। किसी चीज को कमी जेल में नहीं है और यहां तक जेल में औरतें गर्भवती हुयी हैं। यह भी आप को बताना चाहता हूं कान लगा कर सुन लें। यह बरेली जेल का मामला है। साथ ही साथ कारागार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकदल के कार्यकर्ता सीतापुर में अनशन पर बैठ हुए हैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—
माननीय यादव जी, अब आपका आधा घंटा हो गया है, इससे ज्यादा एक मिनट नहीं।

श्री प्रदीप कुमार यादव—
कुछ सुझाव दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष—
नहीं, अब नहीं . . . . .

श्री प्रदीप कुमार यादव—
पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं. . . .

श्री उपाध्यक्ष—
बाद में मौका मिलेगा, फिर कह लीजिएगा।

[2 बजकर 30 मिनट]

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपनें हमको माननीय खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत जेल और राजनैतिक पेंशन के गजट पर बोलनें का अवसर दिया।

माननीय मन्त्री जी नें बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं. . . .

जहां तक कटौती का प्रश्न है जोकि हमारे विरोधी दल वालों नें प्रस्तुत किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। श्रीमन्, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि सन् 1947 के बाद से जेलों में बहुत सुधार हुआ है और सुधारों की ओर यह सरकार जागरूक है। मुख्य मन्त्री जी जागरूक हैं। सबसे बड़ी विषमता जो है वह यह है कि हमारे प्रदेश में जेलों के जो विभागाध्यक्ष महोदय हैं वे सरकार के आदेशों की अवहेलना करनें पर उतारू हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मुद्दों पर जेल के हमारे आई0जी0 नें शासन की अवहेलना की है उन-उन मुद्दों पर सख्ती से उनको बरता जाय और अविलम्ब उन पर कार्यवाही की जाय। उदाहरण के तौर पर 12 दिसम्बर, 1980 को एक समझौता जेल एसोसिएशन और हमारे तत्कालीन जेल के मन्त्री के माध्यम से हुआ था। उस फैसले के क्रियान्वयन की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कृपया वे उनको देखें। उनकी जो 15 मांगें थीं उस में से किन-किन मांगों का कार्यान्वियन नहीं हुआ है। इस बारे में आप ध्यन दें।

हम माननीय मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के आभारी हैं कि उनकी जेल कर्मियों और मजदूर वर्ग के लोगों के प्रति सद्भावना है जिसके तहत उन लोगों की मांगों को मन्जूर किया गया था और उनको तत्काल प्रभावी बनाया था। श्रीमन्, उस समय उन्होंनें जेल कर्मियों को धुलाई भत्ता, एक महीनें का अतिरिक्त वेतन पुलिस कर्मियों की तरह उनको दिया था। अप्रैल में शासनादेश हुए थे कि एक महीनें का अतिरिक्त वेतन केवल कुछ लोगों को अराजपत्रित अधिकारियों को जिनको इतवार और सेकेन्ड सैटरडे का अवकाश नहीं मिलता था, उनको दे दिया जाय। उनमें से सबको यह वेतन नहीं दिया गया। इसका दोष किस पर है? इसका दोषी अधिकारी आई0जी0 हैं, उसके खिलाफ आपनें क्या ऐक्शन लिया है, इसको आप कृपया बतावें।

दूसरी बात यह है कि जुर्माना जो जेलों में किया जाता था और उनकी तनख्वाह का 1/4 तक करने का उनको हक था। माननीय मुख्य मन्त्री जी नें जुर्मानें की प्रथा को जेल से समाप्त कर दिया और यह आदेश दिया कि जेल मैनुअल में इस तरह से संशोधन कर दिया जाय। वह तत्काल प्रभाव से लागू हुआ था लेकिन वह आज तक प्रभावी नहीं हो सका है और इसकी एक मात्र जिम्मेदारी मिस्टर ढेसी जेल के जो आई0जी0 हैं उनकी है। अक्तूबर में इसके आदेश हो गये थे और क्लियर कट आदेश थ किन्तु अभी तक उन आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः मैं मांग करता हूं कि मन्त्री ऐसे अधिकारी को तुरन्त मुअत्तल करेंगे. . .

(व्यवधान)

वह आई0ए0एस0 हों या कुछ और हों।

आज उत्तर प्रदेश सरकार और हिन्दुस्तान का शासन प्रजातांत्रिक ढांचे से चल रहा है। आपने देखा कि जो हड़ताल जेल की हुई तो उसमें क्या हुआ? मैं भी हड़ताल के सम्बन्ध में जेल कर्मियों की मध्यस्थता में था। 26 अक्तूबर को मुख्य मन्त्री जी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी मामलों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायगा। जेल कर्मी तैयार थे लेकिन 8 बजे रात को यह संदेश आया कि अगर हड़ताल नहीं तोड़ेंगे तो तुम्हारे लोगों की बहन-बेटियों को बेइज्जत किया जायगा, जानवर खोल दिए जायेंगे,

घरों की बिजली काट दी जायगी, सामान निकाल कर फेंक दिया जायगा जिस पर हड़ताली जेल कर्मियों ने लिखकर दे दिया कि हम हड़ताल नहीं तोड़ रहे हैं। उन्होंने वायदा किया था, वह निभाया नहीं है। मैं देखता क्या हूं कि 28/29 की रात को सारे जेल कर्मियों से चार्ज ले लिया गया। यह शासन का काम है कि उनको ठीक से चलाना चाहिए था जब उनको जेल से विदड्रा कर लिया गया था तो उसके बाद वे लोग कैसे तोड़ फोड़ कर सकते हैं? हम खन्ना जी के आभारी हैं कि उन्होंने बड़ी सहृदयता से उनको सुना और 18 ता0 को जैसा भाई प्रदीप कुमार जी ने कहा 4 मामलों पर बात हुई वह लोग तैयार हो गए थे लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी न एक लिस्ट सुनाई कि इतने लोग नहीं लिए गए। आज भी आई0जी0 की लिस्ट में 166 आदमी लापता हैं। तो माननीय मंत्री जी ने हड़बड़ा कर उनसे एक लिस्ट मंगाई तो उन्होंने उल्टी-सीधी लिस्ट बना कर दे दी।

मैं कहना चाहता हूं कि आई0जी0 की सी0आर0 देखी जाय।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझ एक मिनट और दे दें। उनको कर्मियों को निकालने में लुत्फ आता है। 20, 25 दिन पहले एक समाचार आया था कि यहां उसका घर बिक रहा है हायर इनकम ग्रुप में, उसमें वहां के लोग काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि क्या उनको सूचना विभाग से इसकी सूचना मिली है? आप उसको मंगा कर देख लें और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। आप इसकी जांच करवायें 752 रु0 का मकान का कट रहा है और वह किराया ले रहे हैं। वह हवाई जहाज पर जाते हैं और हवाई जहाज का किराया सुपरिटेंडेंट लेते हैं।

जो होमगार्ड में भर्ती की गयी है उसमें दो हजार और तीन हजार लोगों से लिया गया है। इस प्रकार सारे अधिकारियों में रुपया बंट जाता है। इसकी जांच आप करा लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मन्त्री जी ने आदेश दिए थे कि डाक्टरी नहीं होगी जो लोग 15, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है उनसे डाक्टरी के लिए कहा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अविलम्ब इस आई0 जी0 को निलम्बित किया जाय, शासक की महत्ता को ऊंचा करने के लिए, कांग्रेस की महत्ता को और अपनी महत्ता को ऊंचा करने के लिए जेल शासन में रिफार्म करें और इसके लिए एक आयोग बैठाएं, जेल आयोग जिसमें पूरी चीजों को देखा जाय और जो सही मांगें हैं उसको मन्जूर किया जाय जिससे जेल में और जेल कर्मियों में सुधार हो।

मैं थोड़ा पेंशन के बारे में, अगर आपकी इजाजत हो तो कहना चाहता हूं कि जो पोलिटिकल पेंशन पाने वाले लोग हैं उनकी आज बेइज्जती हो रही है। उनकी मान्यता के लिए आप अधिकारियों को आदेश दें कि उनसे यह लोग मान्यतापूर्वक बात करें। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं और जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारी को निलम्बित करें और उन सी0आर0 को आप देख लें कि किस प्रकार का उनका सी0आर0 है?

*श्री धनी राम वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, स्वतन्त्रता के बाद आजाद भारत में यह आशा थी कि जेलों में सुधार होगा और जो अपराधी लोग जेलों में हैं उनकी अपराधिक प्रवृत्ति में कमी आयेगी और जेल से सुधर कर वे आयेंगे? यह सभी लोग जानते हैं कि आज जेल जिनको हम सुधरा हुआ देखना चाहते थे वह भ्रष्टाचार और दुराचार के अड्डा बनकर रह गए हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धनीराम वर्मा]

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जेल के अन्दर तमंचे और चाकू चलते हैं। जिन लोगों ने पहले जेल से बाहर रहकर वह अपराध नहीं किए थे, जेल के अन्दर जाकर वे उससे ज्यादा अपराधी बन जाते हैं, उससे बड़े-बड़े अपराध वहां सीखकर करने लगते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जेलों में जो खाने और पीने की समस्या थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कैदियों को आज वही सड़ी सब्जी और पानी की पतली दाल खाने को मिलती है। आज भी उनको पाखाना पेशाब के लिए गन्दे टट्टी गृहों में जाना पड़ता है. . . . .

मान्यवर इतना ही नहीं शराब, भांग, गांजा आदि सभी नशीले पदार्थ वहां आसानी से सुलभ हो जाते हैं जो चीजें बाहर भी नहीं मिल पाती हैं। सभी गैर-कानूनी चीज वहां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

आज बाजपेयी (श्याम लाल) जी ने पैंतरा क्यों बदल दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपके पड़ोसी जो ठहरे।

श्री धनी राम वर्मा—

इतना ही नहीं जेल के अन्दर स्त्रियों और बच्चों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा है। इसके साथ ही जो पीन का पानी मिलता है वह नितान्त गन्दा मिलता है। एक सीमेंट का हाउस बना दिया गया है उसी से सबको पीने और नहाने का पानी लेना होता है। पेंशन के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। बहुत से लोग फर्जी पेंशन ले रहे हैं और बहुत से वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानी, जिन्होंने अपने जीवन की सभी सुख सुविधाएं त्याग दी थीं, आज आपकी पेंशन से वंचित पड़े हैं। अतः अब मैं आपके विभाग के सम्बन्ध में चन्द सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम जल का नाम कारागार के स्थान पर सुधार गृह रख दिया जाय, जो प्रस्तावित था।

दूसरा सुझाव यह है कि कैदी की क्षमता के अनुसार यदि वह बुद्धिजीवी है तो उससे बुद्धि का काम और श्रमजीवी है तो उससे मेहनत का कार्य जल में लिया जायें। कैदी की क्षमता के अनुसार उसे काम जरूर दिया जाय, जिससे वह खाली न बैठ, क्योंकि खैली दिमाग शैतान का घर होता है और उसे उसके कार्य के बदले में पैसा भी दिया जाय जिससे वह घर के लोगों का भरणपोषण कर सके। इसके साथ ही उसे पीन के लिए स्वच्छ जल दिया जाय और खान के लिए अच्छा भोजन दिया जाय। उसमें ज्यादा न हो तो उसमें अच्छी सब्जी हो, सड़ी हुई नहीं और पकी हुई रोटी हो। जिसमें कोई गन्दगी न हो। वहां पर फ्लैश की लैट्रीन हो, जिसमें चूना आदि नियमित रूप से डाला गया करे। स्त्रियां और बच्चों के लिए अलग-अलग पुरुषों से अलग जल गृह बनाए जायें, ताकि जो स्त्री बच्चें आज पुरुषों के शिकार बन गए हैं वह न हो सकें। मैं स्पष्ट कोई चीज नहीं कहना चाहूंगा, मन्त्री जी समझते होंगे। आज स्त्रियां और बच्चों पर अत्याचार किए जा रहे हैं वह उससे बच सकें इसलिए उनको अलग रखा जाय। मैं यह भी चाहूंगा कि आपके जल रक्षक का वेतन बहुत कम है, उसे बढ़ाया जाय। पुलिस के कांस्टेबुल के बराबर जेल रक्षक का वेतन किया जाय जिससे वह अपने परिवार का पालन-पोषण ठीक से कर सके। मैं यह भी चाहूंगा कि जेल के अन्दर कैदियों के भोजन से जो कटौती करके जेल अधिकारियों की गाय, भैंस पलती हैं वह कटौती रोकी जाय। हम और आप सभी जेलों में गए हैं। हम कांग्रेस में और उसके बाद लोकदल में रहकर कई बार जेल गए हैं और देखा है कि भोजन में कटौती होती है जिससे जेल के अधिकारी लोग अपना और अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण करते हैं और गुलछर्रे भी उड़ाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि उसको बन्द किया जाय।

दूसरे मुझे यह भी कहना है कि जेल के अन्दर जो सब्जी उगाई जाती है, जो जेल के अधिकारियों के खाने के लिए होती है। मेरी प्रार्थना है कि जो उसको उगाने वाले कर्मचारी हैं, उनको भी खाने के लिए दी जानी चाहिए।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं मेरे द्वारा कही हुई बातों को ध्यान में रखते हुए जेल में वांछित सुविधाएं दिलाने की कृपा करेंगे।

अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सदन से मांग करता हूं कि इनको एक पैसा भी खर्च करने का अधिकार नहीं देना चाहिए ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किए हैं, उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। वे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन कार्य को भी देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश की सरकार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को 105 रुपया मासिक पेंशन के रूप में देती है। आज की स्थिति में यह बहुत ही कम है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी आय के साधन दूसरे भी हों पर कुछ लोग ऐसे हैं कि नौजवानी की अवस्था में उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के आन्दोलन में भाग लिया और लगातार देश के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वे अपनी भोजन व्यवस्था करने के लिए भी समर्थ नहीं है। आज जिस तरह की मंहगाई है उससे 105 रुपए में गुजारा होना सर्वथा असम्भव है। स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की संख्या दिनोदिन कम होती जा रही है। उन्होंने अपने जमाने में देश का जो काम किया है, देश सदैव ही उनका ऋणी रहेगा पर आज जब वे अंतिम चरण में हैं, अगर उनको भर पेट भोजन नहीं मिलेगा, जिससे वे ठीक तरह से अपना आखिरी जीवन व्यतीत कर सकें, तो वह हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी होगा।

अब मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस प्रश्न पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें और 105 रुपए से बढ़ाकर उनको इतनी धनराशि दें जिससे वे अपना गुजारा ठीक ढंग से कर सकें। अगले आने वाले 10–15 सालों के बाद तो स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के बारे में सुनने को भी नहीं मिलेगा। वैसे ही यहां पर चर्चा करने वालों की तादाद भी कम हो गयी है। अतः इस प्रश्न को माननीय मन्त्री जी के समक्ष पेश करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। शायद उन्हें ख्याल है कि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी, आज के लोगों की तरह जिनके पास बहुत सी तरह के साधन मौजूद हैं, के पास वे साधन न हों। मैं प्रदेश के जिले-जिले में घूमा हूं और उनकी स्थिति को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, उनकी हालत सन्तोषजनक नहीं है। लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है। आज के नवजवानों को यह जानकारी नहीं है कि किस तरह से इन लोगों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां की हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को इन लोगों के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उनको कुछ अधिक देना चाहिए ताकि ये लोग अपना आखिरी वक्त शान्ति-पूर्वक बिता सकें। मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी सहृयतापूर्वक इस पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री प्रदीप कुमार यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा

श्रीमन्, माननीय प्रदीप कुमार जी के समय में से दो मिनट मुझे दे दें, केवल सुझाव देना है.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है। यह तभी आपको विचार करना चाहिए था जब कार्य मन्त्रणा समिति ने इसके लिए समय निर्धारित किया। मैं उसके फैसले को अब बदल नहीं सकता। आप कृपया बैठें।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, सुपीरियर क्लास के लिए जो तस्दीक करानी पड़ती है उसमें बड़ी देर लगती है और दिक्कतें सामने आती हैं। यह क्लास राजनैतिक लोगों को, पत्रकारों को, एडवोकेट्स को, डाक्टर्स को, ग्रेजुएट्स को, या जिनका रहन-सहन का दर्जा ऐसा हो कि उन्हें दिया जाय, मिलना चाहिए और इसका आधार देने का आप अधीक्षक जेल या जेलर को दे दें ताकि इसमें अनावश्यक विलम्ब न हो।

जेलों में खाने की समस्या बड़ी खराब है। उसमें सुधार होना चाहिए। जो रोटी मिलती है वह बहुत खराब मिलती है। किसी प्रशिक्षित आदमी को जो खाना बनाना जानता हो उसे स्थायी तरीके पर रखना चाहिए। तन्दूरी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। खाने की सामग्री की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए।

अल्पवेतन भोगी जो कर्मचारी हैं उनके लिए रहने के लिए मकान की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसके लिए कोई समयबद्ध योजना बना कर इस काम को किया जाना चाहिए।

जेलों में शौचालयों, नाई, धोबी की व्यवस्था भी होना चाहिए। खैरियत के तौर पर कुछ लोगों के लिए नियुक्ति इनकी होती है, वह ठीक नहीं है। खैरात देना बन्द होना चाहिए। मैंने लखनऊ में जेल में देखा, जब मैं वहां था, मुझे कई दिन तक नाई उपलब्ध नहीं हुआ। सफाई की व्यवस्था भी वहां ठीक नहीं रहती थी। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

मैंने पहली बार जब बजट पेश हुआ था तब भी कहा था, जेलों में शिकायत पेटिका रखी रहना चाहिए। कहीं पर वे हैं, पर इस बात का कोई प्राविधान नहीं है कि उनको कब खोला जायगा और किसके सामने खोला जायगा। यह काम जिलाधिकारी के माध्यम से न होकर, जिला जज के माध्यम से या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के सामने होना चाहिए। लेकिन निरन्तर यह खुलते रहना चाहिए समयबद्ध तरीके से। इसके अलावा मान्यवर, यह जेलों में कोई अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, चाहे जहां चले जाइए, कोई किताबें नहीं मिलती हैं। कहने के लिए वहां अध्यापक भी हैं। लेकिन कभी वहां पर कोई पढ़ने नहीं जाता है। जेल में रहकर मैंने इन सब चीजों की जानकारी की। वहां पर मान्यवर, खासतौर से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी फिल्में उनको दिखायें जो चरित्र निर्माण की बातें सिखायें। ताकि जब वह बाहर निकलें तो वे एक अच्छे नागरिक का जीवन व्यतीत करें।

मान्यवर, वे जेलों में रहकर अपराध प्रवृत्ति सीख लेते हैं। इसके लिए मान्यवर, ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, यह जो जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट हैं, इनके अण्डर में बहुत अपराधी और क्रिमिनल लोग रहते हैं, उनसे वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के जान-माल की सुरक्षा के लिए कोई इन्तजाम नहीं है। अगर वहां पर कोई हादसा हो जाय, तो कोई वहां पर बचा नहीं सकता। तो मान्यवर, इस तरफ ध्यान दें। जो भ्रष्टाचार है विभाग में, इसे खत्म करने के लिए एक आयोग की स्थापना तत्काल की जाय। जहां-जहां पर ऐसी शिकायतें हैं उसकी जांच की जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, वरना ये लोग यह काम करते रहेंगे। तो मान्यवर, इसे देख लें। पेंशन के सिलसिले में एक दो बात मैं मान्यवर कहना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पेंशन के सिलसिले में अभी हमारे पूर्व वक्ता ने इस बात का जिक्र किया कि पेंशन के सिलसिले में सुधार की आवश्यकता है। हालत यह है कि जो केन्द्र की पेंशन होती है, उसकी छानबीन जो है, हमारे प्रदेश की सरकार करती है और जब प्रदेश की सरकार संस्तुति करती है, तो केन्द्र जो है वह संस्तुति देता है। तो मान्यवर, कम से कम 100 ऐसे मामले दो-तीन साल से इधर से उधर लटके पड़े हुए हैं। कोई उसे देख नहीं रहा है। तो इस बात को देखें कि इन मामलों में विलम्ब क्यों हो रहा है और इन्हें तत्काल निपटाया जाय। ये जो आपके कारपोरेशन हैं इन कारपोरेशन में जो नौकरी दी जाती है, उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं उनके आश्रितों को रखने के लिए कहीं कोई प्राविधान नहीं है। आपसे निवेदन है कि इसमें यह प्राविधान शामिल करें। तीसरी बात, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद् की जो स्थापना की गयी है और इसके लिए निदेशक भी आपके मोकर्रर हैं, स्टाफ भी है, गाड़ी भी है लेकिन इनका कोई भी योगदान ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बिल्कुल नहीं है।

ऐसी हालत में मेरा सुझाव है कि इस संस्था को आप खत्म करें। आप अनावश्यक रूप से इस संस्था पर खर्च कर रहे हैं? बैठे-बैठे ये पेट बढ़ा रहे हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कल्याण के लिये जो संस्था आपने बनाया है, उसको पूरे प्रदेश में भ्रमण करके देखना चाहिए कि कहां-कहां पर हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों ने कुर्बानी की है, कहां पर उनके नाम से स्थल बनाया जाय। सबसे बड़ी कमी यह है इस विभाग के अन्दर कि इस विभाग में कोई न इंजीनियर, न ओवरसियर, बल्कि इसके लिए आश्रित होना पड़ता है पी0डब्लू0डी0 के इंजीनियर पर और उनको कोई रुचि नहीं है।

इसलिए जो काम सुचारु रूप से चलना चाहिए वह नहीं हो रहा है। तो मान्यवर, इन सुझावों के साथ अन्त में मैं अपने उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं अपने मित्र श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी को जिन्होंने मेरी बहुत सी बातों की स्वयं मांग की है। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और सत्ता पक्ष से आग्रह करता हूं कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव को मान लें।

श्री राम सिंह खन्ना–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उन सारे सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और जो बैठकर योगदान दिया उन सबका आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ एक बात जो सदैव से कहता आया हूं आज भी कहता हूं। हमारा यह कहना है कि जो शासन हम चला रहे हैं उसमें हर जगह, हर व्यक्ति, हर कर्मचारी अपने कर्त्तव्य को, अपने उत्तरदायित्व को पूर्णतया निभा रहा है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हमने उनको रखा है यह पूर्णतया अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि जो कमियां हैं, जो कमी हमारे सामने आयेगी जो अपने कार्य को निभाने में समर्थ नहीं हैं उनको सख्ती से उपयोगी बनायेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे। ये हमारा संकल्प है, कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का संकल्प है और हमारी नेता इन्दिरा गांधी का भी यही संकल्प है। हम बाध्य हैं।

(व्यवधान)

जिस तरह से मैंने आप सब को सुना हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को सुनेंगे। मैं यह भी नहीं मानता कि खड़े हुए और फौरन कह दिया कि 3 वर्ष में आपने हालात खराब कर दिए इसलिए ऐसा हुआ है। मैं जानता हूं कि एक दिन में न कोई चीज बनती है और न एक दिन में बिगड़ती है। लेकिन कुछ

[श्री राम सिंह खन्ना]

चीजें ऐसी बिगड़ी हुई हैं जिसको देखकर और सुन कर शर्म से सिर झुक जाता है। लेकिन आवेश में कोई काम नहीं होता है। एक बात यहां पर बच्चों के बारे में कही गयी। इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई ऐसी चीज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वह अपना फैसला देगा। माननीय सदस्य श्री मित्रसेन ने कहा कि कानपुर पास था लेकिन आप गये नहीं। हमें आप इतना नकारात्मक न समझें। मैं जानता हूं लेकिन उन चीजों का प्रोपेगण्डा नहीं करता हूं। जो शासन ने नियमावली बनाई है, आपने हमको जो जिम्मेदारी दी है उसमें हमारा उत्तरदायित्व है कि हम कोई ऐसी भाषा या बात न बोलें जिससे इंसाफ मिलने में दिक्कत पड़े। मैं गया था मैंने देखा है और अध्ययन कर रहा हूं। खाने के बारे में कहा गया इसके लिए पंचायत बना दी गयी है। उनके चुने हुए लोगों के द्वारा यह काम देखा जायगा।

नाई, सफाई, मजदूर और धोबी के बारे में कहा गया। इनकी व्यवस्था कर दी गयी है। एक बात मैनुअल को तसमीम करने के बारे में कही गयी। हमारे विभाग ने इसको करके शासन के पास भेज दिया था। लेकिन इस बीच जो तजुर्बा हुआ उसमें मैनुअल बदलने की आवश्यकता है या इसको और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वह आपके सामने आए हैं। हमको हालात में सुधार करने के दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। यह शासन के विचाराधीन है शासन में इस पर निर्णय लिया जायगा। जहां तक आपने कर्मचारियों की हड़ताल की बात की है।

इस सम्बन्ध में प्रश्न भी हो चुका है, कौंसिल में भी हुआ था। उन कर्मचारियों ने बिना शर्त देश और प्रदेश के हालात और समस्या को देखते हुए फैसला किया कि हम हड़ताल को वापस लेते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया था। उन्होंने बिना शर्त हड़ताल वापस लिया था। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि उच्च भावना से प्रेरित होकर कर्मचारियों ने इस काम को किया है इसलिये उनको मौका नहीं देंगे कि वह कह सकें कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमने वायदा किया है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे और आप मान्यवर, देखेंगे कि काम सराहनीय हुआ है लेकिन आप जानते हैं कि जब अव्यवस्था हो जाती है तो उसको व्यवस्थित करने में समय लगता है। मान्यवर, समय के कमी के कारण मैं मजबूर हूं जिससे आवश्यक बातों की ओर मैं आप लोगों का ध्यान नहीं आकर्षित कर पा रहा हूं। लेकिन जहां तक राजनैतिक पेंशन के बारे में जो सुझाव आए हैं मैं उनको पूरी तरह कार्यान्वित करने की कोशिश करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं श्री प्रदीप कुमार यादव से अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और सारी उलझी हुई चीजों को सुलझाने का मौका दें और मैं उनको आश्वासन देता हूं कि राजनैतिक शक्ति लगाकर हम इन चीजों को पूरा करने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,45,95,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,15,17,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग

पर्यटन मंत्री (श्री विद्या भूषण)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,07,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,07,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 47–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47–वित्त विभाग (ऋण, सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के लिए अतिरिक्त 1,17,52,52,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47–वित्त विभाग (ऋण, सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,17,52,52,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,35,42,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,35,42,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,21,92,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,21,92,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,10,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,10,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,63,22,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,63,22,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,19,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखादान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,19,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 59--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत होने वाले पोरव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,29,45,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59--संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,29,45,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,36,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,36,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,91,54,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,91,54,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब विधेयक की कापियां सब को बांट दी जाय।

(विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों में वितरित की गयीं।)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

वित्त मंत्री जी आपको इस पर कुछ कहना नहीं है ?

*श्री मोहन सिंह—

अब वह बैठ गए, अब क्या कहेंगे ? मैं ही थोड़ा सा कहे देता हूं। मान्यवर, इकतालिस अरब का विनियोग विधेयक इन्होंने पास कराने के लिए प्रस्तुत कर दिया, जो कि पास हो ही जायगा, ये तो केवल मात्र औपचारिकता है। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से सुझाव के आधार पर कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जब से उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हुए हैं तब से वित्तीय अनुशासन समाप्त हो गया है। इस बात के लिए आप प्रसन्न चित्त होते हैं कि विनियोग विधेयक पेश करके आप उसे पास करा लेते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं भी अपनी प्रसन्नता आपकी प्रसन्नता के साथ जोड़ता हूं। मैं स्वयं प्रसन्नचित्त नहीं होता क्योंकि मैं निर्लिप्त हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

आप तो मान्यवर, परमहंस की स्थिति में हैं आपको क्या लेना-देना?

श्री मोहन सिंह—

जितने भी विधेयक पेश करते हैं, तीन-तीन अनुपूरक पास करा करके एक तिहाई अनुपूरक बजट पेश कर देते हैं। मान्यवर, जितनी फजूलखर्ची इन वित्त मंत्री जी के समय में हुई है उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। जब आडिट होता है और उसकी आख्या आती है तब पता चलता है। पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट आती है उस पर सरकार मजबूती से अमल करके जो लोग उस अनुशासन को तोड़ते हैं, उनके ऊपर आपका विभाग अंकुश नहीं लगा पाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के गरीब खजाने का रुपया कितनी बेदर्दी से बरबाद होता है। पिछले एक साल में, पिछले डेढ़ साल में जो भी रपट पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की और पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी की आई हैं, उनके ऊपर आप त्वरित कार्यवाही करके, उनके ऊपर अविलम्ब कार्यवाही करें जिससे वित्तीय अनुशासन की दिशा में हम कोई कदम उठा सकें।

*श्री रियासत हुसैन—

41 अरब रुपए का एप्रोप्रिएशन बिल माननीय मंत्री जी ने रखा, पास भी होगा लेकिन कृपया माननीय मंत्री जी यह कोशिश करें कि इस एप्रोप्रिएशन बिल का मिस-एप्रोप्रिएशन न हो। पिछले साल के मुकाबले इस बार 10-11 दिन पहले हम एप्रोप्रिएशन बिल पास करा रहे हैं इसलिए सारी सैक्शन आदि समय से जायें और समय से काम हो। प्राइसेज बढ़ रही हैं, कास्ट आफ कांस्ट्रक्शन बढ़ता चला जा रहा है इसलिए मेरा सुझाव है कि हर तीन महीने में, अगर प्राइज राइजिंग की वजह से कास्ट बढ़े तो छोटी सी एक कमेटी बना दें जिसमें फाइनेन्स सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्लानिंग सेक्रेटरी, और डिपार्टमेन्टल सेक्रेटरी हों, तीन महीने में किसी कांस्ट्रक्शन की कास्ट बढ़ जाती है तो उसका बढ़ा हुआ इस्टीमेट इस कैबिनेट की सब-कमेटी से पास होकर जाये वरना कास्ट के बढ़ने से कमीशन भी बढ़ेगा। इसलिए अगर तीन महीने में रिवाइज कर लें तो शायद आपको सप्लीमेन्ट्री लाने की जरूरत न पड़े।

श्री ब्रह्मदत्त—

माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, इस बात से मैं सहमत हूं कि वित्तीय अनुशासन बहुत आवश्यक है। उसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन यह कहना कि इस काल में वित्तीय अनुशासन नहीं रहा, उचित नहीं है। सदन की कृपा से 31 मार्च से पहले बजट पास हो रहा है और सब वित्तीय स्वीकृतियां एक अप्रैल को जारी हो जायेंगी। इसमें लोगों की आकाक्षाएं, जनता की, माननीय विधायकों की, परिषद् के सदस्य भी मांग करते हैं, इन तमाम चीजों के बावजूद वित्तीय अनुशासन को नहीं तोड़ा और यह प्रदेश उन प्रदेशों में से है, जहां पर ओवर-ड्राफ्ट नहीं लिया गया। बावजूद इन कठिनाइयों के रियासत साहब ने जो बात कही है, एक हमारी कमेटी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्म दत्त]

है जो योजनाओं के बारे में विचार करती है, नियन्त्रण करती है और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हर योजना में जिसमें टाईम बढ़ने से कीमत बढ़ जाती है, उसका पुनरीक्षण होना चाहिए। कीमत की कीमत बढ़ जाती है और समय से काम पूरा होने का जो लाभ होता वह भी कम हो जाता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वित्तीय अनुशासन कायम करने के लिए माननीय सदन जो स्वीकृतियां दे रहा है, इसका सही उपयोग करने के लिए मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा। माननीय सदस्य, चाहे इधर के हों या उधर के इसमें कितना सहयोग करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड अनुसूची 2, 3 अनुसूची खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982

31 मार्च, 1983 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1982 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1982-83 के लिए 41,18,55,23,000 रुपये का निकाला जाना।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1982) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 41,18,55,23,000 रुपये (केवल इकतालिस अरब, अट्ठारह करोड़ पचपन लाख, तेइस हजार रुपये होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
			रु0	रु0	रु0
1	आबकारी विभाग	राजस्व	1,84,07,000	7,000	1,84,14,000
		पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
2	आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग ..	राजस्व	4,09,65,000	4,00,00,000	8,09,65,000
		पूंजी	18,16,62,000	2,07,72,000	20,24,34,000
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) ..	राजस्व	95,00,000	10,000	95,10,000
		पूंजी	76,00,000	..	76,00,000
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) ..	राजस्व	24,35,55,000	90,29,000	25,25,84,000
		पूंजी	5,00,64,000	1,00,40,000	6,01,04,000
5	उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग) ..	राजस्व	1,44,61,000	1,000	1,44,62,000
		पूंजी	26,57,02,000	5,00,000	26,62,02,000
6	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) ..	राजस्व	9,69,47,000	..	9,69,47,000
		पूंजी	59,03,000	..	59,03,000
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	87,26,000	..	87,26,000
		पूंजी	2,64,04,86,000		2,64,04,86,000
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	38,70,000	..	38,70,000
		पूंजी	..	..	.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची (क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
			रु0	रु0	रु0
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विभाग) ..	राजस्व	6,44,42,000	2,98,000	6,47,40,000
		पूंजी	1,71,71,000	..	1,71,71,000
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	43,05,60,000	43,000	43,06,03,000
		पूंजी	67,80,09,000	50,000	67,80,59,000
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	8,59,79,000	4,35,40,000	12,95,19,000
		पूंजी	5,01,71,00,000	48,27,50,000	5,49,98,50,000
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	6,41,74,000	3,52,000	6,45,26,000
		पूंजी	..	5,00,000	5,00,000
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ..	राजस्व	10,93,06,000	9,53,60,000	20,46,66,000
		पूंजी	11,00,01,000	..	11,00,01,000
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	11,05,39,000	2,000	11,05,41,000
		पूंजी	29,75,000	..	29,75,000
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	1,49,72,19,000	16,000	1,49,72,35,000
		पूंजी	2,69,000	..	2,69,000
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	4,98,20,000	..	4,98,20,000
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

17	गोपन विभाग	राजस्व	15,00,000	..	15,00,000
		पूंजी	..	..	..
18	ग्राम्य विकास विभाग	राजस्व	1,52,38,99,000	8,000	1,52,39,07,000
		पूंजी	63,00,000		63,00,000
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) ..	राजस्व	99,62,26,000	16,000	99,62,42,000
		पूंजी	..	..	..
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ..	राजस्व	24,95,39,000	4,000	24,95,43,000
		पूंजी	8,42,21,000	..	8,42,21,000
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ..	राजस्व	33,82,15,000	5,000	33,82,20,000
		पूंजी	..	..	..
22	नगर विकास विभाग . ..	राजस्व	48,02,95,000	10,000	48,03,05,000
		पूंजी	10,76,36,000	..	10,76,36,000
23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	33,37,000	..	33,37,000
		पूंजी	..	..	..
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	6,27,04,000	2,000	6,27,06,000
		पूंजी	..	..	..
25	नियुक्ति विभाग . ..	राजस्व	3,17,000	..	3,17,000
		पूंजी	..	..	..
26	नियोजन विभाग	राजस्व	4,58,69,000	..	4,58,69,000
		पूंजी	..	..	..
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	1,59,90,000	.	1,59,90,000
		पूंजी	27,02,000	..	27,02,000
28	निर्वाचन विभाग	राजस्व	1,43,41,000	..	1,43,41,000
		पूंजी	..	..	..
29	न्याय विभाग	राजस्व	13,08,30,000	2,12,69,000	15,20,99,000
		पूंजी	..	..	..
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	11,45,70,000	21,000	11,45,91,000
		पूंजी	1,09,000	..	1,09,000

अवर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची (क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
			रु0	रु0	रु0
31	परिवहन विभाग ..	.. राजस्व	17,66,16,000	10,000	17,66,26,000
		पूंजी	10,00,02,000	..	10,00,02,000
32	पर्यटन विभाग ..	.. राजस्व	59,48,000	..	59,48,000
		पूंजी	12,60,000	..	12,60,000
33	पर्वतीय विकास विभाग ..	.. राजस्व	55,15,10,000	2,58,000	55,17,68,000
		पूंजी	49,91,85,000	1,14,000	49,92,99,000
34	पशुधन विकास विभाग ..	.. राजस्व	15,30,59,000	6,29,000	15,36,88,000
		पूंजी	2,32,78,000	7,00,000	2,39,78,000
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	.. राजस्व	1,40,39,000	2,000	1,40,41,000
		पूंजी	91,53,000	..	91,53,000
36	प्रशासनिक सुधार विभाग ..	.. राजस्व	13,78,000	..	13,78,000
		पूंजी	..	..	..
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग ..	. राजस्व	10,60,07,000	2,000	10,60,09,000
		पूंजी	1,000	..	1,000
38	मत्स्य विभाग ..	.. राजस्व	3,68,53,000	2,000	3,68,55,000
		पूंजी	53,52,000	..	53,52,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

39	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	18,29,000	..	18,29,000
		पूंजी	..	..	..
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ..	राजस्व	15,56,26,000	25,000	15,56,51,000
		पूंजी	..	.	..
41	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	राजस्व	10,80,00,000	11,02,96,000	21,82,96,000
		पूंजी	1,42,63,000	16,46,000	1,59,09,000
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	55,64,72,000	1,39,75,000	57,04,47,000
		पूंजी	12,08,000	3,34,61,000	3,46,69,000
43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व		18,23,000	18,23,000
		पूंजी	..	..	..
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग .. .	राजस्व	21,50,000	..	21,50,000
		पूंजी	1,50,000	..	1,50,000
*45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	83,44,000	83,44,000
		पूंजी	..	..	..
46	वन विभाग	राजस्व	29,32,63,000	14,000	29,32,77,000
		पूंजी	14,68,000	.	14,68,000
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ..	राजस्व	1,38,01,02,000	2,46,64,62,000	3,84,65,64,000
		पूंजी	3,02,00,000	3,75,62,36,000	3,78,64,36,000
48	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) ..	राजस्व	50,82,50,000	11,35,000	50,93,85,000
		पूंजी	..	.	..
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) .;	राजस्व	3,86,31,000	2,000	3,86,33,000
		पूंजी	..	..	..
50	वित्त विभाग (राज्य लाटरी) ..	राजस्व	10,92,00,000	.	10,92,00,000
		पूंजी	..	..	..
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि)	राजस्व	25,95,87,000	2,30,03,000	28,25,90,000
		पूंजी	..	..	..

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(अनुसूची क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
			रु0	रु0	रु0
52	विधान परिषद् सचिवालय .	राजस्व	81,42,000	1,93,000	83,35,000
		पूंजी	..	..	..
53	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	2,18,61,000	3,02,000	2,21,63,000
		पूंजी	..	..	..
54	विज्ञान एवं प्राद्योग विभाग .	राजस्व	99,56,000		99,56,000
		पूंजी	..	.	..
55	शिक्षा विभाग	राजस्व	4,00,92,86,000	3,00,08,000	4,03,92,94,000
		पूंजी	69,00,000	..	69,00,000
56	श्रम विभाग (श्रमकल्याण)	राजस्व	6,99,64,000	3,000	6,99,67,000
		पूंजी			
57	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	7,48,86,000	20,000	7,49,06,000
		पूंजी			
58	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) ..	राजस्व	18,03,000	4,000	18,07,000
		पूंजी	5,00,000		5,00,000
59	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	9,95,34,000	40,000	9,95,74,000
		पूंजी			..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

60	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	44,83,000	..	44,83,00,0
		पूंजी	..	..	..
61	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	2,29,85,000	4,000	2,29,85,000
		पूंजी	..	..	..
62	सचिवालय प्रशासन विभाग ..	राजस्व	9,97,02000	4,000	9,97,06,000
		पूंजी	..	..	..
63	सतर्कता विभाग ..	राजस्व	1,18,72,000	6,38,000	1,25,10,000
		पूंजी	..	..	..
64	सहकारिता विभाग	राजस्व	6,995,000	2,42,72,000	9,42,67,000
		पूंजी	1,235,09,000	3,49,31,000	15,84,40,000
65	सहायता और पुनर्वासन विभाग ..	राजस्व	48,56,000	5,000	48,61,000
		पूंजी	46,23,000	50,000	46,73,000
66	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	82,22,000	2,000	82,24,000
		पूंजी	..	..	..
		पूंजी	..	..	..
67	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	7,44,000	1,000	7,45,000
		पूंजी	..	..	..
68	सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग ..	राजस्व	9,81,000	..	9,81,000
		पूंजी	..	..	
69	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) ..	राजस्व	30,75,64,000	5,000	30,75,69,000
		पूंजी	..	..	..
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	6,96,75,000	17,000	6,96,92,000
		पूंजी	16,63,37,000	1,00,000	16,64,37,000
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) ..	राजस्व	4,56,39,000	6,46,000	4,62,85,000
		पूंजी	9,00,11,000	50,000	9,00,61,000
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	1,06,20,000	20,000	1,06,40,000
		पूंजी	12,39,98,000	3,25,000	12,43,23,000

अनंत प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(समाप्त)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
			रु0	रु0	रु0
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) ..	राजस्व	82,98,41,000	10,000	82,98,51,000
		पूंजी	82,87,91,000	50,000	82,88,41,000
74	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) ..	राजस्व	5,43,24,000	10,000	25,43,34,000
		पूंजी	26,40,39,000	25	26,40,39,000
75	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य) ..	राजस्व	1,39,52,65,000	3,000	1,39,52,68,000
		पूंजी	2,75,67,97,000	2,000	2,75,67,94,000
76	सूचना विभाग ..	राजस्व	2,38,47,000	2,000	2,32,49,000
		पूंजी			
77	सैनिक कल्याण विभाग ..	राजस्व	47,36,000	200	2,47,38,000
		पूंजी			
78	स्पोर्टस विभाग	राजस्व	1,38,37,000		1,38,37,000
		पूंजी			
79	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	64,7,366,000	3,000	64,73,69,000
		पूंजी	11,00,000		11,00,000
80	क्षेत्रीय विकास विभाग ..	राजस्व	26,92,18,000		26,92,18,000
		पूंजी	4,50,01,000		4,50,01,000
	योग	राजस्व	19,67,58,26,000	2,89,21,89,000	22,56,80,15,000
		पूंजी	14,27,52,31,000	4,34,22,77,000	18,61,75,08,000
	कुल योग ..		33,95,10,57,000	7,23,44,66,000	41,18,55,23,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2; 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(वित्त मंत्री के बैठ जाने पर तथा किसी सदस्य के खड़े न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने वाला कोई है ही नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

जब आप हमारी सुनते ही नहीं हैं तो बोलने से क्या फायदा ?

श्री मोहन सिंह—

हम लोगों ने आपका अनुसरण किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं यह बात नहीं है, आप लोग ब्रह्मदत्त जी पर इतने कृपालु हो गये हैं कि छोड़ दिया है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह माननीय वित्त मंत्री जी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गये इस लिये नहीं बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1981–82 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

[3 बजकर 8 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष—

अब मद संख्या 32 पर विचार होगा । इसमें दो घंटे का समय आप लोगों ने निर्धारित किया है । इसमें एसा है कि 80 आइटम हैं । अब इसको 80 बार वह पढ़ेंगे और 80 बार मैं पढ़ूंगा । एक सवा घंटा तो उसमें लग जायगा । औपचारिकता के लिहाज से हां और ना तो कहलाना ही पड़ेगा । इस तरह से 45 मिनट टाइम है बोलने का ।

श्री मोहन सिंह—

उधर से तो कोई बोलेगा नहीं । इधर से ही एक घंटा बुलवा दीजिए और एक घंटा पेश करने में लग जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

एक घंटे की चर्चा करवा दीजिये और एक घंटे में पास करवा दीजिएगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रियासत साहब ऐसा है कि मैं उतना तेज बोल नहीं पाता हूं जितनी तेज आप बोलते हैं ।

*श्री मोहन सिंह—

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी सरकार की फिजूलखर्ची का तीसरा पुलिन्दा पुनः प्रस्तुत कर दिया है अनुपूरक मांगों के रूप में । उनकी मदों के विषय में इस बार बजट में प्राविधान किया गया और चूंकि निर्माण कार्य के ही समय लागत दरों की कीमत बढ़ा दी जाती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह]

है। आकस्मिकता निधि में भी यदि आवश्यकता पाई गई तो उसकी आपको स्वीकृति मिल जाती है लेकिन दिक्कत यह है कि आज वह सरकार जो फिजूलखर्ची के ऊपर टिकी हुई है। इसमें से यदि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना को निकाल दिया जायेगा तो कोई विघ्न नहीं होगा उसी तरह से और भी जो अन्य मद है उनको निकाल दिया जाए तो अधिक से अधिक मदें अनावश्यक और बिना मतलब की हैं। यदि इनको एक साथ ले लिया जाय तो 33 लाख रु0 से अधिक इन्होंने मोटर गाड़ियों की खरीद और रखरखाव के लिए रख लिया है। यह मोटर गाड़ियां इन्होंने अपने अधिकारियों की सुख सुविधा के लिए खरीदी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

शायद आपके कहने का यह भी मतलब है कि यह जो बेचना चाहते हैं वह गाड़ियां भी जंग खा रही हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, उसका प्राविधान तो इन्होंने वार्षिक बजट में कर दिया है दूसरी मद अर्ध कुम्भ मेला के लिए इन्होंने 33 लाख रु0 रख लिए। उस बार भी इन्होंने 25 लाख की मांगें उस साल भी रखी थीं। चार लाख और दो लाख रुपये तो विंध्याचल की नगर-पालिका में व्यय हुआ। इसी तरह से इलाहाबाद में जो सर्किट हाउस है, वह पुराना पड़ गया है। रोजाना हम अखबारों में पढ़ते रहे कि विद्युत का संकट है इसलिए एयर-कंडीशनर न लगाया जाये लेकिन 2 लाख रु0 केवल इलाहाबाद के सर्किट हाउस पर और उसमें करीब करीब एक लाख रुपया वहां पर एयरकन्डीशनर लगाने पर खर्च कर रहे हैं। करीब करीब 20–22 लाख रुपया जो सचिवालय का नया एनेक्सी भवन बना है उसकी साज सज्जा पर खर्च करने जा रहे थे जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश करके रोक दिया। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसे रोक दिया तो फिर इस पर 22 लाख रुपया कैसे खर्च हो गया? इससे तो मालूम होता है कि माननीय मुख्य मंत्री के आदेश की अवहेलना आपको विभाग की तरफ से ही नहीं, राज्य सम्पत्ति विभाग की तरफ से होती है और जब आपको फजूलखर्ची की खबर समाचार पत्रों में छपती है तो केवल जनता को दिखलाने के लिये समाचार पत्रों में यह प्रसारित कर दी जाती है कि आपको इस साज सज्जा से परहेज है। इन कालीन, कारपेट व दरियों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कोई अनुदान हमारे सामने आता है तब आपको वास्तविकता का साक्षात्कार करना पड़ता है और आपने स्वीकारा है कि 21 लाख रुपया साज सज्जा पर खर्च हुआ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के बारे में हम लोगों ने अनकों बार शिकायत की और उनकी शिकायतों की हमेशा न जाने क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार नजरअन्दाज कर देती है। 4 लाख रुपये का और प्राविधान कर दिया गया है, जो हमारे विधायक निवास है और जो राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्दर मकानात है उनके रिपेयर वगैरह पर खर्च होगा। और वह भी सचिव के स्वविवेक पर होगा। दारुलशफा ब्लाक ए और बी में जो कंटीले तार लगवाये गये है उन पर 96 हजार रूपये का खर्च दिखलाया गया है। जो माननीय सदस्य वहां रहते है उनकी एक कमेटी बैठा दी जाय और वह उनकी जांच करे कि सचमुच कितना खर्च इस पर हुआ है तो मालूम हो जायेगा कि गरीब जनता के खजान का फैसा किस तरह से लुटता जा रहा है। वह तो खर्च हो ही चुका है और अब आप अनुपूरक अनुदान के रूप में उसकी स्वीकृति हमसे लेना चाहते हैं।

जिस तरह से फिजूलखर्ची की जा रही है, अगर देखा जाय तो मेरी समझ से मुश्किल से 8 या 10 हजार रुपये ही कंटीले तारों के लगाने पर खर्च हुआ होगा लेकिन उस पर 96 हजार रुपये का खर्च दिखलाया गया है। जनता के खजाने की लूट किस तरह से की जा रही है, यह एक उदाहरण के रूप में मैंने आपके सामने रखा है। 19 करोड़ रुपये

प्राविधान चीनी निगम के लिये किया गया है। दीजिये इसमें कोई एतराज मुझे नहीं है। वह तो आप दे चुके हैं, केवल हमारी स्वीकृति मांग रहे हैं। आजकल उत्तर प्रदेश के निगमों की जो दुर्गति है कि उसमें गरीबों के खजाने का पैसा जाकर बर्बाद हो रहा है। आपको चाहिये कि सदन की एक कमेटी बना दें जो इनका परीक्षण करके अपनी संस्तुति दे। सबसे बड़ा निगम हमारे यहां विद्युत निगम है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा निगम रोड वेज व परिवहन निगम है और तीसरा सबसे बड़ा निगम यही चीनी निगम है। जिनमें निरन्तर घाटा ही घाटा हो रहा है।

अब तक 28 करोड़ का घाटा इस साल है। सारी चीनी मिलों को मुनाफा हुआ। हिन्दुस्तान की जितनी चीनी मिलें हैं उन सभी को मुनाफा हुआ लेकिन पिछले साल भी इस चीनी निगम को घाटा हुआ। 18 करोड़ रुपये इसमें प्राविधान है उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलें हैं अगर इन्क्वायरी करायी जाय तो मालूम होगा कि उनकी मुख्य समस्या यह है कि उनकी हालत जर्जर हो गयी है, उनकी मशीनरीज पुरानी हो गयी है और उनकी पेराई की क्षमता भी सीमित है। उसमें जब तक विस्तार नहीं किया जायगा और जब तक उनका नवीनीकरण नहीं किया जायगा तब तक चीनी निगम मुनाफे में नहीं हो सकता। इसके बारे में सरकार से सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि आपने रुपया दे दिया अच्छा किया लेकिन उसकी जो वर्किंग है जैसे आप जनरल मैनेजर की नियुक्ति करते हैं उनका जो काम करने का तौर तरीका है और जिस तरह से लूट उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों में है, ईंधन के खरीद में, भाड़ा ढुलाई में, उनके रिपेयर में, इससब के ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है।

कोई भी चीनी मिल में काम करने वाला जनरल मैनेजर वह चीनी मिल को चलाने योग्य है या नहीं है इसको देखे बिना उसकी नियुक्ति हो जाती है और एक साल में जब आप देखते हैं कि मिल निरन्तर लूटती चली जा रही है तो उसका स्थानान्तरण कर अन्य जगह भेज देते हैं और जितनी उसने लूट की है उसके लिए उसे दंडित करने की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है। यह पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है।

प्रदेश के गरीब खजाने पर इस घाटे की अर्थ व्यवस्था में हमारे निगम बोझ की शक्ल में काम करते जा रहे हैं इसके बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस तरह से हमारे निगम काम करते रहेंगे तो सरकारी खजाने से उनको अनुदान दे दिया जाय और वे अपनी लूट और कमजोरी निरन्तर बढ़ाते चलें।

इन चन्द सुझावों के साथ मैं इस आठ अरब रुपये के फिजूलखर्ची के शक्ल में प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान की घोर निन्दा करता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बजट प्रस्तुत करते समय आप साल भर का आंकलन ले लीजिए केवल इस बात की तारीफ के लिए कि हम 31 मार्च से पहले बजट पास कर देंगे। 31 मार्च बीतने के बाद दो दो महीने के लिए अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करना एक स्वस्थ परिपाटी नहीं है। इस अनुपूरक अनुदान का अधिकांश भाग लूट और फिजूलखर्ची का है, अय्याशी का है जो जनता के खजाने पर बोझ की शक्ल का है, इसलिये मैं इसकी निन्दा करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, अभी पिछले महीने 16-2-82 को सेकेन्ड सप्लीमेन्ट्री पेश किया गया था 90 करोड़ 80 लाख रुपये का और अब आज थर्ड सप्लीमेन्ट्री हमारे सामने आ गया 8 अरब 2 लाख 93 हजार का और जब यह प्रश्न सामने आया था कि आखिर क्यों थर्ड सप्लीमेन्ट्री लाने की जरूरत पड़ी रही है, यह इस विधान सभा के इतिहास में पहला मौका है कि हम तीसरा सप्लीमेन्ट्री एक ही बजट सेशन के अन्दर पास कर रहे हैं, तो कहा यह गया था कि हम को कुछ सेन्टर से रुपया मिला हुआ है और उस रुपये को हम चाहते हैं जितनी भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन्स हैं 31 मार्च से पहले जारी कर दें, इसलिये यह थर्ड सप्लीमेंट्री लाया गया। यह कहा गया था। परन्तु जब मैंने जो कुछ भी इस थर्ड सप्लीमेंट्री में रखा गया है उसे देखा कि क्या पोजीशन है तो इसमें 86 कुल मदें हैं। केवल 32 मदें ऐसी हैं जिनमें भारत सरकार से हम को कुछ रुपया मिला। 86 में से 32 निकालने के बाद 54 मदें ऐसी बची जो आप के सूबे का ही रुपया है और सूबे का ही खर्च है ?

ऐसा मालूम होता है कि जिस तरीके से कोई रेलगाड़ी चलती है कोई रिजर्वेशन आपने बोगी का किया है तो पूरी ट्रेन में उस बोगी को भी जोड़ दिया जाता है उसी तरह से वित्त मंत्री जी ने अपनी जो 54 मदें हैं जैसे रेलगाड़ी हो थर्ड सप्लीमेंट्री उसी में लगे हाथ 32 मदें भी डिब्बे की शक्ल में जोड़ दी हैं और उस 32 के बहाने से यह अरबो रुपया आप ने तीसरे सप्लीमेंट्री के नाम के ऊपर हमारे सामने रख दिया। ये एक एक मेरे गिने हुये हैं। और श्रीमन् इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो मदें इन्होंने दूसरे सप्लीमेंट्री में रखी थी उनमें नौ मदें तो फिर दुबारा 15–20 दिन में ही इस थर्ड सप्लीमेंट्री में रख दी है जैसे विधान सभा से सम्बन्धित खर्चा है। वह सेकेन्ड सप्लीमेंट्री में भी है और थर्ड में आ गया है। राज भवन के अन्दर मेटाडोर गाड़ियों की खरीद, साज-सज्जा इत्यादि, टेलीफोन बिल्स जो कि सेकिन्ड सप्लीमेंट्री में भी थे इसमें भी हैं। इसी तरीके से विधायकों को जो 500 रुपये से 1000 रुपये कांस्टीटुएंसी एलाउन्स कारों की व्यवस्था भी जो कि सेकिन्ड सप्लीमेंट्री में आयी थी वह इस थर्ड सप्लीमेंट्री में भी आया है।

सेल्सटैक्स के सिलसिले में जो कि बटलर पैलेस में था वह पी0 सी0 एफ0 में गया उसके बारे में में भी इसी तरह से है। उर्दू एकेडमी के बारे में मुझे यह कहते हुये बड़ी शर्म आती है और मेरी गर्दन तो शर्म से झुक जाती है आपकी झुके या न झुके। सेकेन्ड सप्लीमेंट्री में आपने इसकी स्थापना के लिये व्यवस्था की थी और थर्ड में भी रखी है। एक इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्स उर्दू के नाम पर हो रही है और उसके नाम पर आपने थर्ड सप्लीमेंट्री में भी जोड़ दिया। जो कसम आपने उर्दू अकेडमी के बारे में खायी थी जब वह पूरी नहीं हुई तो इसे थर्ड में रखकर क्या उस कसम को पूरा कर सकेंगे कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की सेकिन्ड लैंगुएज बना दिया जाय, मैं नहीं समझता ? हमें इस बात को न मालूम कितनी मजबूरी से हजम करना पड़ता है।

माननीय गुफरान साहब कैसे हजम कर लेते हैं या अम्मार साहब कैसे हजम कर लेते हैं उनके गले से कैसे यह बात उतर जाती है कि जिस चीज के लिये आप रुपया मंजूर करते हैं। जिसका एलान घोषणा पत्र में है उसको पूरा करने के लिये कोई जिक्र तक नहीं है। अनेक्सी का काम पूरा नहीं हुआ, उसके लिये आपने सेकेन्ड में भी रखा और थर्ड में भी रख दिया। दिल्ली के यू0 पी0 भवन का खर्चा भी सेकेन्ड सप्लीमेंट्री में भी और थर्ड सप्लीमेंट्री में भी है। यह सारी चीजें हैं जो आप इस बजट के माध्यम से मांग रहे हैं और द्वितीय अनुपूरक बजट में भी था। फ्लड के सिलसिले में उसको फेस करने के लिये जो आपको केन्द्र ने दिया है या ग्रामीण योजना के लिये केन्द्र ने आपको दिया है या इसके अलावा जितना रुपया आपको मिल रहा है वह इस बात का सबूत है कि आप अपनी अफसरशाही से इतना दब गये हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आज आपने मूल बजट पास किया है, ऐसा लगता है कि किसी मजबूरी की वजह से आपने वह पास करके उनको खर्च करने के लिये दे दिया है।

आज अधिकारियों का शौक हो गया है कि वे यहां पर बजट बनाकर भेज दें और उसे सदन में स्वीकृत के लिये ले आवें। श्रीमन्, मुझे एक खतरा हो गया है। आज 22 तारीख है। अभी इस माह के 9 दिन बाकी है कहीं फोर्थ सप्लीमेंट्री बजट न आ जाय? कोई खर्च इस बीच आ जाय और वह थर्ड सप्लीमेंट्री में न आ सका हो तो उसके लिये फोर्थ सप्लीमेंट्री की आवश्यकता भी पड़ जाय। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आप

सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर कराने के आप क्यों इतने शौकीन हो गये हैं। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, माननीय श्याम लाल जी बाजपेयी के दिल से पूछिये किसी और माननीय सदस्य के दिल से पूछिये। इस सदन में जैसे आज ही एप्रोप्रियेशन बिल सर्व सम्मति से पास हो गया और आपके सामने रुपया दे दिया। इसी तरह से पूरे सदन की इच्छा यह थी कि जो आपके राज्य सम्पत्ति अधिकारी श्री पी0 एन0 मिश्रा हैं उनको तुरन्त हटा दिया जाय। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो कोई सदस्य मुझे टोके लेकिन यह खेद की बात है कि 8 अरब की थर्ड सप्लीमेंट्री ग्रान्ट आपने सदन में रखी। माननीय सदन भारी दिल से पास करेगा और हमारे माननीय बाजपेयी जी भी जब हां की बात आयेगी तो हाथ उठायेंगे। लेकिन उनके अरमानों का क्या हश्र होगा इसका भी ख्याल करें। एक राज्य सम्पत्ति अधिकारी को आप 8 अरब रुपया की मांग रखने से पहले हटा नहीं सके। सभी सदस्यों ने यह कहा था

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

एक स्वर से सब बोले थे कि उसे हटा दिया जाय।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् मैंने वही बात कही जो सब माननीय सदस्य यहां कह रहे थे तो मैं उन सब से कहूंगा कि इस पर वह तब तक हां न भरें जब तक उसको हटाने की घोषणा न करें जैसा एक थानेदार को जो माता प्रसाद पांडे जी को रिवाल्वर दिखा रहा था सस्पेंड करने की घोषणा बख्शी दीदी ने की तो वैसे ही श्री पी0 एन0 मिश्रा को हटाने की घोषणा आज कम से कम कर दें तो आज से 5 तारीख तक सदन उठ रहा है उससे माननीय सदस्यों का मोरल बढ़ेगा।

श्री दामोदर शर्मा—

हटना चाहिये।

श्री मोहन सिंह—

दीदी के पास तो नवनीत का हृदय है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

आपके पास क्या माधुरी कांड है ?

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है माननीय रिजवी साहब चले गये।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

आपकी बात सुनने के लिये आपके करीब आये हैं। आपने देखा नहीं।

श्री रियासत हुसैन—

दिल हलका करने के लिए उधर से सफर करके हमारे करीब आ गये ताकि दिल का बोझ हलका हो (श्री अम्मार रिजवी के और नजदीक आने पर) मान्यवर, उनको एक दिन यही करना पड़ेगा उधर से आना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

फासला कम से कम रह गया मंजिलें दूरतर हो गयी। या तो अब आप उनके बगल में हो जायं या फिर उनको कहें।

श्री रियासत हुसैन—

लेकिन मान्यवर, मुझे खेद इस बात का है कि माननीय बाजपेयी जी जो हमारे करीब आ रहे थे, कुछ हालात बन रहे थे कि हमारे नजदीक आयेंगे लेकिन मालूम नहीं किस डर की वजह से दूर चले गये तो हम इनके नजदीक आने से और उनके दूर जाने से ज्यों के त्यों हो गये।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मुझे दूर न समझिए दूरी आपको दीख रही है मैं आपके दिल में हूं।

श्री रियासत हुसैन—

तो बाजपेयी जी दूर हो गये वह यहां शेर की तरह दहाड़ते थे अब उधर दूर चले गये तो हमारे हिसाब किताब में बराबर हो गये। हम मुहम्मद अली के नाम पर एक कमरा यहां नहीं दे सके और एक मिनिस्टर तीन तीन जगह कब्जा किये हुये हैं, रायल होटल में अलग, दारुलशफा में अलग और कोठियों में अलग। माननीय सदस्यों को एक कमरा दिया है उसमें भी उसके कांस्टीटुऐंसी के आदमी घुसे रहते हैं उसको अपना बिस्तर लगाने की जगह नहीं मिलती। कुछ लोग तीन तीन जगह कब्जा किये हुये हैं। चार साल से जब से मैं सभापति हुआ हूं एक गैरेज नहीं दे पाये तो आप कार क्या देंगे ?

(व्यवधान)

मिनिस्टरों को कार और साज सज्जा सभी है चेयरमैनों के लिये रामायण राय कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी कार देने के लिये, लेकिन आप कार खड़ी करने के लिए गैरेज ही दे दीजिये।

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि गैरेज खाली नहीं है। अब हमारी समझ में नहीं आता जो गैरेज है उनमें कारों के बदले आदमी रह रहे हैं। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इतने गैरेज नहीं हैं लेकिन हम देखते हैं कि गैरेज में जहां कारें खड़ी होती हैं वहां पर आदमी रह रहे हैं चाहे रायल होटल में हो या दारुलशफा में हो। गैरेज में आदमी अकेले नहीं बल्कि फेमिलो के साथ रह रहे हैं और हमें जबाव दिया जाता है कि गैरेज खाली नहीं हैं। असली मकसद के लिये अगर उसकी जरूरत है तो पता चला कि खाली नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन जी बहुत पुराने समाजवादी है और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी में जिनका विश्वास है, मैं उनसे केवल एक प्रश्न यह करना चाहता हूं कि अगर रहने की जरूरत है और लोग कहीं रहते हैं और कार रखने की जरूरत है, तो क्या कारों की जगह पर लोगों के परिवारों को रहने देने की जगह देने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री रियसात हुसैन—

इस दुनिया में हर चीज उसके पार्टीक्युलर मकसद के लिये बनाई गई है। जैसे यह हाउस है जो कि एक पार्टीक्यूलर मकसद के लिये बना है और इसमें यदि कोई नान मेम्बर बैठ जाए तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। अब आप यह कहने लगे कि बहुत से लोग सड़क पर पड़े हैं, इसलिये सदन होने की आवश्यकता नहीं है, उनको लाकर यहां सुला दिया जाए, तो यह कोई बात नहीं है। जो चीज जिस काम के लिये बनी है, उसी के लिये वह इस्तेमाल हो, यह सही समाजवाद है। यानी जो जिस परपज के लिये बनाई गई है, वह यदि दूसरे किसी परपज के लिए इस्तेमाल होती है तो हम उसके लिए समाजवादी व्यवस्था की आड़ नहीं ले सकते हैं, यह उसका मिस्यूज है।

तो मैं फिर आपका इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि आज आपको 41 अरब रुपया मिल रहा है और 8 अरब और मिल रहा है, यानी 50 अरब रुपया आपको मिल जाएगा, श्याम लाल जी भी अभी इसके पक्ष में हाथ उठायेंगे, लेकिन मैं उन्हीं की बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि आप कम से कम आज यह घोषणा कर दें हिम्मत के साथ कि पी0एन0 मिश्रा को हटा दिया गया है, आप कह दें, आज सारा सदन आपके साथ है। फिर कोई रोड़ा डाले तो हम सब आपकी रक्षा के लिये आपके साथ हैं। इसके अलावा जिन जिन लोगों के पास तीन-तीन कमरे हैं और दो-दो कोठी है, तो आप यह बतावें कि यह कौन लोग हैं और उन पर प्रत्येक पर कितना रुपया बाकी है ? लीजिए गोयल जी भी आ गए। उनके विभाग के सम्बन्ध में मुझे आज ही खत मिला है। गोयल जी आपके सहसवान से खत मिला खत मैंने आपके पास भेजा भी है। आज सहसवान में 15 दिन से पानी का कनेक्शन टंकी से कटा हुआ है, क्योंकि 50 हजार रुपये का बिजली का बिल आपके सहसवान के

एडमिनिस्ट्रेटिव ने पे नहीं किया था। 15 दिन से सहसवान के निवासी कुओं से पानी भर भर के किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। आप अपने विभाग से मालूम कीजिए कि उन्होंने 50 हजार रुपया क्यों नहीं जमा किया था, इसमें क्या कारण है, जिससे उनको पानी पीने को मिल सके। ऐसे ऐसे अक्षम अधिकारियों के द्वारा बनाये गये सप्लीमेंट्री बजट पर अपनी मंजूरी देने के लिए हमसे कहा जा रहा है।

आज कार्यपालिका विधायकों के ऊपर हावी होती चली जा रही है और इस बात के लिए जिम्मेदार आप हैं। आप इस बात को गम्भीरता से लेकर रोकिये। यदि आपने इसको नहीं रोका तो ऐसी मिसालें दिन प्रति दिन मिलेंगी, जैसा कि माता प्रसाद पाण्डेय जी ने बताया है। विगत तीन महीनों के अन्दर हम लोगों ने अनेक काउन्टर और इनकाउन्टर के प्रश्न उठाये हैं और अब हम यहां से अपने क्षेत्र में जायेंगे। मालूम नहीं कि क्या-क्या मुसीबत किस-किस पर आएगी ? इसका जिम्मेदार कौन होगा ? हम उनको सामन न लाते तो आखिर हम किस मर्ज की दवा है।

जब हमने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया है, तो न मालूम, जैसा माता प्रसाद पांडेय जी के साथ हुआ है, वैसा किसके किसके साथ यहां से जाने पर होगा। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस सुझाव के साथ थर्ड सप्लीमेंट्री बजट जो 8 अरब रुपये का है इसमें 32 मदें है और 54 मदें ऐसी हैं जो इन 32 की आड़ में पास कराकर आपके अधिकारी ले जायेंगे, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री मुख्तार अनीस—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो तृतीय अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की हैं, ये प्रस्तुत ही न होती अगर उन्होंने थोड़ा अंकुश लगाया होता और अपने अधिकारियों को अनुशासित और नियंत्रित किया होता। ये जो अनुपूरक मांगे मांगी जाती हैं वे पैसा घट जाने या योजनाओं के लिए जिनमें पैसे की आवश्यकता हो जाती है, मांगी जाती हैं लेकिन अगर ठीक तरह से समय के अन्दर योजनाओं का कार्य समाप्त हो जाय तो पैसा घट ही नहीं सकता है। ये मांगे उस समय भी लायी जा सकती है जबकि सीमेन्ट मंहगा हो जाय, लोहा महंगा हो जाय इसलिए और पैसा दिया जा सकता है और उसके लिए अनुपूरक मांग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत हो सकती है। जब कोई विभाग नयी योजना के लिए वित्त मंत्री जी के पास जाता है तो उस समय उसे पैसा नहीं दिया जाता। उस समय कह देते हैं कि हमारे वित्त विभाग के पास पैसा नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि तृतीय अनुपूरक बजट बिल्कुल फिजूलखर्ची से भरा हुआ है।

कुम्भ मेले की यहां पर चर्चा हो चुकी है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मिर्जापुर के लिए 6 लाख रुपया दे दिया। वहां पर विन्ध्याचल देवी का मंदिर है। कहते हैं कि जो कुम्भ मेले में स्नान करने आते हैं वे विन्ध्याचल अवश्य जाते हैं। वहां की सफाई के लिए 2 लाख रुपया द दिया गया। मिर्जापुर एक छोटा सा शहर है लेकिन उसकी सफाई के लिये 2 लाख रुपया दे दिया गया। प्रकाश के लिए 2 लाख रुपया दे दिया गया यहां पर मिर्जापुर के विधायक हैं, वहां पर जाकर कोई भी देख सकता है कि वहां पर कितनी रोशनी हो रही है। इसके अलावा वहां के पेय जल के लिए 2 लाख रुपया दे दिया तो इस प्रकार से मिर्जापुर के लिए 6 लाख रुपया दे दिया गया है।

राज भवन की साज सज्जा के लिए विशेष धनराशि दे दी गयी। ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां के लिए इनकी विशेष दिलचस्पी है। मुमकिन है कि कुछ रंगीन तबियत के लोग राजभवन में रहते हों, हो सकता है कि रंगीन तबियत के लोग वहां पर पहुंच गये हों। तो वहां की मरम्मत आदि के लिए 8 लाख 99 हजार रुपया दे दिया। सेन्टर का आयोजना आयोग (प्लानिंग कमिशन) कहता है कि आपकी प्रति व्यक्ति आय घट रही है, उत्पादन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस–]
की दर घट रही है लेकिन आपने इस तरह से राज भवन की मरम्मत और उसकी साज सज्जा के लिए 9 लाख रुपये दे दिए।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के लिए दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस विभाग के अन्तर्गत आपने कौनसा कार्य राष्ट्रीय एकीकरण का किया है। आपने इसमें सुलह कुल के लिये 7 1/2 लाख रुपया दे दिया है। इसी प्रकार से आपने झांसी के लिए दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इससे किस प्रकार से हिन्दू मुसलमान एकता हो पायेगी ? आप जायसी और रहीम की बात नहीं करेंगे, अकबर की करेंगे आप गांधी की बात नहीं करेंगे, दूसरों की बातें करेंगे। महात्मा गांधी ने लंगोटी पहन कर एकता की बात की थी। आप सुलह कुल की बाते करेंगे किजिसके नाम पर आप पैसा बरबाद करेंगे। क्या इस तरह की नौटंकियां कर और ढिंढोरा पीट कर आप हिन्दू मुस्लिम एकता पैदा कर सकते हैं ?

अगर इस तरह से होता तो फिर महात्मा गांधी को डांडी में क्यों जाना पड़ता है ? मैं नहीं समझ पाया कि इन अनुपूरक अनुदानों में किस-किस प्रकार की मूर्खतायें भरी हुयी हैं, जो माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रतीक बन गयी हैं। उन्होंने बरेली के अन्दर 80,000 रुपया दे दिया कि वहां पर अफसर जाकर जांच करेंगे कि कहां-कहां पर दूध मिल सकता है, उनके दौरों के लिए। इसी प्रकार से मेरठ के बारे में दिया कि चेयरमैन ने वहां पर दौरा किया। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब आप विरोध पक्ष के नेता थे। आप डेरियों में जो इतना व्यय कर रहे हैं उसका लाभ उतना नहीं मिल रहा है, वह व्यर्थ खर्च हो रहा है। डेढ़ लाख लीटर प्रति दिन की जहां कैपेसिटी है बनारस में डेरी की, वहां केवल 40 हजार लीटर ही दूध पैदा हो रहा है। तो इतना रुपया खर्च करने के बाद इतना घाटा हो रहा है इसे रोकने की जरूरत है।

बिजली बोर्ड एक सफेद हाथी की तरह हो गया है। उसकी आज क्या हालत हो गयी है, देखने की जरूरत है। विद्युत् उत्पादन के मेरे पास 19–3–82 तक के आंकड़े हैं। 19–3–82 को इस वर्ष आपने 31 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की जबकि पिछले साल 36 मिलियन यूनिट पैदा हुई इसी दिन। 18–3–82 को 32 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई जबकि इसी दिन पिछले वर्ष 34 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई। 17–3–82 को 30 मिलियन यूनिट बिजली आपकी पैदा हुई, जबकि इसी दिन पिछले वर्ष 34 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई। तो बढ़ने का दावा आप किस आधार पर कर रहे हैं इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई, किसानों को बिजली की कम आवश्यकता है, उसके बावजूद भी बिजली के उत्पादन में ह्रास होता जा रहा है। उस वर्ष जब कि सूखा पड़ा था, हमने किसानों को अधिक बिजली दी थी और आप किसानों को उतनी बिजली भी नहीं दे पा रहे हैं।

(व्यवधान)

ऊंचाहार के बारे में 500 मेगावाट का सब स्टेशन बनाने की घोषणा हुई। एक वर्ष से अधिक हो रहा है आज तक वह नहीं बन पाया। इस कारण नहीं बना कि आपके अधिकारी और कर्मचारी उसे नहीं चाहते।

शान्ति व्यवस्था की मान्यवर आज हालत यह हो रही है कि अभी एक हाई कोर्ट के जज साहब के साथ ही क्या घटना हुई, उनकी हत्या कर दी गयी। (व्यवधान) एक ऐसे शख्स को जो स्वभाव से चंचल हो उसको गृह मंत्रालय दे दिया गया है। आज प्रदेश की जनता मर रही हो, और राजभवनों के लिये लाखों करोड़ों रुपया आप दे रहे हैं। यह सब क्या है ? राज महलों का खर्चा दिनों दिन बढ़ रहा है। (व्यवधान) राजनारायण को आज हराने का षडयंत्र रचा जा रहा है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, राजभवन के बारे में, राज्यपाल के बारे में, इस विधान मंडल के बारे में, यहां चर्चा नहीं हो सकती यह नियम है ।

श्री मुख्तार अनीस—

मैंने राजमहलों के लिये कहा जिसमें मुख्य मंत्री और मंत्री लोग रहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राज्यपाल महोदय के बारे में चर्चा नहीं हो सकती, राजभवनों के बारे में हो सकती है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, आपने इस सप्लीमेंट्री पर मुझे अपनी सप्लीमेन्ट्री बात का कहने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । इस सरकार को क्या कहा जाय, यह तो एक भी इम्तिहान किलियर पास नहीं कर पायी, हर इम्तिहान सप्लीमेंट्री की बेसिस पर पास कर रही है । यह सरकार रुपी बालक बिना सप्लीमेंट्री के हाई स्कूल से लेकर बी० ए० तक कोई इम्तिहान सीधे पास नहीं कर सकी । हर साल कई-कई सप्लीमेंट्री आ रहे हैं । आखिर यह कहां पर जाकर खत्म होगा । इसकी हालत वैसी ही हो रही है जैसी कि एक विद्यार्थी ने घर जाकर पिता से कहा कि मैंने हिसाब में दो सवाल गलत किये हैं । पिता ने पूछा कि बाकी तो ठीक किये हैं, उसने जवाब दिया बाकी तो किये ही नहीं हैं ।

अभी दो हफ्ते पहले ही एक सप्लीमेंट्री आया, अब यह तीसरी बार फिर आ गया ।

(इस समय 4 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह पृष्ठ 74 पर अनुदान संख्या 105–सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) इसमें परियोजना के निर्माण से संबंधित भारी व्यय के लिये 36 हजार रुपये की मांग की गयी है । इस संबंध में किसी फर्म से कोई माल मंगाया, उस फर्म ने जो माल दिया, खराब निकला । उसके बाद डिपार्टमेन्ट आर्बिट्रेशन में गया और आर्बिट्रेशन डिपार्टमेन्ट के खिलाफ हो गया । फिर आर्बिट्रेशन एवार्ड रूल आफ दि कोर्ट बन गया । इस एवार्ड को सेट एसाइड कराने के लिये डिपार्टमेंट न्यायालय में नहीं गया और हम पर यह 36 हजार रुपये की चपत लग गयी । यह मिली भगत है । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे करबद्ध बिनती करना चाहता हूं । अगर आप वित्त मंत्री के पद पर सुशोभित न होकर इस साइड में होते, तो इस सप्लीमेंट्री बजट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती ।

जब आप विधान परिषद् में विरोधी दल के नेता थे, मुझे तो वह बात याद आती है, जो आप कहा करते थे । यह सरकार पूरी अपंग हो गयी है । 5 करोड़ रुपया टिहरी बांध और व्यासी लखवर्ड के लिए मांगा गया । ये बांध की योजनाएं लगातार चल रही हैं । जो भी मांग हो, माननीय सदन के सामने पेश हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, चाहे सप्लीमेंट्री का डिप्टी हो, उसमें कुछ न कुछ आप टेहरी बांध के लिए रखते ही हैं । इसमें 5 करोड़ रुपया आपने जरुर रखा है । हमारे विधायक निवास में वर्षों से धोबी हमारे कपड़े धोता आया है । अब धोबी घाट को नीलाम किया जा रहा है और वह धोबी जो वर्षों से काम किया करता था, उसको हटा देंगे ।

एक तो तथ्य लेकर आते हैं कि हमें गैरेज में आदमी रखना पड़ता है, इसलिए रखना पड़ता है कि हमारे पास स्थान नहीं है ? पहले आपने कैंटीन वालों को हटाया और अब धोबी के पीछे आपका राज्य सम्पत्ति विभाग पड़ गया । दिल्ली में रेजीडेंट कमिश्नर श्री देशराज सिंह को हटाने के लिये मैंने मांग की थी, माननीय श्याम लाल बाजपयी ने भी मांग की थी कि वह हमारी सरकार का कोई फायदा नहीं करता । लेकिन सरकार उनको नहीं हटा

[श्री विद्या सागर नौटियाल]

सकती । कल मैं दिल्ली में था, तो उनका बड़ा भारी वक्तव्य अखबारों में निकला था । मैं तो समझता हूं कि वह अधिकारी लोग सीधे प्रेस में कैसे जाने लगे है ? सदन में विधायकों ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में जो जो आपके अधिकारी चाहें, वह अखबारों में वक्तव्य दे दें ।

मान्यवर, आपके इन सरकारी अधिकारियों का संतुलन पूरी तरह से खत्म हो गया है । पेज 106 से लेकर 111 तक पर्वतीय विकास विभाग का सप्लीमेंट्री बजट है । इन्होंने अपनी नई मदों पर खर्च दिखाये हैं । तमाम चीजों के बारे में इनको पहले से मालूम था । अपव्यय यह है । इनके अधिकारी अपव्यय करते आते हैं और कहते हैं क्या किया जाय ? तो मंत्री जी हस्ताक्षर कर देते हैं । इसलिये उनकी मजबूरी को जानते हुए सदन में सप्लीमेंट्री बजट वे ले आते हैं । इसलिए मैं इस सप्लीमेंट्री बजट का घोर विरोध करता हूं ।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो सप्लीमेंट्री बजट माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया है, उसका विरोध करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है । समय समय पर ये बजट और अनुपूरक बजट पास करवाते रहे हैं । मैं जो शासन की ओर से सांख्यकीय डायरी दी गयी है, उपलब्धियों की तरफ संकेत करते हुए राज्य की आय-कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में 1970–71 में 58.4 थाऔर वह इसकी उपलब्धता कहां तक बढ़ी 80–81 में 55.1 रह गई है । यह तो इनकी उपलब्धता है जो दिन पर दिन कम हुई । व्यय तो बढ़ा, बजट तो बढ़ा लेकिन आय कम हुई । दूसरी मिसाल जो उद्योग के श्रोतों में आय वृद्धि की बात कही गई । उसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

कृषि और पशुपालन में 74–75 से 76–79 तक हुआ था 6 –2 और वह 77–78 और 80–81 तक रह गया 2–111 इसकी जो उपलब्ध है जो आंकड़े मैंने दिये है उससे साबित हो जाती है और ऐसी बातों के रहते हुये सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत करने का औचित्य नहीं रह जाता है । जब बजट आता है अनुपूरक बजट आता है, तो मुहर लगाने के लिये हमारे सामने रख दिया जाता है लेकिन हमारी भावनाओं की कितनी कदर यह सरकार करती है इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं । लखनऊ विश्वविद्यालय में एक पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन विभाग है उसमें एक डी0 पी0 सिंह है उनके खिलाफ सत्ता पक्ष के 60–70 विधायकों ने एक ज्ञापन माननीय मुख्य मंत्री को दिया था और यह संदेह व्यक्त किया गया कि वह सी0 आई0 ए0 के एजेन्ट हैं । पता चला हैकि वह व्यक्ति जिसे सी0 आई0 ए0 का एजेन्ट होने का सन्देह किया जा रहा है वह बंगला देश भागने की तैयारी कर रहा है । मान्यवर, ऐसी गंभीर चीजों पर जिस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने इनका ध्यानआकृष्ट किया, यह सरकार ध्यान नहीं दे रहीहै। हमारे सदनकेविधायकों का जीवन आज कितना असुरक्षित हो गया है।आज सुबह चर्चा हुयी माननीय माता प्रसाद जी के बारे में । हमारे जिले में भी एक घटना घटी जिसकी सूचना तार द्वारा माननीय अध्यक्ष को भी दी गई ।

हमारे जिले के विधायक हैं परमाई लाल एक थानेदार ने उनको रिवाल्वर लेकर मारने के लिये कहा । इसकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को दी गई । लेकिन आज भी वह थानेदार हरदोई में अपनी मोछों पर ताव दिये घूम रहा है । जिन विधायकों से आप बजट पास करवाते हैं उनके मान और सम्मान की सुरक्षा आप नहीं का पा रहे हैं तो उनकी मुहर लगवाने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है । इन शब्दों के साथ मैं सप्ली-मेंट्री बजट का विरोध करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1981–82 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

तृतीय अनुपूरक पर 2–3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात माननीय सदस्यों ने यह कही कि पूरा पूरा रुपया अब किया गया क्या इसकी पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी अब होश आया है और अनुपूरक अनुदान पेश किया है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 802 करोड़ का तृतीय अनपूरक अनुदान है। लेकिन वास्तविक व्यय भार 21 करोड़, 36 लाख का है। तृतीय अनुपूरक अनुदान जो सदन के सामने पेश किया है। इसका कुल भार मिलाकर 44 करोड़ का है। आमतौर पर वह चीज है जिनको समायोजित किया गया है। 656 करोड़ का समायोजन इस तृतीय अनुपूरक अनुदान में है और 26 करोड़ से ज्यादा 27 करोड़ भारत सरकार की सहायता है।

मंहगाई में वृद्धि की गई इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार जितनी मंहगाई में वृद्धि करेगी उसके अनुरूप हमारी सरकार भी करेगी। कुल मिलाकर 21 करोड़ का भार है। श्रीमन 78–79 में इसी तरह पश हुआ और 79–80 में भी पश हुआ था। मान्यवर, मा0 मोहन सिंह ने कहा कि अधिकांश इसमें फिजूल खर्चा है, तो 802 करोड़ में से 21 करोड़ का भार है जो अधिकांश खर्चा नहीं है।

मान्यवर, निगमों की कमेटी बनाने की सलाह दी गयी, तो यह ठीक है लेकिन हाउस की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है वह प्रभावशाली काम करे तो निगमों पर नियंत्रण रखा जा सकता है और कार्य कुशलता लाई जा सकती है।

मान्यवर, श्री रियासत हुसैन ने कहा कि मदें दोहराई गयी हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मदें दोहराई जा सकती हैं उन हालात में जिनको मैं बयान कर चुका हूं।

मान्यवर, श्री मुख्तार अनीस ने कहा कि अंकुश लगाया होता तो अनुपूरक अनूदान न पेश करना पड़ता। इसके संबंध में कहना चाहता हूं कि एक छोटी और अच्छी पुस्तिका पब्लिक फाइनेंस पर है जिसको वह पढ़ लें तो शायद भविष्य में उनके वह काम आवेगी। उन्होंने ऊंचाहार की बात कही तो मैंने कल वहां पर पावर स्टेशन को देखा है जिसकी प्रगति अच्छी है।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, ऊंचाहार में पावर स्टेशन 1981 तक बन जाना चाहिये था लेकिन अभी तक नहीं बना है।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, 1980–84 में जहां तक उसको बनने की बात है। मान्यवर, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि थरमल प्लान्ट 4 साल में और हाईडिल प्लान्ट 7 साल में बनकर तैयार होता है।

श्री राम आसरे वर्मा और श्री मुख्तार अनीस ने कृषि उत्पादन की बात कही कि आय घटी है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आय घटने का जमाना 1980–81 का था, अब तो आय बढ़ रही है। मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिये बजट का अधिकांश भाग कृषि में ही जाता है जैसे सिंचाई कृषि के लिये है, कोआपरेटिव कृषि के लिये है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे है कि आय बढ़ रही है और यह बात दी हुई पुस्तिका में है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में पर कैपिटा इंकम में आपका स्थान ग्यारहवां है।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, कुछ चीजों में हम आगे भी हैं लेकिन जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है।

[श्री ब्रह्मदत्त]

इन शब्दों के साथ मैं सभी मा० सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आलोचना करते हुये सुझाव दिये और इसलिये उन अच्छे सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इनके कार्यकाल में बिजली काफी थी लेकिन श्री सुनील शास्त्री के समय में बिजली की कमी है। आंकड़े इसके बता दें।

श्री ब्रह्म दत्त—

आंकड़े के बारे में लिखकर माननीय सदस्य भेज दें तो मैं बता दूंगा।

1981–82 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 3—मंत्रि-परिषद

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3—मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत 18,88,000 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3—मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत 18,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,17,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

[4 बजकर 30 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,17,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 7,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 7,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 6—संस्थागत वित्त विभाग वृत्तिकर एवं बिक्रीकर

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6—संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्रीकर) के अन्तर्गत 97,73,000 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6——संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्रीकर) के अन्तर्गत 97,73,000 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 7——राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)

राजस्व उप मंत्री (श्री सरजू प्रसाद सरोज)——

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7——राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनदान संख्या 7——राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये कीं अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 8——संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त))——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यजाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8——संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 31,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8——संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 31,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ——9स्वायत्त शासन एव नगरपालिका विभाग

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9——स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 2,23,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9——स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 2,23,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 10——आबकारी विभाग

आबकारी राज्य मंत्री (श्री गोवर्द्धन तिवारी)——

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10——आबकारी विभाग के अन्तर्गत 19,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—आबकारी विभाग के अन्तर्गत 19,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 11—परिवहन विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 14,33,000 रुपये की अनुपूरक मांगे वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 14,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजीकर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिय स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,52,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग

(लेखा परीक्षा अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,52,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 17—सचिवालय

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17—सचिवालय के अन्तर्गत 87,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17—सचिवालय के अन्तर्गत 87,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18——कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)——

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18——कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 11,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18——कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 11,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19——गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19——गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19——गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20——सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20——सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 21,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20——सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 21,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21——संस्थागत वित्त विभाग

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)——

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21——संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत 60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21——संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत 60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 22——राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22——राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 8,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 8,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व उप मंत्री (श्री सरजू प्रसाद "सरोज")—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 28,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 28,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस)

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 11,18,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 11,18,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,34,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,34,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

उद्योग उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 1,57,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 1,57,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 28—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 7,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 7,66,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 29—सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री—(श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 8,89,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—सर्तकता विभाग के अन्तर्गत 8,89,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा विभाग

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 58,62,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 58,62,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—(अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 35,70,81,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 35,70,81,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री दयाल कृष्ण)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 5,11,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 5,11,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 35—स्पोर्टस विभाग

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—स्पोर्टस विभाग के अन्तर्गत 30,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—स्पोर्टस विभाग के अन्तर्गत 30,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 1,57,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 1,57,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान सख्या 39—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के अन्तर्गत स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान सख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 4,22,89,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 4,22,89,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान सख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)]

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से वह मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 6,28,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 6,28,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42—आवास एवं नगर भूमि विभाग

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 9,56,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 9,56,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 43—सूचना विभाग

सूचना राज्य मन्त्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43—सूचना विभाग के अन्तर्गत 41,99,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43—सूचना विभाग के अन्तर्गत 41,99,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम राज्य मन्त्री (श्री दयालकृष्ण)—

मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 49,72,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 49,72,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम राज्य मन्त्री (श्री दयाल कृष्ण)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 75,32,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 75,32,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,25,70,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,25,70,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)—

मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 1,11,11,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 1,11,11,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 6,06,56,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 6,06,56,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्रीमती प्रेमवती तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग के अन्तर्गत 2,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग के अन्तर्गत 2,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 52—कृषि विभाग (कृषि)

कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 5,15,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 5,15,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश के प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,10,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,10,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55—ग्राम्य विकास विभाग

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारशि से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 13,97,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55—ग्राम्य विकास के अन्तर्गत 13,97,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56—पंचायती राज विभाग

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं अपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56—पंचायती राज के अन्तर्गत 3,66,48,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56—पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 3,66,48,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,66,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,66,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 59——पशुधन विभाग

कृषि उप मन्त्री (श्री सीताराम निषाद)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59——पशुधन विभाग के अन्तर्गत 3,68,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59——पशुधन विभाग के अन्तर्गत 3,68,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60——पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि उप मन्त्री (श्री सीताराम निषाद)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60——पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60——पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61——मत्स्य पालन विभाग

कृषि उप मन्त्री (श्री सीताराम निषाद)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61——मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 16,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61——मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 16,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62——वन विभाग

वन राज्य मन्त्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनदान संख्या 62——वन विभाग के अन्तर्गत 1,77,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62——वन विभाग के अन्तर्गत 1,77,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 65——उद्योग विभाग (ग्राम एव लघु उद्योग)

उद्योग उप मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)——

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्पाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65——उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 6,35,28,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 6,35,28,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 67--विद्युत विभाग

विद्युत राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67-विद्युत विभाग के अन्तर्गत 1,62,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67--विद्युत विभाग के अन्तर्गत 1,62,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 30,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 30,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 7,50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 7,50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)--

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74—पर्यटन विभाग

पर्यटन मन्त्री (श्री विद्या भूषण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 93,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 93,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,2 5,41,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75 –सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,2 5,41,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 4,2 7,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 4,2 7,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 80—न्याय विभाग पूंजीगत परिव्यय

न्याय मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80—न्याय विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,83,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80—न्याय विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,83,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सख्या 83—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 8,2 6,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 8,2 6,000 रुपए की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 86—सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हू कि अनुदान संख्या 86—सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,23,2 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86—सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,2 3,2 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 87—पर्वतीय विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87—पर्वतीय विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 10,81,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87—पर्वतीय विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 10,81,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 88—उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय

उद्योग उप मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88—उद्योग विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 7,83,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88—उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 7,83,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 92—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग पूंजीगत परिव्यय)

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 22,68,44,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 22,68,44,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 94—कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय

कृषि उप मन्त्री (श्री सीताराम निषाद)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94—कृषि विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 62,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94—कृषि विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 62,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 98—खाद्य तथा रसद विभाग–पूंजीगत परिव्यय

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 98—खाद्य तथा रसद विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,85,27,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 98—खाद्य तथा रसद विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,85,27,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 99—पशुधन विभाग—पूंजीगत परिव्यय

कृषि उप मन्त्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 99—पशुधन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,56,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 99—पशुधन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,56,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 102—वन विभाग—पूंजीगत परिव्यय

वन राज्य मन्त्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 102—वन विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 29,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 102—वन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 29,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान सख्या 104—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 104—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 104—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान सख्या 105—सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 105—सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 5,50,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 105—सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 5,50,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान सख्या 106—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 106—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 2,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 106—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 2,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 108—पर्यटन विभाग—पूंजीगत परिव्यय

पर्यटन मन्त्री (श्री विद्याभूषण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 108—पर्यटन विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 24,52,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 108—पर्यटन विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 24,52,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ११३—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 113—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,45,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 113—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,45,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 116—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम

उद्योग उप मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 116—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 10,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 116—उद्योग विभाग–ऋण और अग्रिम के अंतर्गत 10,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 117—पर्वतीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 117—पर्वतीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 72,78,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 117—पर्वतीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 72,78,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 120—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 120—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 21,13,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 120—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 21,13,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान सख्या 121—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 121—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 6,77,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 121—सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 6,77,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 124—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम

कृषि उप मन्त्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 124—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 5,96,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 124—पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 5,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 127—वित्त विभाग—ऋण और अग्रिम

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 127—वित्त विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 89,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 127—वित्त विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 89,00,000 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1982

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करनें हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनपूरक) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गईं)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1982

31 मार्च, 1982 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि मे से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनुपूरक) अधिनियम, 1982 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1981-82 के लिये 8,02,93,69,000 रुपये का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए, जो 31 मार्च, 1982 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 8,02,93,69,000 (आठ अरब दो करोड़ तिरान्नवे लाख उनहत्तर हजार रुपये केवल) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1982 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिए)

1	2	3		
अनुदान क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल	..	2,95,000	2,95,000
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	6,07,000	6,07,000
3	मंत्रि परिषद्	18,88,000	..	18,88,000
4	न्याय विभाग	1,17,63,000	13,05,000	1,30,68,000
5	निर्वाचन विभाग	7,06,000	..	7,06,000
6	संस्थागत वित्त विभाग वृत्ति कर एवं बिक्रीकर)	97,73,000	25,000	97,98,000
7	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	1,000	..	1,000
8	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	31,75,000	..	31,75,000
9	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग	2,23,72,000	..	2,23,72,000
10	आबकारी विभाग	19,48,000	37,000	19,85,000
11	परिवहन विभाग	14,33,000	..	14,33,000
12	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	79,000	..	79,000
13	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)	1,52,01,000	..	1,52,01,000
*15	ब्याज का भुगतान	..	4,45,93,000	4,45,93,000
*16	लोक सेवा आयोग	..	3,60,000	3,60,000
17	सचिवालय	87,13,000	..	87,13,000
18	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	11,78,000	..	11,78,000
19	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	1,53,000	..	1,53,000
20	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग	21,61,000	..	21,61,000
21	संस्थागत वित्त विभाग	60,000	..	60,000
22	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	8,63,000	..	8,63,000
23	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	10,00,000	..	10,00,000
*24	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	28,14,000	..	28,14,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

अनुसूची—(असमाप्त)

1	2	3		
अनुदान क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
25	गृह विभाग (पुलिस)	11,18,16,000	..	11,18,16,000
26	गृह विभाग (कारागार)	1,34,69,000	..	1,34,69,000
27	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	1,57,26,000	..	1,57,26,000
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	7,66,000	6,91,000	14,57,000
29	सतर्कता विभाग	8,89,000	..	8,89,,000
30	नागरिक सुरक्षा विभाग	58,62,000	..	58,62,000
31	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	1,000	..	1,000
33	शिक्षा विभाग	35,70,81,000	..	35,70,81,000
34	प्राविधिक शिक्षा विभाग	5,11,000	..	5,11,000
35	स्पोर्ट्स विभाग	30,00,000	..	30,00,000
36	सांस्कृतिक कार्य विभाग	1,57,000	..	1,57,000
38	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	2,000	13,000	15,000
39	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4,000	..	4,000
40	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	4,22,89,000	..	4,22,89,000
41	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	6,28,000	98,000	7,26,000
42	आवास एवं नगर भूमि विभाग	9,56,000	..	9,56,000
43	सूचना विभाग	41,99,000	..	41,99,000
44	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	49,72,000	..	49,72,000
45	श्रम विभाग (सेवायोजन)	75,32,000	..	75,32,000
46	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	5,25,70,000	..	5,25,70,000
49	सहकारिता विभाग	1,11,11,000	..	1,11,11,000
50	पर्वतीय विकास विभाग	6,06,56,000	..	6,06,56,000
51	नियोजन विभाग	2,000	..	2,000
52	कृषि विभाग (कृषि)	5,15,01,000	1,22,000	5,16,23,000
53	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	1,10,33,000	89,000	1,11,22,000
54	गन्ना विकास विभाग	..	8,000	8,000
55	ग्राम्य विकास विभाग	13,97,02,000	..	13,97,02,000

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
अनुदान क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
56	पंचायती राज विभाग	3,66,48,000	1,06,000	3,67,54,000
58	खाद्य तथा रसद विभाग	2,66,97,000		2,66,97,000
59	पशुधन विभाग	3,68,51,000		3,68,51,000
60	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	1,50,000		1,50,000
61	मत्स्य विभाग	16,60,000		16,60,000
62	वन विभाग	1,77,65,000	44,000	1,78,09,000
65	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	6,35,28,000		6,35,28,000
67	विद्युत विभाग	1,62,000		1,62,000
68	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा)	30,23,000		30,23,000
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार-साधन)	7,50,01,000		7,50,01,000
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,000		1,000
74	पर्यटन विभाग	93,000		93,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	1,25,41,000		1,25,41,000
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	4,27,000		4,27,000
80	न्याय विभाग—पूंजीगत परिव्यय	4,83,000		4,83,000
83	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	8,26,000		8,26,000
86	सहकारिता विभाग—पूंजीगत परिव्यय)	3,23,21,000		3,23,21,000
87	पर्वतीय विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय	10,81,000		10,81,000
88	उद्योग विभाग—पूंजीगत परिव्यय	7,83,00,000		7,83,00,000
92	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय	22,68,44,000		22,68,44,000

अनुसूची--(समाप्त)

अनुदान क्रम-संख्या	सेवायोजन और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा पारित	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
94	कृषि विभाग--पूंजीगत परिव्यय	62,00,000		62,00,000
98	खाद्य तथा रसद विभाग--पूंजीगत परिव्यय	1,85,27,00,000	75,000	1,85,27,75,000
99	पशुधन विभाग--पूंजीगत परिव्यय	4,56,000		4,56,000
102	वन विभाग--पूंजीगत परिव्यय	29,000		29,000
104	--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)	1,000		1,000
105	सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	5,50,00,000		5,50,00,000
106	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	2,000		2,000
108	पर्यटन विभाग--[पूंजीगत परिव्यय]	24,52,000		24,52,000
*109	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण	4,38,00,00,000		4,38,00,00,000
113	आवास विभाग--ऋण और अग्रिम	3,45,000		3,45,000
116	उद्योग विभाग--ऋण और अग्रिम	10,01,000		10,01,000
117	पर्वतीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम	72,78,000		72,78,000
120	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम	21,13,000		21,13,000
121	सहकारिता विभाग--ऋण और और अग्रिम	6,77,10,000		6,77,10,000
124	पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम	5,96,000		5,96,000
127	वित्त विभाग--ऋण और अग्रिम	89,00,000		89,00,000
	योग	3,60,09,01,000	4,42,84,68,000	8,02,93,69,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनपूरक) विधेयक, 1982 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद की सभाओं के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे माननीय सदन को एक सूचना देनी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के लिए 5 सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी हेतु दिनांक 20 मार्च, 1982 को अपराह्न 5 बजे तक का समय और निर्वाचन होने की दशा में मतदान दिनांक 31 मार्च, 1982 के लिए नियत था। नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक होने के कारण निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि 31 मार्च, 1982 निर्धारित की गयी थी।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी की तिथि 20 मार्च, 1982 तक कोई नाम वापस नहीं लिए गये हैं और अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक होने के कारण निर्वाचन आवश्यक हो गया है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभाओं के निर्वाचन हेतु मतदान 31 मार्च, 1982 के स्थान पर दिनांक 7 अप्रैल, 1982 रखे जाने के सम्बन्ध में विभिन्न दलों के नेताओं की प्रार्थना पर जब उक्त दोनों निकायों के लिए मतदान की तिथि 7 अप्रैल, 1982 नियत की गयी है। तदनुसार अब उक्त निकायों के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 7 अप्रैल, 1982 को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, १९८२ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर सहमति का प्रस्ताव

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन छोटा सा संशोधन है। वर्ष 1966 में एक अधिनियम बनाया गया था जिसके अन्तर्गत जो विश्वविद्यालय है और सारे विद्यालय हैं, वे लिये गये थे ताकि वहां के जो कर्मचारी है, जब इम्तिहान होते थे तो हड़ताल वगैरह कर देते थे जिससे वक्त बरबाद होता था? उस समय डिग्री कालेजों को इसमें नहीं लिया गया था इसलिये वे एक्जेप्ट रहे। जब यह देखा गया कि नौन-टीचिंग स्टाफ और बाकी लोग स्ट्राइक कर देते थे और परीक्षाओं के समय में काफी कठिनाई हो जाती थी।

शिक्षा का महत्व सर्वविदित है। तो अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 की परिधि में महाविद्यालय, एसोसियेटेड और एफिलिएटेड कालेजेज को भी ले लिया गया है। इसके लिए एक आर्डिनेन्स इश्यू किया गया और उसके बाद वह आर्डिनेंस चूंकि अब यहां पर आ रहा है विधान परिषद् में उसका निरसन भी हो गया है, जिसमें संशोधन हुआ है वह पारित करना है। यह सबके इन्टरेस्ट में है। शिक्षा के सही संचालन, परीक्षाओं और अध्यापकों के भविष्य की बात है। मैं समझता हूं सब इसका स्वागत करेंगे और इसको पारित कर देंगे।

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि यह बिल बहत छोटा और इसके संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई 2 रायें नहीं हैं। इसमें 2 अमेंडमेंट हैं। नम्बर 2 पर जो संशोधन है उसके ऊपर में इस बात को कह रहा हूं। और आर्डिनेन्स के जरिये से जो कार्यवाही अब तक की गयी उसे आप इस नं 02 में नियमित करा रहे हैं। मान्यवर, आर्डिनेन्स जारी करने की जरूरत गर्वनर महोदय को तब पड़ती है जब कोई दूसरा रास्ता सामने नहीं होता, विधान सभा का अधिवेशन चल नहीं रहा हो, और कोई बहुत जरूरत किसी चीज की आ पड़े। आज तो यह देखने में आ रहा है कि यह हकूमत ही आर्डिनेन्स के बल पर चल रही है। अभी तक 12 आर्डिनेन्स इस सरकार ने जारी किये। यह कोई अच्छी प्रथा नहीं है और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। आज इसे पास कराके आप यह चाहते है कि अब तक की सारी कार्यवाही को जो आर्डिनेन्स के जारी होने के बाद हुई है उसको यह सदन एप्रूव करता है, यह विधान सभा का सरेन्डरिंग है एक तरह से एग्जीक्यूटिव के लिये जो लोकतंत्र के लिये बड़ी ही खतरनाक बात है और खतरनाक प्रथा है। मैं केवल इसीलिये इसका विरोध करता हूं। इसे खिलौना नहीं बनाना चाहिये कि जब चाहा आर्डिनेन्स जारी कर दिया। इसके लिये विशेष एहितियात बरतने की जरूरत है।

*श्री प्रभूनारायण सिंह--

मान्यवर, इस उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 का वैसे तो मैं समर्थन करता है पर मैं कुछ सुझाव देता हूं। जब यह विधेयक इस सदन में आया था उस समय भी मैंने कहा था कि शिक्षकों और विद्यालय के कर्मचारियों पर यह जो अंकुश लगाया जा रहा है.....

श्री अध्यक्ष--

इस वक्त तो जो विधान परिषद् से पास होकर आये हैं। संशोधन है केवल उन्हीं पर आप कह सकते हैं जो....

(श्री प्रभूनारायण सिंह बैठ गये।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। माननीय रियासत साहब को हर वक्त इस सरकार की नियत पर शुबहा रहता है। उन्होंने एक यह बात कही कि आर्डिनेन्स के बल पर यह सरकार चल रही है। मैं माननीय रियासत साहब को यह बतलाना चाहूंगा कि भारतवर्ष में सबसे कम आर्डिनेन्स हमारे यहां ही जारी हुये हैं। और जगह हमसे भी ज्यादा हुये हैं। तो यह कहना कि यह सरकार आर्डिनेन्स के बल पर चल रही है ठीक नहीं है, एक्चुअली बात गलत है। मान्यवर, जहां तक इस संशोधन का संबंध है, माननीय रियासत हुसैन साहब ने एक आपत्ति उठाई कि इसको रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट क्यों किया जा रहा है? काहे के लिए यह किया जा रहा है, यह आपत्ति कोई आपत्ति उन्होंने नहीं उठाई। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी]

उसके हिसाब से किया जायगा। पिछली जो चीजें उसमें हो गयी है, मान्यवर, यह तो हमारे जो माननीय सदस्यों के अधिकार है, वह तो हमारे ज्यादा व्यापक है कि रिस्ट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से अगर बात होती तो, उसको भी हम सही करना चाहते हैं। मान्यवर, यह तो सर्वोच्च संस्था है जहां तक कानून बनाने की बात है, यह सरकार आर्डिनेंस के जरिये से नहीं चल रही है।

जहां तक कि परीक्षाओं का संबंध है, जहां तक शिक्षा का संबंध है, उसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। जिस वक्त सेकेण्ड वर्ल्ड वार हो रही थी, इंगलिस्तान में हर चीज पर कटौती कर दी गयी थी, लेकिन शिक्षा का बजट वैसे ही था। जब पार्लियामेंट में पूछा गया था, तो कहा गया कि अगर हम शिक्षा के बजट में किसी प्रकार की कटौती करते, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पर उसका असर पड़ता है। तो मान्यवर, इसके द्वारा शिक्षा संचालन हो सकेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक चीज है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--- खंड 3

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय अर्थात---

निरसन और अपवाद

"3--(1) उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1982

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय से प्रवृत्त थे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन से सहमत है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

(5 बजकर 28 मिनट)

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत 22 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से एक सूचना जो माननीय जटा शंकर सिंह की अलग से थी, और उसी सम्बन्ध में दूसरी सूचना श्री मोहन सिंह की, तीसरी सूचना, श्री कुंवर सिंह ने दी की थी, तथा जो प्रदेश के राज्य कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में है, वह वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुई है, बाकी शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं।

श्री ख्वाजा हलीम—

मान्यवर, हड़ताल खतम हो चुकी है और अलीगढ़ में दंगा चल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर कई आदमी मारे जा चुके हैं। इसलिए मान्यवर, इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना स्वीकार की जा सकती है, जिसे स्वीकार किया जा चुका है।

श्री ख्वाजा हलीम—

मान्यवर, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—

इसको आप फिर से दे दीजिएगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैंने नियम 56 में जब यह उठाया था, तो आपने आदेश दिया था कि इसे किसी और नियम के अन्तर्गत दे दीजिए, तभी मैंने इसकी जरूरत को समझते हुए इसे नियम 51 में दिया, तो मान्यवर, कम से कम इसकी ग्राह्यता को समझते हुए नियम 51 में स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था आपसे लेकिन अब आज उससे भी ज्यादा आवश्यक मामला आ गया है, जिसका ताल्लुक पूरे प्रदेश से है। इसलिए आज इसको मैंने अस्वीकृत कर दिया। आप इस को फिर से दे दीजिएगा।

मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ में पुलिस द्वारा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार सिनेमा हाल कृष्णा चित्र मंदिर में दिनांक 11-3-82 को एक नई फिल्म लगी थी। होली का अवसर होने पर सम्भावित ज्यादा भीड़ की आशंका से चौकी सारहू थाना मऊ से दो सिपाहियों की वहां ड्यूटी लगायी गयी थी। लगभग 12 बजे दिन जब शो शुरू होने वाला था या वहां तैनात सिपाहियों ने सिनेमा के टिकट ब्लैक कर रहे एक व्यक्ति को टोका और उससे थाना चलने को कहा तो उसने कहा कि पहले वे उसे मालिक के पास ले चलें। इसी बीच कृष्णा चित्र मंदिर के मालिक श्री रघुनाथ प्रसाद खण्डेलवाल उर्फ रग्घू बाबू जो उस समय नशे में थे वहां पर आ गये। श्री रग्घू बाबू ने सिपाहियों को गालियां देते हुए उनका कालर पकड़ कर धक्का देकर टिकट ब्लैक में बेच रहे व्यक्ति को छुड़ा लिया। सिपाहियों की लिखित सूचना के आधार पर अपराध संख्या 93/82 धारा 147/332/224/225 भा0 दं0 वि0 व 9 बी मनोरंजन अधिनियम के अन्तर्गत थाने पर दर्ज किया गया। घटना की सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक श्री अरुण कुमार राय पांच सिपाहियों सहित कृष्णा चित्र मंदिर गये और श्री रग्घू बाबू से पूछतांछ करना शुरू की। पूछतांछ के दौरान थोड़ी गरमा गरमी हो गई और सब इन्स-पेक्टर श्री राय ने श्री रग्घू बाबू से थाने पर चलने के लिए कहा। इस पर श्री रग्घू बाबू और उनके पक्ष के लोग उत्तेजित हो गये और श्री रग्घू बाबू पुलिस को गालियां देने लगे। इसी बीच आसपास के अन्य लोग व सिनेमा कर्मचारी भी मौके पर आ गये। स्थिति उग्र हो गई अतः आत्मरक्षार्थ तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी मऊ व प्रभारी निरीक्षक मऊ भी घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर कुछ भीड़ भी एकट्ठी थी जिसे शांत करने हेतु समझाया बुझाया गया और उनके अनुरोध पर मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी हटा दिया

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

गया। इस प्रयास के फलस्वरूप मौके पर उपस्थित श्री राम गोपाल खण्डेलवाल रिपोर्ट देने को राजी हो गये और स्थिति को सामान्य देखकर क्षेत्राधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक मऊ कस्बे का गश्त करके थाने पर लौट गये।

लगभग 4·30 बजे सायं बिना किसी पूर्व सूचना के लगभग 150 व्यक्ति श्री राम गोपाल खण्डेलवाल के नेतृत्व में पुलिस विरोधी नारे लगाते हुए थाना प्रांगण क अन्दर घुस आये। प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मचारियों को गालियां दे रहे थे। क्षेत्राधिकारी मऊ और प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ ने उनको समझा बुझाकर बैठाने का प्रयास किया। इतने में भीड़ के पीछे से पथराव होने लगा जिससे एक उपनिरीक्षक और कुछ सिपाहियों को चोटें भी आयीं जब भीड़ थाना कार्यालय की ओर आक्रमण ढंग से बढ़ने लगी तो पुलिस कर्मियों ने आत्मरक्षार्थ हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया।

इन घटनाओं में दो उपनिरीक्षक और 7 सिपाहियों को साधारण चोटें आयीं। इस के अतिरिक्त श्री रघुनाथ प्रसाद खण्डेलवाल और श्री राम गोपाल खण्डेलवाल सहित कुछ अन्य व्यक्तियों को भी साधारण चोटें आयीं। दिनांक 11-3-82 को हुई मऊ कस्बे में घटनाओं की अपर पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा जांच की जा रही है और उनकी अंतरिम आख्या के आधार पर उपनिरीक्षक श्री राय, तीन सिपाहियों को पुलिस लाइन स्थानान्तरित किया जा चुका है। जांच अभी जारी है।

इस कस्बे में 11-3-82 व 12-3-82 को कुछ दुकाने बन्द रहीं। वर्तमान समय में कस्बे में स्थिति सामान्य है।

श्री खैरुल बशर—

मैं जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी न रिपोर्ट दिया है वह पुलिस ने जो एक तरफा रिपोर्ट दिया है। वहीं दिया है। श्रीमन, पुलिस सिनेमा के अन्दर घुस गई, तीसरे मंजिल पर जाकर 18 सौ की मशीन तोड़ दी, रग्घू बाबू को मारा गया और मैनेजर को मारा गया, जब राम गोपाल के साथ वह लोग थाने में जा रहे थे, मान्यवर, राम गोपाल खन्डेलवाल 11 वर्षों से जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी उम्र 70 साल की है। 70 साल की अवस्था होते हुये पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। सारा नगर बन्द रहा। मान्यवर, अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दिया और जो राम गोपाल खन्डेलवाल और मैनेजर ने रिपोर्ट किया है। उनको मारापीटा गया और लूटपाट किया गया। क्या माननीय मंत्री जी इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करायेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो लाठी चार्ज की बात कही है तो वहां पर भीड़ उग्र हो गयी थी और उसकी तरफ से पथराव हुआ था, उसमें पुलिस विभाग के 9 कर्मचारियों को चोटें आयी थीं, इसलिये आत्मरक्षार्थ हल्का लाठी चार्ज किया गया था।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, आजमगढ़ एस0 एस0 पी0 ने सारी कार्यवाही किया जिसका जिक्र मंत्री जी ने किया और उसमें एक एस0 आई0 और 3 पुलिस कांस्टेबिल को पुलिस लाईन स्थानान्तरित किया जा चुका है। तो क्या मंत्री जी एस0 एस0 पी0 की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो रिपोर्ट यहां आयी है आप कहें तो पढ़ दूं या उसका जिस्ट बता दूं। जिस्ट यह है कि एक आदमी सिनेमा के टिकट वहां ब्लैक कर रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ा लेकिन रग्घू बाबू ने उसको छुड़ा लिया। रग्घू बाबू नशे में थे, हर फसाद की जड़ नशा होता है तो चाहे वह नशा अभिमान का हो या नशे का नशा हो, तो वह नशे में थे, यदि नशे में न होते तो शायद यह न होता। उसके बाद वह लोग थाने गये, थाने में एफ0 आई0

आर0 दर्ज करायी। घटना की सूचना मिलने पर एस0 आई0 और 5 सिपाही सिनेमा हाल गये तो फिर उसके साथ गर्मागर्मी हुई चूंकि वह नशे में रग्घूबाबू थे। वहां फिर भीड़ जमा हुई और पब्लिक उग्र होने लगी तो पथराव हुआ, इसलिये हल्का लाठीचार्ज करके पब्लिक को हटाया गया। फिर सी0 ओ0 वहां गये और मामले को ठंडा किया। सब लोग चले गये लेकिन साढ़े चार बजे शाम को 150 लोगों ने थाने में हमला किया और पथराव किया जिसमें 9 पुलिस कर्मियों को चोटें आयीं, फिर हल्का डंडे द्वारा बल प्रयोग किया गया और भीड़ को तितर बितर किया गया। जांच चल रही है जांच ठीक हो इसलिये उनको स्थानान्तरित कर दिया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी बयान में जो कह रही हैं उसको देखें तो कितना विरोधाभास लगता है। बयान में कहा है कि एक व्यक्ति को टोका, उसके आगे कह रही है कि रग्घू बाबू नशे में थे जो वहां आ गये और उसका कालर पकड़कर छुड़ा ले गये, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जो एफ0 आई0 आर0 दफा 147/332/224 और 225 में दर्ज की गयी है उसका समय क्या था और किसने दर्ज करायी है। इसके अलावा, मान्यवर, जो नशे की बात की गयी है तो क्या उनका मेडिकल कराया गया था। दूसरी बात यह है कि मैनेजर द्वारा और राम गोपाल खन्डेलवाल द्वारा कोई टेलीग्राम एस0 एस0 पी0 को दिया गया? यदि हां, तो उसमें क्या आरोप लगाये गये हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह जो एफ0 आई0 आर0 लाज करायी गयी है पहली वाली यह 11-3-82 को 12.20 बजे लाज करायी गयी। प्रमोद कुमार ने चौकी सारुह, आजमगढ़ में लाज करायी है 1, अगेंस्ट आपरेटर कृष्णा चित्र मंदिर, और रग्घू बाबू के।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो तमाशबीन इकट्ठे हो गये तो तमाशबीनों की पिटाई हुयी? माननीय खैरुल बशर की इत्तिला को सही मानते हुये कि सिनेमा की मशीन जलायी गयी। तो क्या इसकी इत्तला है कि कोई मशीन जली या नहीं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मशीन जलने की मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, न्याय के आगे सब आदमी बराबर होते हैं। तो रग्घू बाबू और खंडेलवाल के खिलाफ 332/147/224/225 का मुकदमा कायम हुआ। तो यह लोग गिरफ्तार किये गये या नहीं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं अभी तक गिरफ्तार नहीं किये गये।

श्री कैलाश टंडन—

मान्यवर, मऊ कस्बा छोटा है। जहां कृष्णा टाकीज स्थित है उससे महज 50 कदम बायीं ओर आयें तो वहां चौकी है। होली का दिन जैसा कि स्टटेमेंट में कहा गया है नयी पिक्चर लगी थी और काफी भीड़ थी और रग्घू बाबू पिये थे। अगर वह शराब पिये थे तो रग्घू बाबू का क्यों नहीं मेडिकल कराया गया? दूसरा प्रश्न यह है कि पहली घटना और दूसरी घटना कब घटी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, पहली घटना 12-30 बजे लगभग हुयी है। दूसरी घटना जब लाठी चार्ज हुआ है ढाई बजे को है। तीसरी घटना जब लाठी चार्ज हुआ साढ़े चार बजे के लगभग

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)

हुयी है। जो यह पूछा गया है कि रघू बाबू का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया तो अभी जांच जारी है और जांच से जो तथ्य सामने आयेंगे वह आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे और उचित कार्यवाही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जायगी।

श्री कैलाश टंडन—

मान्यवर, राम गोपाल खंडेलवाल एक सामाजिक परिवार से संबंधित व्यक्ति हैं। उनके परिवार की बड़ी सेवायें हैं उस कस्बे के अंदर। घटना ढाई बजे हुयी है, 4 बजे हुयी और लाठी चार्ज भी हुआ। पुलिस फोर्स साढ़े 12 बजे पहुंचती है तो क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया और क्यों नहीं मेडिकल जांच करवायी गया।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट से संबंधित, मा0 गृह मन्त्री जी ने कहा कि लाठी चार्ज किया गया, तो क्या मा0 गृह मंत्री जी इस सारे मामले की जांच किसी डिवीजनल मैजिस्ट्रेट से कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अभी तो जो प्रभारी पुलिस अधीक्षक जांच कर रहे हैं, उनकी जांच की रिपोर्ट आ जाय। अगर सन्तुष्ट नहीं होंगे तो विचार करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या रघुनाथ प्रसाद खन्डेलवाल और राम गोपाल खण्डेलवाल की ओर से एक-एक तार एस0 एस0 पी0, आजमगढ़ के नाम से दिया गया था ? यदि हां, तो उनमें क्या आरोप लगाये गये थे ? जो लाठी चार्ज थाने के सामने हुआ, वह किसके आदेश से हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लाठी चार्ज दो बार हुआ था। पहला लाठी चार्ज जो हुआ था, वह अरुण कुमार राय, उप निरीक्षक, उनके साथ 5 सिपाही थे, जहां तक मैं समझती हूं कि उन्हीं के आर्डर से हुआ था।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो आरोप तार में लगाये गये थे, वह नहीं बता रही हैं। रघुनाथ प्रसाद खण्डेलवाल और राम गोपाल खण्डेलवाल की ओर से तार दिये गये या नहीं ? यदि दिये गये तो उसमें क्या लिखा था और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इसकी सूचना मंगा ली जायगी और प्रस्तुत कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, 5 अप्रैल को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 45 मिनट पर सोमवार, 5 अप्रैल, 1982 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
22-3-82

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 57 विधान सभा (93)--1983-813।